राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ५४वां दिवस [संख्या ३०

शुक्रवार, ४ अप्रैल, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

बालिका माध्यमिक विद्यालय, सोजत

१०८८ श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : Will the Minister for Education be pleased to state—

1. Is it a fact that in the Government Girls Middle School, Sojat, there is only one matriculate mistress ?

2. How many mistresses are in the above school in the present session and what are their qualifications ?

3. Who was the Headmistress in the above school during 1956-57 and what are her qualifications ?

4. When the mistresses working in the above school in the present session were transferred ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : (१) जी नहीं, ३ मेट्रिकुलेट अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं।

(२) इस समय १२ अध्यापिकायें हैं जिनकी योग्यता इस प्रकार है :

मैट्रिक एस. टी. सी. ट्रेन्ड	१
मैट्रिक अनट्रेंड	२
ट्रेन्ड मिडिल	३
अनट्रेन्ड मिडिल	४
नानक्वालिफाइड लेकिन ट्रेन्ड	२
कुल	१२

(३) श्रीमती चम्पा देवी थीं जो ट्रेन्ड मैट्रिक थीं।

(४) दो मैट्रिक अध्यापिकायें एस. टी. सी. स्कूल में ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु भेजी गई थीं और उनकी जगह माह जुलाई व अगस्त ५७ में दो नई मैट्रिक अध्यापिकायें नियुक्त की गई थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सातवीं और आठवीं कक्षाओं को भी मिडिल ट्रेन्ड अध्यापिकायें पढ़ाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें दो मैट्रिक ट्रेन्ड थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी अध्यापिकायें आपने मिडिल ट्रेन्ड भी बतायी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी कक्षायें भी होती हैं, पहली से लेकर छठी सातवीं तक; उनको भी वे पढ़ाती हैं।

Page No.2

श्री मुरलीधर व्यास : मैट्रिक कितनी हैं ?

श्री अध्यक्ष : ३ हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या जो मिडिल पास हैं वे भी सातवीं और आठवीं कक्षाओं को पढ़ाती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतनी जानकारी मुझे नहीं दी गई कि किन २ विषयों को वे पढ़ाती हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैट्रिक ट्रेन्ड एक ही है और दो नॉन मैट्रिक हैं, अन ट्रेन्ड हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी को भेजा हुआ है, अभी १ ट्रेन्ड और २ अन ट्रेन्ड हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

साईकिलों पर दो सवारियां बैठाने पर किये गये चालान

१०८६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या साईकिल पर दो सवारी होने से चालान किया जाता है ?

(२) साइकिल पर यह रोक क्यों लगाई जाती है जब कि गरीब लोग ही काम में लेते हैं।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) साइकिल चलाने वालों एवं जनता दोनों को रोड एक्सीडेन्ट से बचाने के लिए यह पाबन्दी लगाई गई हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह पाबन्दी मोटर साइकलों एवं प्राइवेट टैक्सीज़ पर भी लागू है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोटर टैक्सीज़ है उन पर नम्बर फिक्सड हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह मोटर टैक्सीज़ के लिए आवश्यक नहीं है, जो यदि ओवर लोड चले तो पाबन्दी लगाई जाय ? साइकिलों पर दो आदमी बैठने पर पाबन्दी है जब कि मोटर साइकिलों पर अक्सर तीन चार बैठते हैं और उन पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मोटर साइकिलों के लिए कायदा नहीं है तो और बनाया जाना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : यह हुक्म कब दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी म्युनिसिपल एक्ट हैं उसमें यह प्रोविजन है। जयपुर म्युनिसिपैलटी के बाइलॉज़ में प्रोविजन है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने दुर्घटनाओं के लिए कहा तो क्या इसकी कोई छानबीन हुई है कि इससे दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोटर एक्सीडेन्ट होता है तो चोट लगती है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा कोई रिकॉर्ड है आपके पास ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि दस साइकिलों पर दो बैठे तो बीस को चोट लगेगी।

श्री अर्जुनदास : By which provision of law is that prohibited ?

श्री रामकिशोर व्यास : Pardon ?

Page No.3

श्री अर्जुनदास : Under which provision of law double riding is prohibited ?

श्री रामकिशोर व्यास : Municipal bye-laws.

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुदयाल ।

कन्या पाठशाला, लालसोट

१०६०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या प्रधानाध्यापिका कन्या पाठशाला, लालसोट का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो बार बार प्रार्थना करने पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है तथा भविष्य में कब तक कर दी जावेगी ।

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी हां, क्यों कि छात्र संख्या को देखते हुए वहां पर एक ही अध्यापिका की आवश्यकता थी, जो वहां पर मौजूद है । एक अध्यापिका सरप्लस थी इसलिए उसका स्थानान्तरण कर दिया गया ।

न्यायाधीश नं० १ व २ जयपुर द्वारा निर्णीत मामले

१०६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जयपुर नगर में नगर न्यायाधीश नं० १, २ (सिटी मजिस्ट्रेट) के पास इस वर्ष में अब तक कितने मामले आये तथा उनमें से कितनों को सज़ा मिली व कितने छूट गये ? कृपया अलग अलग बतावें ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जयपुर नगर में नगर न्यायाधीशों के पास सन् ५७ तथा फरवरी ५८ तक मामले निम्न प्रकार आये :

सिटी मजिस्ट्रेट नं. १.	५५० मामले
सिटी मजिस्ट्रेट नं. २.	४२५ मामले

उपरोक्त प्राप्त मामलों में से सिटी मजिस्ट्रेट नं० १ ने २४६ मामले तय किये तथा नं० २ ने २६० मामले तय किये । तय शुदा मामलों में से सिटी मजिस्ट्रेट नं० १ के यहां ६४ प्रतिशत को सज़ा हुई तथा सिटी मजिस्ट्रेट नं० २ के यहां ४६ प्रतिशत को सज़ा हुई । और सिटी मजिस्ट्रेट नं० १ के यहां ३६ प्रतिशत छूटे तथा सिटी मजिस्ट्रेट नं० २ के यहां ५४ प्रतिशत छूटे ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो पर्सेन्टेज की भिन्नता है उसका कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हर एक अदालत में पर्सेन्टेज़ समान हो, यह तो हो नहीं सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ये सब कार्यवाहियां गवर्नमेंट प्रोसीक्यूटर के थ्रू होती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारी कार्यवाही में सिर्फ शहादतें पेश होती हैं, फैसला तो जज लोग करते है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें क्या गवर्नमेन्ट प्रोसीक्यूटर ट्रेन्ड नहीं होने के कारण ऐसी बात होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पर्सेन्टेज में डिफर होना, प्रोसीक्यूटर के कारण नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्वालिफाइड प्रोसीक्यूटर न होने के कारण इस प्रकार की बातें हो सकती हैं क्या ?

Page No.4

श्री रामकिशोर व्यास : एक अदालत में कुछ पर्सेन्टेज है, दूसरी अदालत में दूसरा पर्सेन्टेज; इस प्रकार सब अदालतों में कन्विक्टेड की समानता हो नहीं सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : क्वालिफाइड न होने के कारण क्या ऐसी बातें हो सकती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पैरोकारी की इसमें बात है ही नहीं।

कोटपुतली डाबला सड़क की मरम्मत

१०६२. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटपुतली से डाबला सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से सरकार को अब तक कितनी आमदनी हुई और खर्चा कितना हुआ ?

(ख) क्या पी० डब्ल्यु० डी० के उच्च अधिकारियों में से किसी ने इस मार्ग का कभी निरीक्षण किया है ?

(ग) यदि हां, तो किस किस ने और कब कब ?

(घ) क्या यह सही ही है कि बरसात में उपरोक्त मार्ग खराब होने की वजह से मोटरों का आवागमन बन्द रहता है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना बनाई है ?

(च) यदि हां, तो कब तक काम चालू किया जायेगा ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इसका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) लाभ की जानकारी नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) समय समय पर।

(ङ) जी हां, सिवाय वर्षा ऋतु के।

(च) इसका सम्बन्ध डाक-तार विभाग से है।

(छ) जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : यह जो सड़क ३६ साल पुरानी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसको नहीं लिया गया तो क्या इसी सड़क के लिये अर्थाभाव है या दूसरी सड़कों के लिये भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी सड़क के लिए नहीं बल्कि कई सड़कों का काम इसलिये नहीं हो सका कि अर्थाभाव है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि १२ गाड़ियां इस रूट पर चलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है यह यातायात विभाग से सम्बन्धित है।

कन्या पाठशाला थोई

१०६३. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कन्या पाठशाला थोई तहसील श्री माधोपुर में कितने समय से कोई भी अध्यापिका कार्य नहीं कर रही है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जो अध्यापिकायें वहां नियुक्त की जाती हैं वे अपने घर पर ही रह कर अपना वेतन लेती हैं और कन्या पाठशाला का कोई कार्य नहीं करतीं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) राज गर्ल्स स्कूल, थोई में दि० २०-६-५७ से १६-१-५८ तक कोई भी अध्यापिका नहीं थी।

(ख) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपने कैसे पता लगाया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां से जानकारी करके पता लगाया।

प्रश्न संख्या १०६४

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल।

मुर्गी पालन

१०६५. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितने गेम सेक्चुअरी, मुर्गीखाने, सूर पालने के केन्द्र, तथा गो-सदन, पिछले दो सालों में खोले गये ?

(२) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त चारों मुद्दों में से प्रति वर्ष का व्यय मुर्गी पालन में अधिक लगता है ?

उपकृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) आठ गेम सेक्चुअरी खोले गये। पिछले दो वर्षों में ७ कक्कुट विकास केन्द्र सूअर पालने का कोई केन्द्र नहीं खोला गया। एक गौ-सदन खोला गया। (२) जी नहीं। मुर्गी पालन पर अन्य मुद्दों से अधिक खर्च नहीं होता ?

श्री गिरधारीलाल : जो मुर्गीखाने आपने खोले है उनका सालाना खर्चा कितना होता है ?

श्री दौलतराम सारण : सात हजार रुपया प्रति केन्द्र पर सालाना होता है।

श्री गिरधारीलाल : और गौ-सदन पर?

श्री दौलतराम सारण : गौ सदन का खर्चा इस समय मेरे पास नहीं है, किन्तु मुर्गी-खानों से ज्यादा खर्चा होता है।

श्री गिरधारीलाल : मेरा प्रश्न है, गौ सदन पर कितना खर्चा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा अन्दाज है ३२-३३ हज़ार रुपया सालाना है।

श्री गिरधारीलाल : क्या आप पशु विकास की अपेक्षा मुर्गियों के विकास की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं जब कि आपने ७ मुर्गी खाने खोले हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गौ सदन में पशुओं का विकास नहीं होता, वहां तो रद्दी पशु रखे जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल : गायों की नस्ल-सुधार के लिये क्या करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : गौ सदन तो बेकार पशुओं के लिये होता है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिये अलग से महकमा है।

श्री गिरधारीलाल : गौ सदन की अपेक्षा आप मुर्गीखानों की ज्यादा आवश्यकता समझते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी चीजों की आवश्यकता है, मुर्गी खानों की भी, और गौ सदन की भी और सुअर खाने की भी।

Page No.6

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसमें लाभ होता है या नुकसान ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर्थिक दृष्टि से मुर्गीखानों से लोगों को बहुत लाभ हुआ है।

श्री गिरधारीलाल : सात हज़ार रुपया सालाना मुर्गीखाने पर खर्च करते हैं उससे सरकार को कितनी आमदनी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्यालय

१०६६ श्री **ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान की पुरानी राजधानियों जैसे जोधपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, आदि को उजड़ने से, बचाने के लिये भारत सरकार से कुछ कार्यालयों को राजस्थान के नगरों में भेजने का प्रयत्न किया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

अध्यापकों का फिक्सेशन

१०६८. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अध्यापकों के फिक्सेशन के बारे में पिछली विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया गया था, कि बहुत शीघ्र ही कर दिया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो क्या तहसील कोटपुतली के टीचर्स (जागीर टेक्निकल स्कूल के) का फिक्शेसन हो गया ?

(ग) क्या अकॉउन्टेन्ट जनरल के पास अन्तिम स्वीकृति स्टेटमेन्ट हेतु भेजे जा चुके हैं ? यदि हां तो कब ?

(घ) इस फिक्सेशन की सूचना अध्यापकों के पास कब तक भेजी जावेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) तहसील कोटपुतली के इन तमाम अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज़ तैयार करके महकमा हिसाब को काफी समय पूर्व भेजे जा चुके हैं, केवल उस कार्यालय से स्वीकृत होना बाकी है।

(ग) जी हां, माह मार्च व अप्रैल ५७ में।

(घ) महकमा हिसाब से स्वीकृति होकर आते ही, अध्यापकों को सूचना दे दी जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : इनके स्वीकृत होने की कब तक आशा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितना जल्दी हो सकेगा हम प्रयत्न में लगे हुए हैं।

श्री रामकरण सिंह : पहले सेशन में भी यही आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र होने की आशा है ?

श्री अध्यक्ष : अति शीघ्र हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा कि आप से निवेदन किया मार्च-अप्रेल १९५७ को फिक्सेशन स्टेटमेन्ट अकॉउन्टेन्टे जनरल को भेजे गये थे किन्तु अकाउन्टेन्ट जनरल की स्वीकृत होकर अभी तक आये नहीं हैं, आशा है जल्दी से जल्दी आ जायेंगे।

प्रश्न संख्या १०९९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

सड़क निर्माण, किशनगढ़

११००. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण व यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार को विदित है कि किशनगढ़ अराई रोड मदनगंज की सुमेर टाकीज़ से लगाकर शहर की बिजली खिड़की तक व यज्ञ द्वार से कचहरी चौक तक बहुत खराब हो रही है ?

(ब) यदि हां, तो क्या सरकार इसे दुरुस्त कराने का इरादा रखती है या नहीं ?

(स) अगर हां, तो इसका काम कब तक चालू कर दिया जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

'ब' तथा 'स' प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ११०१

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनाथसिंह।

सिंचाई योजनायें

११०२. **श्री शिवनाथसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुन्झुनू ज़िले में वित्तीय वर्ष १९५१-५२ से १९५७-५८ तक कितनी धन राशि माइनर, मीडियम तथा मेजर इर्रिगेशन स्कीम्स के तहत राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई ?

(२) क्या कांटली नदी का बांध बन्धवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है यदि हां तो, कब से और उसमें क्या प्रगति अभी तक की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि झुन्झुनू ज़िले की उदयपुर वाटी, तहसील में उदयपुर छापोली, बागोटा तथा पूंख स्थानों पर बांध बंध सकने की संभावनाओं की तरफ कलक्टर झुन्झुनू तथा एस० डी० ओ० नवलगढ़ द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या यह सही है कि अब तक की स्कीम्स के अनुसार झुन्झुनू ज़िले को किसी भी नहर से पानी नहीं मिलने वाला है ?

(५) यदि हां, तो सरकार इस ज़िले की सिंचाई की समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार रखती है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) झुन्झुनू ज़िले में वित्तीय वर्ष १९५१-५२ से १९५७-५८ तक सिंचाई योजना बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा २९९४ रु० की धन राशि उनकी सर्वे पर खर्च की जा चुकी है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) कांटली नदी सिंचाई योजना को बनाने के लिए सन् १९४९–५० से सर्वे जारी हैं, परन्तु बांध बनाने लायक उपयुक्त स्थान के अभाव में योजना बनाने में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

(३) हां, उदयपुर व पूंख योजनाओं की सर्वे हो चुकी है और तखमीने बनाये जा रहे हैं। छापोली व बगोटा योजनाओं की सर्वे के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये जा चुके हैं।

(४) पूंख तथा उदयपुर वाटी योजनायें आदि कार्यान्वित हुई तो झुन्झुनू ज़िले को पानी मिल सकेगा।

(५) इसकी जांच पड़ताल के लिए सरकारी विज्ञप्ति नं० एफ० ४–६ प्लॉन ए. ५८ दिनांक २३–१–५८ द्वारा निम्न व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई है।

१. चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन, चेयरमैन।

२. कलेक्टर झुन्झुनु, मेम्बर।

३. कलेक्टर सीकर, मेम्बर।

४. ठा० मदनसिंह नवलगढ़, मेम्बर।

५. सरदार हरलालसिंह, मेम्बर।

६. श्री रामेश्वर टांटिया, एम० पी०, मेम्बर।

७. श्री राधेश्याम मुरारका, एम० पी०, मेम्बर।

८. बाद में घोषित किया जायगा।

९. सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर इर्रिगेशन जयपुर सर्किल : मेम्बर सेक्रेट्री : उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट आने पर इस का निर्णय लिया जायगा।

माध्यमिक पाठशाला, अराई

११०३. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मिडिल स्कूल अराई को हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है जब कि वहां की जनता इस काम के लिये दस हज़ार रुपये देने को तैयार है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार इसे आगामी सत्र से हाई स्कूल बना देगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) आगामी सत्र से हायर सेकन्डरी स्कूल खोलते समय अन्य स्कूलों के साथ मिडिल स्कूल अराई के प्रश्न पर भी इसकी उपयुक्तानुसार, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अवश्य विचार किया जावेगा।

(ख) आगामी वर्ष इसकी उपयुक्तानुसार अवश्य विचार किया जावेगा।

अस्पर्शता निवारण कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले

११०४. श्री महादेवप्रसाद बंका (खेतड़ी) :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) छूआछूत कानून के अन्तर्गत सन् ५६-५७ में प्रत्येक ज़िले में कितने कितने मामले दर्ज किए गए ?

(ख) इन मामलों में से कितने विचाराधीन है और शेष में क्या क्या सजाएं दी गईं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) यह संख्या इस प्रकार है :

(श्री रामकिशोर व्यास)

जयपुर २२, अजमेर २, अलवर १०, भरतपुर ६, झुंझुनू ४, सीकर ७, सवाई माधोपुर—, टौंक ४, कोटा १५, बूंदी २०, झालावाड़ ५, जोधपुर ८, जालौर ३, नागौर ८, पाली १०, जैसलमेर १, बाड़मेर २, सिरोही—, बीकानेर १२, गंगानगर ६, चुरू १४, उदयपुर ११, भीलवाड़ा ३, डूंगरपुर १, बांसवाड़ा २, चित्तौड़गढ़ ।

(ख) इन मामलों में से ३१ में फाइनल रिपोर्ट दी गई । एक में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया । १४७ मुकदमात का चालान हुआ जिनमें ५४ में राजीनामा हुआ, २१ में मुलजिम बरी व रिहा हुए, ४३ मुकद्दमात जेर तजवीज़ अदालत हैं । २६ मुकदमों में सजा हुई । इनमें जुर्माना, सजा व कैद भी हुई है।

श्री पी. के. चौधरी : जयपुर के मामले में ऐसा मामला भी दर्ज है क्योंकि किसी हरिजन के नाम पर दूसरे सवर्ण की नियुक्ति की गई और नाम हरिजन रक्खा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है ।

पर्यटक केन्द्र

११०५. श्री सोहनलाल (सलूम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटक केन्द्रों के लिये कुल कितनी रकम कहां कहां खर्च की जायगी तथा कितनी रकम अब तक खर्च की गई है ?

(ख) क्या उक्त योजना में जय समन्द झील में नौकाओं के लिये भी कोई व्यवस्था है ?

(ग) यदि हां, सरकार इसके बारे में कब तक व्यवस्था करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटक केन्द्रों के लिये १५.१६ लाख रुपये रक्खे गये हैं, जो निम्न प्रकार से खर्च किये जावेंगे :

(१) सरकिट हाउस, उदयपुर में ६ कमरे और बनाने के लिये व सिलीशेड-अलवर के विकास के लिये १.५०

(२) चित्तौड़गढ़ में रेस्ट हाउस बनाने के लिये २.४०

(३) जयपुर और उदयपुर में लो इन्कम ग्रुप रेस्ट हाउस बनाने के लिये ३.००

(४) टूरिस्ट ब्यूरोज खोलने के लिये १.५०

(५) नाहरगढ़ फोर्ट में विकास के लिये ०.०६

(६) ट्युरिस्ट इन्टरेस्ट की जगहों में विकास तथा गलता रोड़ बनाने के लिये १.००

(७) पार्कस व बागों के विकास के लिये ०.४६

(८) अलवर तथा जोधपुर सरकिट हाउसेज में विकास के लिये १.००

(६) बोटिंग फेसिलीटीज के लिये ०.७५

(१०) अजमेर, पुस्कर टोडगढ़ में रेस्ट हाउस बनाने हेतु २.५०

०.७६

१.००

सन् १६५७'५८ में अब तक निम्न प्रकार खर्चा हो चुका है :

(१) उदयपुर व बूंदी में ट्युरिस्ट ब्यूरोज खोलने के लिये ३६७६.७५ न. पै.

(२) नाहरगढ़ फोर्ट में पानी, बिजली की व्यवस्था तथा मरम्मत आदि के लिये ६०००)

Page No.10

(श्री रामकिशोर व्यास)

(३) गलता रोड व ट्युरिस्ट इन्टरेस्ट की जगहों के विकास के लिये १००००)

(४) अलवर व जोधपुर सरकिट हाउसेज के विकास के लिये १००००)

(५) लो इन्कम ग्रुप रेस्ट हाउस जयपुर के निर्माण हेतु भूमि खरीदने में खर्च हुआ ६१५२)

(६) माउन्ट आबू, उदयपुर और अलवर में बोटिंग फैसीलिटी के लिये २२,०००) (उदयपुर ६५००), माउन्ट आ ८५००) और अलवर ७०००) रुपये।

(२) बोटिंग फैसीलिटीज़ के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७५ हजार रुपया खर्च किया जायेगा। यदि जयसमन्द झील में नौकाओं की व्यवस्था करने के लिये वहां की म्यूनिसिपैलिटी या अन्य संस्था आधा खर्चा उठाने के लिये तैयार हो जायेगी तो वहां नौकाओं की व्यवस्था कर दी जावेगी।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल : आइटम नम्बर ६ की रकम किस किस मद में खर्च ली जावेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इसकी डिटेल वर्क आउट नहीं की गई है। पर जैसे जैसे मालूम होता जायगा कि यह उचित है तो वैसे वे रुपया खर्च किया जावेगा। जैसे गलता रोड पर एक लाख रुपया खर्च किया जा चुका है।

श्री सोहनलाल : जयसमन्द ग्राम पंचायत की हालत ऐसी नहीं कि वह आधा खर्चा दे सके और जय-समन्द ऐसी जगह है जहां पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं तो क्या वहां सरकार बोट रखने की व्यवस्था करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबंध में उदयपुर म्युनिसिपैलटी के साथ बातचीत चल रही है।

श्री पी. के. चौधरी : ये पर्यटक केन्द्र किस आधार पर चुने जाते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर्यटकों की जहां पर दिलचस्पी होती है और जहां ज्यादा से ज्यादा वे आ सकते हैं और उनमें देखने के लिये ऐतिहासिक स्थान होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका पता किस प्रकार से लगाया जाता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत सरकार का पर्यटक विभाग है। जो भ्रमण करके तै करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसलमेर एक दर्शनीय स्थान है, सुन्दर इमारतें हैं पर आवागमन के साधन नहीं है, क्या उसे पर्यटक केन्द्र बनाया जा सकता है या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँच सकें इस लिहाज़ से वहां तक पूरी कोलतार की एक रोड बनाई जा रही है। इससे आने जाने की काफी सुविधा हो जावेगी।

श्री मनोहर कोठारी : क्या राजसमन्द झील में बोट का इन्तज़ाम करने की बात सोची जा रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

(हंसी)

चलचित्र प्रदर्शन

११०६. **श्री जयसिंह** (आसीन्द) : क्या यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा जिले में देहातियों के

Page No.11

(श्री जयसिंह)

लिये चलचित्र के प्रदर्शन हेतु राजस्थान सरकार की ओर से क्या कोई मशीन भेजी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) इस मशीन की क्या कीमत लगी है ?

(ग) इसके लिये कितना अमला किस किस वेतन का वहां कब से तैनात किया गया ?

(घ) इस मशीन का देहात में कहां कहां कब कब उपयोग किया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) भीलवाड़ा में एक प्रोजेक्टर सन् १९५० में सरकार द्वारा नियुक्त एक अर्द्ध सरकारी संस्था राजस्थान लोक शिक्षण मंडल द्वारा दिया गया था।

(ख) इस प्रोजेक्टर की कीमत ४३८०) रुपया लगी थी।

(ग) सरकार द्वारा एक ऑपरेटर नियुक्त किया गया जो ११।८।५६ से भी भीलवाड़ा में कार्य कर रहा है। ऑपरेटर के पद की वेतन श्रृंखला ६०।४।८०। ५। १०० ई बी ५।१३० है।

(घ) भीलवाड़ा खास, साहंपुरा और सलावाड़ी में अगस्त, १९५६ से जून १९५७ तक कुल २३ बार प्रदर्शन किये गये।

श्री जयसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के इस विभाग की अव्यवस्था के कारण वहां मशीनों के सहायक पुर्जे नहीं पहुंच पाये और स्टाफ दो महीने पहले आ गया, जिससे उनकी तनख्वाह वैसे ही बर्दाश्त करनी पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुर्जे वाली बात का पता नहीं। आपने जानकारी दी है।

श्री जयसिंह : जानकारी देने पर क्या आप अब जांच करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, जरूर करेंगे।

बुनकर उत्पादक सहकारी समितियां बाड़मेर

११०७ **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बाड़मेर में बुनकरों द्वारा उत्पादक सहकारी समितियां खोली गई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी ? सूची देने का कष्ट करें।

(२) क्या बुनकरों ने ऋण के लिये सरकार को आवेदन दिये ? यदि हां, तो क्या, सरकार ने उनको ऋण दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त बुनकरों को अब शीघ्र ही ऋण दिलवाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, जुलाई १९५२ से। २० समितियां खोली गई हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां, सात समितियों को ऋण मिल चुका है। शेष समितियों के ऋण के प्रार्थना पत्र तैयार किये जा रहे हैं व यथा सम्भव शीघ्र ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जावेगी ?

(३) उत्तर भाग २ में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अनूपसिंह : अब तक कितना ऋण वितरित हो चुका है ?

Page No.12

श्री दौलतराम सारण : इनमें से सात को ऋण दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या ११०८

श्री अध्यक्ष : श्री दलतपसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदीलाल

जगर बांध, हिन्डोन

११०६. श्री उम्मेदीलाल (करौली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सरकार हिन्डौन इलाके के जगर बान्ध से दक्षिणी इलाके के लिए नहर निकालने का इरादा रखती है ?

(ख) अगर नहीं तो क्यों ?

(ग) अगर रखती है तो क्या यह कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर-व्यास) : (क) नहीं।

(ख) हिन्डोन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके का धरातल बहुत ऊंचा होने के कारण जगर बान्ध से कोई नहर निकालने की तज़वीज होनी मुमकिन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय मन्त्री महोदय अगर चाहें तो जो चाहें सो कर सकते हैं वह आसमान में हवाई जहाज चला सकते हैं । हिन्डोन की पूरी जनता को इससे कष्ट होता है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

खादी हुँडी

१११०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग व व्यवसाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

खादी हुंडियों का कितना रुपया किस २ में बकाया है तथा इसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या क्या कदम अब तक उठाये हैं ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) खादी हुँडियों की रकम अभी तक निम्न प्रकार अवशेष है :

(१) श्री रामरतनजी कोचर	४,२००)
(२) श्री आयुक्त, जोधपुर	४००)
(३) श्री आयुक्त, उदयपुर	१००)
(४) श्री ओमदत्त शास्त्री	३०)
योग	४७३०)

इस रकम को प्राप्त करने के लिये समय समय पर तकाजे किये गये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : रामरतनजी में इतनी रकम कब से बकाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऐसा है । मूल रकम वैसे ४३६३) थी ५६-५७ में और कुछ देने के बाद ५७-५८ में यह ४,२०० शेष रही ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि पत्र भी लिखा गया, नोटिस भी दिया गया है कि जल्दी से जल्दी रकम अदा करदो और अपना हिसाब साफ करदो ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकारी रकम जल्दी वसूल नहीं होगी तो सख्त कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं देंगे तो सख्त कार्यवाही की जावेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : नोटिस कब दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नोटिस की तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन चिट्ठियां लिख दी गई और नोटिस भी दिये गये । अभी सन् ५७–५८ में दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

आत्म हत्याएं

११११. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में आत्म हत्या की कितनी घटनाएं सन् ५७ में हुई ? उनकी ज़िलावार सूची प्रस्तुत करें ?

(ख) उक्त आत्म हत्याओं में बेकारी से कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् १९५७ में २८२ व्यक्तियों ने आत्म हत्याएं कीं ।

(ख) एक भी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : आत्मा की भी हत्या होती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कुछ मजहबों में होती है ।

श्री गिरधारीलाल : आपके मजहब के माफिक होती है क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

सड़क निर्माण झुन्झनू

१११२. **श्री शिवनाथसिंह** (गूढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील पक्की सड़क बनाने की योजना थी और उसमें से कितनी मील बनी है और कितनी अभी तक नहीं बन पाई है ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में झुंझुनू जिले में सन् १९५७–५८ के अन्त तक कितने मील पक्की सड़क बनने को थी, व उसमें से कितनी बन कर तैयार हो गई है ?

(३) ऐसे कौन से कारण या बाधायें हैं जिनकी वजह से झुंझनू जिले में सड़क तथा भवन निर्माण का कार्य अन्य जिलों की अपेक्षा इतनी मन्द गति से चल रहा है ?

(४) असिस्टेंट इन्जीनियर, झुंझनू के अधिकार में कितने मील लम्बा चौड़ा क्षेत्र है तथा उसके पास कामों को सुपरवाईज करने के लिए क्या क्या साधन हैं और क्या वे साधन अपर्याप्त हैं ?

(५) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मंजूर शुदा सड़कों को क्या पूरा कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ४२॥। मील । २४॥। मील की नई सड़क तथा १० मील की डामर कराई । ७ मील लम्बी सड़क नहीं बन पाई है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) २५ मील लगभग २० मील का सामान इकट्ठा है सिर्फ कुटाई बाकी है ।

(३) रेतीला क्षेत्र, यातायात के साधन तथा ठेकेदारों का अभाव, पानी व कंकर, पत्थर मिलने में कठिनाई रोलर्स की कमी आदि आदि ।

(४) २८८६ मील का । एक जीप गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत की गई है । जिसके खरीदने की कार्यवाही जारी है ।

(५) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ।

श्री शिवनाथसिंह : यह जो आपने बताया कि ठेकेदारों की कमी है और कंकर और पत्थरों की कमी है । तो झुंझनू के अलावा और भी ज़िले ऐसे हैं जहां यह कमियां हैं और फिर भी वहां सड़कें बनी हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सीकर और झुंझनू, यह दो ही ऐसे ज़िले हैं जहां ठेकेदारों की कमी है । खासतौर से ठेकेदारों की कमी है । खास तौर से ठेकेदारों की कमी का बहुत मोटा कारण है ।

श्री शिवनाथसिंह : ठेकेदारों की कमी का क्या कारण है ? क्या रेट्स ठीक नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेट्स तो ठीक कर दी गई हैं । हमने बाहर से भी कॉन्ट्रेक्टर्स की बड़ी बड़ी फर्म्स को बुलाया और उनको कहा कि इतने बड़े बड़े काम हैं और वह सब देख कर भी गए लेकिन वे भी नहीं आये । फिर दूसरी जगह से ठेकेदारों को बुलाया गया और उनको कुछ सहूलियतें दी हैं । फिर वहां काम हुआ है । अभी हमने कुछ ट्रेक्टर्स और ट्रालीज़ भी खरीदी हैं और कुछ प्रोग्रेस बढ़ी है । यह कहना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक आपका जितना प्रोवीज़न इस साल का है और जितना पहली पंचवर्षीय योजना का है वह सारा युटीलाइज़ कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

विकास खंड-झालावाड़

१११३. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या विकास व योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) झालावाड़ जिले में कितने विकास खण्ड कहां कहां और कब खोले गये ?

(२) अब तक इन विकास कार्य पर सरकार ने कितना धन खर्च किया और जनता ने कितना धन तथा श्रम के रूप में सहयोग दिया ?

(३) उक्त धनराशि से कौन कौन से विकास कार्य तैयार किये गये ?

विकास व योजना मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (१) दो । झालरापाटन अक्टूबर सन् १९५५ में व खानपुर अक्टूबर सन् १९५६ में ।

(२) इन विकास खण्डों में सरकार द्वारा ५,२६,९१५) रुपये खर्च किये गए तथा जनता ने ५२, ३५९ रुपये २५ नये पैसे की धनराशि दी व ७,२०,७०७ रुपये के मूल्य का श्रम किया ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : विकास कार्य कौन कौन से हुए इसकी भी सूची दी गई है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह सारी सूची है।

प्रश्न संख्या १११४

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १११५

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल

वितद्यु वितरण, मकराना

१११६. **श्री जेठमल** (नावा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मकराना में मारबल इन्डस्ट्रीज़ की उन्नति के लिए सरकार का वहां शीघ्र ही पॉवर हाउस स्थापित करने व सस्ती दर पर बिजली देने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मकराना में कोई विद्युत गृह बनाने का विचार नहीं है। किन्तु जयपुर बिजली घर से ट्रान्समिशन लाइन द्वारा बिजली दी जावेगी व उसके पश्चात चम्बल पावर योजना से रियायती दरों पर बिजली देने का कोई विचार नहीं है साधारण दरों पर ही बिजली दी जा सकेगी।

(ख) सम्भवतः सन् १९६० तक।

श्री मुरलीधर व्यास : मकराना इन्डस्ट्रीज का पॉवर हाउस से क्या ताल्लुक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पत्थर निकालने का।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पॉवर हाउस से मकराना इन्डस्ट्रीज़ की उन्नति हो सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, बिजली से हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : पत्थर काटने के लिए, उठाने के लिए और दूसरे कामों में बिजली काम आती है।

प्रश्न संख्या १११७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १११८

श्री शीशराम

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोतीबाबा चौधरी।

सुमेरपुर में बिजली लगाने की योजना

१११९. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की सुमेरपुर में बिजली लगाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो वहां से कहां कहां पर बिजली सप्लाई की जायेगी और यह कार्य कब तक चालू किया जायेगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां।

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) सुमेरपुर और श्योगंज तथा आसपास के कस्बों में बिजली सप्लाई की जा सकेगी तथा इसका कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

पशु चिकित्सालय

११२०. **श्री तेजाराम गहलोत**(सोजत) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय के डॉक्टर व स्टाकमैन कम्पाउन्डरों को महीने में १५ व २० दिन तक अनिवार्य दौरा करना पड़ता है ?

(२) क्या यह बात सही है कि उन लोगों को छः मास से भत्ता नहीं मिल रहा है और उनको अनिवार्य दौरा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है ।

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) हां ।

(२) बजट के अभाव से कुछ लोगों को भत्ता नहीं मिला है । भत्ते के बजट में कमी के कारण दौरा ५ मील के दायरे में ही किया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह १५,१२० दिन दौरे के लिए अनिवार्य क्यों रखे गये हैं; जैसा आपने अभी हां कहा ?

श्री दौलतराम सारण : महीने १५ दिन इसलिए अनिवार्य रखे गये हैं कि ऐसा करना पशु नसल सुधार के लिए जरूरी है । इसके लिए वह किसानों को सलाह मशवरा देते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : बजट में कमी होने के कारण, क्या बजट के लिए ज्यादा की मांग की थी और की थी तो कब की थी ?

श्री दौलतराम सारण : करीब २०० लोगों का भत्ता बाकी है और १६००० रुपये की कमी पड़ी जो इस साल करीब २४००० की मद की डिमान्ड की है, वह सैंक्शन हो कर दे दी जायेगी ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने अभी कहा कि ५ मील के एरिया में दौरा रखा है तो क्या आपने यह जांच की पांच मील के के एरिया में ऐसे भी हैं कि गांव ही नहीं हैं । फिर वहां दौरा किसके द्वारा कराते हैं । अगर वहां दौरा नहीं करें तो क्या नियम लागू नहीं होते हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसे बहुत कम इलाके हैं जहां पांच मील में कोई गांव ही न हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह अनिवार्य दौरा होता है तो उनके दौरे की रिपोर्ट आपकी दी जाती है कि उनके दौरे से क्या-क्या लाभ हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे स्टेज तक आने की जरूरत नहीं है । नीचे भी बहुत ऑफिसर मौजूद हैं । फिर भी उनकी रिपोर्ट आती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसा हो सकता है कि आवश्यक रूप से भी दौरे पर चले जायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अनावश्यक रूप से नहीं । गांव में कहीं न कहीं जायेंगे तो भी काम की बात करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

Page No.17

कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन

११२१. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मन्त्री, उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सन् १९५०-५१ से अब तक प्रतिवर्ष कितनी नई कम्पनियें रजिस्टर की गई ?

(२) इनमें से कितनी प्रति वर्ष स्वतः समाप्त हो गई अथवा रजिस्ट्रेशन से पृथक कर दी गई ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

सन्	रजिस्टर हुई
१९५०-५१	५८ ,,
१९५१-५२	५४ ,,
१९५२-५३	२८ ,,
१९५३-५४	२९ ,,
१९५४-५५	२४ ,,
१९५५-५६	२५ ,,
१९५६-५७	१८ ,,
योग	२३६

	रजिस्टर से पृथक की गई	दूसरे प्रान्त को दे दी गई ।
१९५०-५१	—	—
१९५१-५२	२	१
१९५२-५३	१	—
१९५३-५४	६	—
१९५४-५५	७	—
१९५५-५६	२	—
१९५६-५७	३	—
योग	१२	१

श्री तनसिंह : क्या इस बात के कारणों की जांच की गई कि यह उत्तरोत्तर जो १९५०-५१ से लेकर ५६-५७ तक कम्पनियों की रजिस्ट्री कम क्यों होती जा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कम्पनीज के बनने का जहां तक तालुक है वह कोई सरकार तो बनाती नहीं । बहरहाल आज कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनती है वह रजिस्टर होती है । तो अब तक जितनी भी कम्पनीज़ बनी उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है ।

श्री तनसिंह : सरकार की क्या यह नीति है कि कम्पनी बनाने में प्रोत्साहन दिया जाय या क्या यह नीति है कि प्रोत्साहन नहीं दिया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार का प्रोत्साहन वहां पर पैदा नहीं होता है । कम्पनी बनाने के लिए कम्पनी एक्ट के तहत प्रमोटर्स किसी कम्पनी को रजिस्टर करने के लिये एप्लाई करते हैं । अगर वे करते हैं तो रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर्ड कर सकता है । इसके अलावा यह ऐसी चीज है कि जिसमें सरकार कोई अपना पार्ट प्ले नहीं करती है ।

प्रश्न संख्या ११२२

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री महादेवप्रसाद बंका ।

यातायात कर

११२३. श्री महादेवप्रसाद बंका (कोटड़ी) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा प्रान्त में बाहर से आने वाले भार , टैक्सी व यात्री वाहनों से कितना २ टैक्स किस हिसाब से लिया जाता है ?

Page No.18

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : राजस्थान मोटर विहीकल्स टैक्सेशन एक्ट के के अन्तर्गत बाहर से आने वाली ट्रान्सपोर्ट विहीकल्स से निम्न डेली टैक्स लिया जाता है।

१. हेवी विहीकल्स १५ रु० प्रति दिन।

२. लाइट विहीकल्स १० रु० प्रति दिन।

प्रश्न संख्या ११२४

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री बीरका।

भावरी, सिल्दर रोड।

११२५. **श्री बीरका** (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

गांव भावरी तहसील पिन्डवाड़ा से जो सड़क सिल्दर तक-वाया मेडा जाती है उसको सरकार कब तक पक्की बनाने का विचार रखती है?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) । अभी कोई विचार नहीं है।

विकास केन्द्रों की स्थापना, सिकराय

११२६. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा) : क्या सामुदायिक विकास व योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार सिकराय तहसील में विकास केन्द्र खोलना चाहती है?

(२) यदि हां, तो कब तक तथा अब तक न खोलने का क्या कारण है?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) कब तक खोल दिया जायगा यह अभी निश्चित नहीं है। सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है। अब तक न खोलने का कोई विशेष कारण नहीं।

श्री गज्जा पटेल : यह कमेटी ही खत्म हो जायगी उस वक्त तक तो।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सन् १९६३ तक सारी स्टेट के अन्दर इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

प्रश्न संख्या ११२७ व ११२८

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : भैरोंसिंह जी का एक प्रश्न है उसका जवाब दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय बाकी रह गया इसलिए दे दें।

प्राइवेट संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता.

११०१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल सन् १९५६ से ३ फरवरी सन् १९५८ तक किस प्राइवेट शिक्षण संस्था को एडहॉक बेसिस पर एड दी गई या दिये जाने के आदेश दिये गये? प्रत्येक का कारण बताया जावे?

(ख) जिन संस्थाओं को ऐसी सहायता दी गई है उनका वार्षिक बजट कितना है और

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

किस पर्सेन्टेज से कितनी धनराशि ग्रान्ट इन एड के रूप में प्राप्त होती रहती है ?

(ग) एक हॉक बेसिस पर एड दिलावाने का क्या आधार है और उपरोक्त समय में कितने धन का व्ययगमन (लैप्स हुआ है, और क्यों ?

उत्तर अधिक लम्बा होने की सूरत में इनका उत्तर सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तथा कारण भी हर एक नाम के आगे बता दिया गया है ।

(ख) इसका विवरण भी सूची के कॉलम ५, ६ व ७ में अङ्कित है ।

(ग) जिस आधार पर एड हॉक बेसिस पर एड दी गई, उसका कारण सूची के कॉलम ४ में अङ्कित है । कोई रकम लैप्स नहीं हुई ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : सूची तो है हीं नहीं, बिना सूची के ऐसे ही रहे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

श्री अनोपसिंह : इसका उत्तर दे दें ।

हाउसिंग स्कीम, माउन्ट आबू

११०८. **श्री अनोपसिंह** (श्री दलपत सिंह की अनुपस्थिति में) : क्या विकास व योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

माउन्ट आबू पर जनरल पब्लिक के ठहरने के हेतु हाउसिंग स्कीम के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माउन्ट आबू में सर्कट हाउस व कुछ डाक बंगले शुरू किये जा रहे हैं । जिनके खालीं होने की दशा में जनरल पब्लिक उनमें किराया देकर ठहर सकती है । अन्य कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : मध्यवर्गीय ट्यूरिस्ट वहां पर आते हैं उनके लिये कोई ऐसी योजना ठहरने के लिए नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस वर्ष में हम कुछ मकान इस लायक ठीक कर रहे हैं कि जिनमें उनको सुविधा, प्राप्त हो सके या ज्यादा आवश्यकता हुई तो उसके बाद में ओल्ड अलवर हाउस को भी इस काम के लिए तैयार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

डॉ० बहादुरसिंह : इसका उत्तर दे दें ।

पब्लिक रिलेशन्स के डाइरेक्टर द्वारा बिलों की भुगतान

१११४. **डा० बहादुरसिंह** : (श्री पी. के. चौधरी की अनुपस्थिति में) : Will the Minister in charge of Public Relations be pleased to state :

Is it correct that the bills for the printing of the pamphlet 'Second Five Year Plan' (Hindi) valued at Rs. 5,000/- for block making for the posters issued at the time of Rajasthan Exhibition, 1956, valued at Rs. 7500/- for printing and block

Page No.20

(डॉ० बहादुरसिंह)

making of 'Sanyukta Rajasthan' and 'Vikas' during the year 1956-57 and for block making of National Calander of 1956-57. valued over Rs. 5,000/- were splitted up and payment thereof arranged by the D. P. R. without obtaining prior sanction of the Government ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : The bill for the printing of the booklet entitled 'Second Five Year Plan' (Hindi) was for Rs. 1,878/- and not for Rs. 5,000/- as stated in the question. The payment was within the powers of the Director of Public Relations.

Payment of blocks in respect of 15 photographic posters was arranged on separate bills considering each poster as a separate publication. Total payment made amounted to Rs. 5,625/- and not Rs. 7,500/-.

Printing, block making and cost of paper etc. are different works. The cost of each work in respect of both the 'Vikas' and 'Sanyukta Rajasthan' has never exceeded the limits of the powers of the D. P. R. and as such the question of obtaining prior Government sanction does not arise.

No payment has so far been made in this respect.

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

सरकारी भवन देवली

१११५. श्री लालूराम टाटावत (टोंक) (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा देवली, सब डिविजन केकड़ी में सरकारी इमारतें कितनी कितनी हैं ?

(ख) उक्त इमारतें किसी उपयोग में आ रही हैं या खाली पड़ी हुई हैं ? अगर खाली पड़ी हैं, तो कितनी तथा उनकी देख रेख कौन करता है और उनकी मरम्मत में प्रति वर्ष कितना कितना खर्चा किया जाता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) कस्बा देवली में राजस्थान सरकार की सात इमारतें है जिसकी सूची इसके साथ संलग्न है । अन्य इमारतें केन्द्रीय सरकार की है जिनको हस्तान्तर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) राजस्थान सरकार की इमारतों का का उपयोग संलग्न सूची में दिया गया है । केन्द्रीय सरकार की खाली पड़ी हुई इमारतों की लिस्ट संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

केन्द्रीय सरकार की इमारतों के अलावा अन्य सात इमारतों की देखरेख निर्माण विभाग करता है । प्रतिवर्ष कितना खर्चा आता है । इसकी सूचना संबंधित विभाग से पूछी गई है । आने पर प्रस्तुत की जायगी ।

प्रश्न संख्या १११७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शशिराम ।

(अनुपस्थित)

Page No.21

श्री गिरधारीलाल : इसका उत्तर दे दें।

डिस्ट्रिक्ट पूल की जीप का उपयोग

११११८. श्री गिरधारीलाल (श्री शीशराम की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट पूल की जीप को कौन २ अफसरान काम में ले सकते हैं ?

(ख) क्या यह व्यवस्था सब जिलों में एक सी ही है या अलग २ है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) डिस्ट्रिक्ट पूल की जीप को मुख्य विभागों के प्रधान, विभागीय अध्यक्ष तथा उप अध्यक्ष, जिलाधीश, कार्यपालन अभियन्ता पथ एवं सिंचाई एवं अन्य अधिकारीगण जिन्हें शासन द्वारा विशेष रूप से अधिकार दिये गये हों, काम में ले सकते हैं।

(ख) सब जिलों में एक सी ही व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्री गोकुलन्द : प्रश्न संख्या ११२२।

थानेदारों की नियुक्तियां व स्थानान्तरण, रामगढ़ (अलवर)

११२२. श्री गोकुलचन्द (श्रीमती गंगा देवी डाटा की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) मार्च १९५७ से अब तक रामगढ़ थाना अलवर में कितने थानेदार भेजे गये ?

(ख) प्रत्येक का नाम और कार्यकाल क्या था ?

(ग) किन २ कारणों से उनके तबादले किये गये ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) मार्च १९५७ से अब तक थाना रामगढ़ में ५ थानेदार रहे।

(ख) श्री महाराजसिंह, श्री धीरेन्द्रसिंह, श्री शिवलाल, श्री उदयलाल और श्री नरेन्द्र कुमार।

(ग) यह तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स पर किये गये थे।

श्री मुरलीधर व्यास : किन कारणों से किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडमिमिस्ट्रेटिव रीजन्स से।

श्री मुरलीधर व्यास : वे क्या थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास : श्री महाराजसिंह जो वहां पर थे उनको एक एन्क्वायरी के सिलसिले में बुलाया गया था। उनके बजाय दूसरे आदमी को भेजा गया था। उनके पश्चात दूसरी जगह हुई और एन्क्वायरी कम्प्लीट हो गई तो पर्मानेन्ट पोस्टिंग के लिए आदमी भेजा गया यह तीसरा हो गया। उसके बाद में जो गये थे वे स्पोर्टसमेन थे। उदयपुर और जोधपुर में टूर्नामेन्ट्स थे उनको वहां भेजा गया। उनके बजाय दूसरे भेजे गये। इस तरह से यह पांच हो गये।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

श्री अनूपसिंह : इसका उत्तर दे दें।

Page No.22

अनादरा-कसरी सड़क

११२७. **श्री अनूपसिंह** (श्री दलपतसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या खेदर तहसील में अनादरा से कसरी तक सड़क का कार्य रुका पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो क्यों और अब वह कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माणमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां।

(२) क्योंकि ठेकेदार श्री मोदी ने काम बन्द कर दिया था और अब जल्दी ही शुरू कर दिया जावेगा।

श्री अनूपसिंह : जल्दी की कोई अवधि या पीरियड नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी तो आमतौर से जल्दी ही है।

आबूरोड से भंडार के बीच करूटी की रपट का काम

११२८. **श्री अनूपसिंह** (श्री दलपतसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आबू रोड से भंडार के बीच में करूटी की रपट का काम कई अर्से से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) उपरोक्त कार्य कब तक पुन : शुरू हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां, क्योंकि नदी में पानी भरने की वजह से बुनियादें नहीं खुद सकी।

(२) यह कार्य शुरू कर दिया गया है।

१२ • म.प०

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियां, १९५८-५९ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक ३ अप्रेल, १९५८ को किये गये चुनावों के फलस्वरूप जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के लिये निम्न सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया जाता है :

जनलेखा समिति

१. श्रीमती गौरीपूनिया।
२. श्री परसराम।
३. श्री भवनी शंकर।
४. श्री भीमसेन।
५. श्री भैरोंसिंह।
६. श्री लच्छूराम।
७. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।
८. श्री सज्जनसिंह।
९. श्री हरिदेव जोशी।
१०. श्री होतीलाल।

प्राक्कलन समिति

१. श्रीमती कमला श्रोत्रिय।
२. श्री चुन्नीलाल।
३. श्री जगदीश प्रसाद।
४. श्री दयाकृष्ण विजय।
५. श्री नाथूलाल।
६. श्रीमती प्रभा मिश्रा।
७. श्री बालमुकन्द।
८. श्री भोलानाथ।

Page No.23

(श्री अध्यक्ष)

६. श्री मोतीलाल चौधरी।

१०. श्री मोहब्बतसिंह।

११. श्री रघुवीरसिंह।

१२. श्री रामदेवसिंह।

१३. श्री लालूराम।

१४. श्री लक्ष्मण हीरात।

१५. श्री शंकरलाल।

जनलेखा तथा प्राक्कलन समिति का कार्यकाल १४ मई, १९५८ से प्रारम्भ होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकाराम पालीवाल एक बयान देंगे।

विधायी कार्य

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७

(पूर्वक्रम से विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं एक तो यह कि राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट बिल, १९५७ को कमेटी को रेफर किया जाय। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रस्ताव यह है कि राजस्थान शोप्स एंड कमर्शियल एस्टाब्लिशमेन्ट बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(श्री टीकाराम पालीवाल द्वारा वक्तव्य देने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : हमने दूसरा कार्य शुरू किया है।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय के कुछ संशोधन हैं। उपस्थित नहीं थे।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष ....

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर क्लाज १ के अन्दर मेरे संशोधन हैं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज १ बाद में लिया जायगा।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्लाज २ पर चार संशोधन हैं; चारों एक साथ मूव करदूं क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब एक साथ मूव कर दें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : मेरा पहला संशोधन यह है। "Substitute the words 'any purpose what-so-ever' for the words' the service of any customer, or for any business connected with the establishment' occuring in part (2) क्लाज २ के सब क्लाज(२)में 'क्लोज्ड' की डेफिनिशन दी गई है उसका अभिप्राय मौजूद एक्ट में यह है : "any business connected' with the establishment." यह जो डेफिनेशन दी गई है उसका अभिप्राय यह जाहिर होता है कि यों तो वह दुकान कस्टमर या ग्राहक के कार्य लिये बन्द कर दी जाय, लेकिन ऐसा कार्य जो संस्था या दुकान के लेन देन के सिलसिले में हो या बिक्री न की जाय, इस कार्य के अतिरिक्त

(श्री तनसिंह)

यदि खुली रहे तो वह क्लोज्ड मानी जायेगी। असल में बात यह है कि यहां पर वीकली होलीडेज़ का प्रचलन है उसको हमने देखा है और अच्छी तरह से मालूम है कि कानून की मंशा होते हुए भी दुकानदार इस तरह से फायदा उठाते हैं कि दुकान तो खुली है, लेकिन उसका दरवाज़ा पूरी तरह से खुला नहीं रखते हैं बल्कि एक दरवाजा खुला रखते हैं और कहीं कहीं कहीं तो मुड़वे दरवाजे होते हैं उनका एक मोड़ खुला रखते हैं जिसमें से मुश्किल से पतला आदमी भी निकल सकता है और मालिक वगैरह अन्दर बैठे रहते हैं। उनका अभिप्राय यह होता है कि अन्दर बैठकर हिसाब वगैरह करते हैं या सफाई करते हैं, लेकिन लेन देन नहीं करते हैं, स्टोक का मिलान कर रहे हैं और कोई खास बात नहीं है, कोई ग्राहक वहां पर आते हैं तो इधर उधर देखकर गौर करके, यदि पूरा पड़ जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता है तो लेन देन या बिक्री भी कर देते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे जो इन्सपेक्टर्स मुकर्रर हैं वे पता लगाते है, लेकिन आपके इन्सपेक्टर्स चाहे जितनी ही ज्यादा संख्या में हों, वे पूरी तरह से देख नहीं सकते। आप और हम सब लोग चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन दुकान बन्द रखनी चाहिये तो उसके लिये सीधी सी बात यह है कि दुकान को बिल्कुल ही क्लोज़ किया जाय। मेरा संशोधन यदि स्वीकार होता है तो सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार बनता है: "Closed means not open for the service of any customer or for any purpose whatsoever."

इसका अभिप्राय यह है कि वह दुकान बिल्कुल ही खुले नहीं, चाहे हवा ही लेनी हो चाहे प्रकाश ही लेना हो, लेकिन फिर भी एक दिन के लिये तो खुले ही नहीं। यदि इस कानून को जो नये रूप में शुरू हो रहा है उसको लागू ही करना है तब तो सख्ती से इस प्रकार का प्रावधान करना पड़ेगा, जिससे जो लोग फायदा उठाते हैं कानून की गुंजायश से वे अनुचित फायदा नहीं उठा सकें और वास्तविक रूप में यह प्रयोग में जा सके।

अब यह होगा कि एक दिन के लिये दुकान बन्द करदी जायगी तो दुकानदार को सफाई करने का मौका कब मिलेगा और दुकान का मालिक क्या करेगा, वह अपने फालतू समय का कहां प्रयोग करेगा। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो मैनेजर को रखते हैं और उसको सारे एक्ट में छूट दी जाती है, ओवर टाइम काम करने के लिये तो भी कोई बात नहीं। फिर वह किस मर्ज की दवा होगा। स्टोक का काम वह कर सकता है। झाड़ू निकालने का काम इतना गम्भीर नहीं है कि एक दिन नहीं निकाल जायगा तो पहाड़ टूट जायगा। वैसे सफाई का काम रोज़ होता है जिसके यहां सफाई का काम रोज नहीं होता है, उसके वहां ७ दिन के बाद भी सफाई करने की क्या आवश्यकता है। ७ दिनों में एक दिन बन्द रखने में या क्लाज्ड में गुंजायश रखदें तो दुकानदार लोग दुकान का दरवाज़ा खोल कर मैनेजर के नाम से, एजेन्ट के नाम से खुला कर कर्मचारियों को भी बुलाना चाहेंगे, तो आप इस प्रकार की डेफिनिशन रख उनको छूट दे रहे हैं, उससे कर्मचारियों का एक्साप्लोयटेशन नहीं रुक सकेगा। चाहे हार्डशिप ही हो, लेकिन एक दिन के लिये तो दुकान खुली रखना अपराध माना जाय और दुकान का सम्पूर्णतः बन्द रहे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट है कि: "Substitute" 10 p.m." for " 10 a.m." occuring in part (11)." इसमें नाइट की डेफिनिशन यह दी गई है : " 'Night' means a period of atleast 12 consecutive hours

Page No.25

(श्री तनसिंह)

which shall include the interval between 10 a.m. and 6 a.m." मेरा ख्याल है कि शायद मिस प्रिन्ट हो गया है···· यह है····तब कोई बात नहीं है। मैंने खूब सोची ए. एम., पी. एम. की बात, तब यह लगा कि यह झमेला प्रिन्टिंग का है। यह साधारण बात है इसको आप स्वीकार कर लेंगे।

तीसरा अमेंडमेंट मेरा यह है : Substitute the words "purpose whatsoever" for the words "business connected with the establishment occuring in part (12)." पार्ट १२ है ओपन का, जो क्लोज्ड की डेफिनिश है, उसी के अनुसार ओपन की डेफिनिश तब्दील की गई है। अगर पहला अमेंडमेंट स्वीकार होता है, तब तो इस अमेंडमेंड को स्वीकार करना आवश्यक होगा। अगर पहला अमेंडमेंट अस्वीकार होता, तो इस अमेंडमेंट पर बोल कर समय लेना बेकार है।

चौथा अमेंडमेंट मेरा यह है : "Substitute the following part for part (14). "prescribed" in relation to an authority or otherwise means prescribed by the rules made under this Act." यह १४ पार्ट की जगह लिखा है, यहां पर यह है : (14), prescribed authority' means the authority prescribed by the rules made under this Act. यह मैंने इसलिए रखा है कि यह जो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी की डेफिनिशन दी गई है, लेकिन इस बिल में कई जगह केवल प्रेस्क्राइब्ड शब्द आया है। तो दोनों चीजों को यह कवर अप कर लेता : "(14) 'prescribed' in relation to an authority or otherwise means prescribed by the rules made under this Act." यह भाषा की दृष्टि से, जहां तक मेरा ख्याल है, दोनों को कवर कर लेता है, प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी को और रूल्स के अनुसार जो प्रेस्क्राइब करना है, इन दोनों के सम्बन्ध में, न्यूली प्रपोज्ड, सब्सटीट्यूटेड १४ पार्ट है, ठीक है। इन चारों संशोधनों को मैं इन दलीलों के साथ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर चार अमेंडमेंट्स हैं........

डा० चन्द्रकला : इसमें और संशोधन हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अपने अमेंडमेन्ट मूव कर रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं :

(1) In part (3) :

(a) Insert 'a' before 'hotel' and,

(b) Substitute 'every such establishment' for 'such establishments.'

(2) In part (5), substitute 'or' for 'and' in line 2.

(3) In part (11), substitute '10 p. m.'

(4) In part (20), substitute 'day' for 'night.'

ये अर्स रह गई हैं प्रिन्टिंग में या वैसे, उनको करेक्ट करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुर सिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ दो में मेरे दो संशोधन हैं। पहला (1) "Substitute the words 'any purpose' for the Serice of any business connected with the establi-

(डॉ० बहादुरसिंह)

shment' occurring in pat (2)." तो है, इसका तात्पर्य जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया कि अगर वास्तव में यह कानून बनाना चाहते हैं और लोगों को राहत देना चाहते हैं, तो दुकान को टोटली बन्द रखना चाहिये। अगर जरा भी इस प्रकार की छूट दे दी और किसी न किसी बहाने से दुकान खोल ली। अगर दुकान खुलती है तो मजबूरन नौकर आते हैं, क्योंकि उनको मालिक का लिहाज रखना पड़ता है। वे सोचेंगे कि जब मालिक आयेगा तो वे तो भी पहुँचे और काम करें। इसलिए मेरा दृष्टिकोण यह था कि उसे किसी प्रकार भी दुकान को नहीं खोलने देना चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन पार्ट ८ को डिलीट करने का है। उसका यह तात्पर्य है कि हम साप्ताहिक छुट्टी देना चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते उसके लड़के को और दूसरे लोगों को। मेरा तो मतलब यह है कि साप्ताहिक छुट्टी दी जाय, तो दुकान के मालिक को भी दीजिये। आप मालिक और दुकान के नौकर में फर्क ही मत रखिये, साप्ताहिक छुट्टी को कम्पलसरी कर दीजिये, इसलिए जो फेमिली शब्द और जो पार्ट ८ है, उसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि दुकान मालिक है वह भी कर्मचारी है और अगर नौकर है तो भी कर्मचारी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस मतलब से कानून बनाना चाहते हैं और जो साप्ताहिक छुट्टी का क्लॉज है, इसके लिए आवश्यक है कि दुकान टोटली बन्द रखी जाय। यह प्रोविजन नहीं रखा जाय कि दुकान मालिक, या फेमिली का आदमी है, वह काम कर सकता है। मेरा तात्पर्य फेमिली वाले क्लॉज से है इसको हटा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभी और। श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय ये जो अमेडमेंटस मूव किये गये हैं, उनमें से (१), (२) व (३) तो मुझे स्वीकार है....

श्री अध्यक्ष : (१), (२) व (३) कौन से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नम्बर (१) (२) व (३) अमेडमेंट्स जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किये हैं। ये अमेडमेंट मेरे खुद के भी हैं....

श्री अध्यक्ष : नम्बर (१), (२) व (३)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चौथे के बारे में अर्ज करूंगा कि ये डेफिनिशन की बात है। लैंगवेज के बारे में मैंने कन्सल्ट कर लिया है, आपका जो मतलब है, उससे कवर हो जाता है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे अमेडमेंट्स मूव किये हैं, उनमे से पहले वाला तो माननीय तनसिंह के पहले अमेडेमेंट से कवर हो जाता है। डेफिनिशन के अमेंडमेंट की बात है। उसको रखने न रखने का सवाल नहीं है।

तो मेरे ख्याल से इस प्रकार चार अमेंडमेंट्स स्वीकार हो जाते हैं। जो चौथा अमेडमेंट माननीय सदस्य का रह गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वे उसको वापिस ले लें और आपका जो दूसरा अमेडमेंट है उसको वापिस ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.27

श्री तनसिंह : मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रेस्क्राइब के बारे में कहा, उसके लिए कहा कि कवर हो जाता है।

श्री तनसिंह : बाकी तीन ?

श्री अध्यक्ष ; वे स्वीकार करते हैं।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे चौथे अमेंडमेंट को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लाज २ के सब क्लाज चौदह पर तनसिंहजी ने जो चौथा अमेंडमेंट रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपने १२ नम्बर के संशोधन के नं० ४ को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन क्लॉज २ में श्री बहादुरसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री के संशोधनों की स्वीकृति के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ (२), संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज ३

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ तीन में मेरे दो संशोधन हैं। पहला संशोधन यह हैं :

"In sub-clause (1), insert 'the' before 'employer's' in part (c) and"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरा अमेंडमेंट है, आपका नहीं।

(हंसी)

आप मूव कर देंगे, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं।

श्री तनसिंह : बात यह कि मैंने पहले अमेंडमेंट रखा था, 'नाइट' की जगह 'डे' रखा था, वह आपने रखा। मुझे ताज्जुब नहीं इस समय भी आपके अमेंडमेंट को मैं अपना समझ कर मूव कर दूं और आप मेरा अमेंडमेंट मूव कर दें।....अब मुझे मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : Delete part (e) of sub-clause (1).

श्री तनसिंह : पहला अमेंडमेंट है।

"Delete part (e) of sub-clause (1). इसमें कुछ एग्जेम्प्शन्स रखे गये हैं। क्लॉज तीन में एग्जेम्प्शन रखकर सरकार ने उन व्यक्तियों को मुक्त किया है जो व्यक्ति "persons occupying positions of

(श्री तनसिंह)

the management or employed in confidential capacity." इस क्लाज को मैंने डिलीट करने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि मैनेजमेंट के सिलसिले में पोजीशन ऑफ दी मैनेजर वगैरह से है, ये वे लोग होंगे, जो चोटी के कर्मचारी होंगे। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि हर दुकान में एक कर्मचारी ऐसा होगा, जो चोटी का कर्मचारी हो, जिसे मैनेजर के लिहाज से समझा जा सके और यदि उस दुकानदार के पास में अपनी फेमिली का आदमी एम्प्लायड नहीं है या जिसकी फेमिली में दूसरा कोई आदमी काम करने वाला नहीं है, तो उसको इस क्लॉज के अनुसार छूट मिल जायगी कि वह उन आदमियों को काम पर लगा सके।

दूसरा है : "employed in a confidential capacity."

यहां एक बिल्कुल अजीब सी स्थिति पैदा होती है, जैसे मेनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट में कोन्फिडेन्शिल केपेसिटी पर एम्प्लॉय किया जाय तो वह इन कानूनों के प्रावधानों से बच सकता है। अव्वल तो मेरा कहना यह है कि जहां इसका प्रयोग होता है, कोई ऐसी केपेसिटी होती है, ऐसा साधारण दूकानदारों में तो नहीं होता, केवल बड़ी बड़ी दुकानों में होता है तो वहां यह नहीं होना चाहिये कि किसी कर्मचारी को इससे मुक्त किया जाय।

इस क्लॉज का मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इस कानून के सारे के सारे प्रावधान केवल उन्हीं पर लागू नहीं होंगे, जो उनके कुटुम्ब में से ही नौकर हैं बल्कि सभी के ऊपर होंगे ....

आप इसे मंजूर करते हैं ?

(श्री बद्रीप्रसादगुप्ता द्वारा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाने पर) वे सिर हिलाते हैं इसलिये मैं आगे बोलना आवश्यक नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले कहा था.... फेमिली वाली बात आप स्वीकार करते हैं !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : हां।

श्री बहादुरसिंह : कारीगर सम्पूर्ण काम के लिये रखे जाते हैं, चाहे टेम्परेरी हों, छुट्टी मिलना प्रत्येक कर्मचारी के लिये आवश्यक है, मैं समझता हूं कि इसे भी आप स्वीकार करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां।

श्री अध्यक्ष : 'ओमिट सब क्लाज (२)' यह भी स्वीकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्लाज दो में जो परिभाषाएं दी हैं, उसका सब क्लाज छः है, उसके मालिक की जो डेफिनेशन दी है, जहां तक मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देना चाहता हूं कि आपका यह कानून कर्मचारियों के लिये है जो दुकानों के अन्दर काम करते हैं, आपने इस कानून के अन्दर प्रावधान रखे हैं वे मालिक पर लागू नहीं होंगे, और चूंकि मालिकों पर लागू नहीं होगा, इसलिये कर्मचारियों और मालिक में थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा। इसमें मैनेजर, एजेंट या संस्थान के सामान्य प्रबन्ध या नियंत्रण का कार्य करने वाले

(श्री गिरधारीलाल)

व्यक्तियों को भी मालिक की श्रेणी में लेते हैं तो इस कानून से कोई फायदा नहीं होगा। आज जिनको हम गुमाश्ता-मुनीम कहते हैं, उन्हीं को दूसरे शब्दों में मैनेजर या एजेंट कहते हैं। इसलिये मालिक की परिभाषा दी गई है उसमें से और इसमें मैनेजर, एजेन्ट या संस्थान के सामान्य प्रबन्ध या नियंत्रण का कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति भी शामिल है। इन शब्दों को निकाल देना चाहिये। इनको नहीं निकालेंगे तो उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा जिनके लिये हमने यह कानून बनाया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ के सब क्लाज १ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं। पहला है: "Insert 'the' before 'employers' in part (c); दूसरा है: "Omit 'the' in part (a)" और तीसरा है सब क्लाज (२) में शब्द 'परसन्स' जो बहुवचन है उसे सिंगुलर नम्बर कर दिया जाय।

अब जो अमेंडमेंट पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अर्ज कर दूं....

श्री अध्यक्ष : अभी और अमेंडमेंट्स हैं। श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरे अमेंडमेंट्स क्लॉज़ ३ पर हैं, पहला सब क्लॉज़ (सी) को हटाने का, दूसरा सब क्लॉज़ (ई) को हटाने के लिये। इन दोनों को मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : (सी) और (ई) दोनों को हटाने के लिये स्वीकार करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री सोहनलाल भटनागर : रहा क्लॉज़ ३ के सब क्लॉज़ (२) को हटाने का। इसके लिए मेरा निवेदन है कि एग्जेम्प्शन्स की लिस्ट वैसे ही बहुत लम्बी रखी है, ऐसी सूरत में जनरल पॉवर्स सब क्लॉज़ (२) में रखे गये तो इस कानून का उपयोग ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ के सब क्लॉज़ (सी) व (ई) को स्वीकार करने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर सब क्लॉज़ (२) को हटाने के लिए जो संशोधन आया है....

श्री पी० के० चौधरी : In sub-clause (1) I have got some amendments, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे करीब करीब सब मैंने स्वीकार कर लिये हैं

श्री अध्यक्ष: We are considering clause 3 now.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब क्लॉज़ दू के बारे में मुझे निवेदन करना है कि स्पेशल केसेज़ में फेअर होते हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉवर्स रखते हैं, तो ये पॉवर्स विशेष तौर से रखी गई हैं फेअर्स के लिये। सबको एग्जेमप्ट करदेंगे, यह खयाल नहीं रखना चाहिये, सबको एग्जेम्प्ट कर देंगे यह मंशा नहीं समझी जाय। जैसे अभी फेअर हुआ था अजमेर में, इस तरह के केसेज़ में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेज़ में मेले वगैरह के हों उनके लिये ये पावर्स रखे हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं समझता हूं माननीय सदस्य, मैंने जो अर्ज किया है उसकी लाइट में अपने इस प्रकार के संशोधन को वापिस लेने का प्रयास करेंगे ।

श्री तनसिंह : मैं समझता नहीं, स्वीकार किया क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्वीकार किया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ३ का सब क्लाज़ (२) है, उसके बारे में मेरा अमेंडमेंट है, उसके अन्दर सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है जिससे कि कुछ दुकानदारों का या उनके वर्ग को इस कानून के प्रावधानों से निकालें या जिला या डिवीज़न्स में से कुछ वर्ग को इस कानून से मुक्ति दे दें । इस प्रकार कुछ दुकानदारों को या कुछ वर्ग को मुक्ति दिलाने की सरकार की मंशा है ।

मैं अर्ज करता हूं कि जब हम कानून बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार की शर्तें लगाना कि किसी जिले, डिविजन या किसी वर्ग को इससे मुक्त कर सकते हैं । एक वर्ग पर लागू करने का अधिकार रखना और दूसरे वर्ग पर लागू नहीं करेंगे, इस प्रकार की शर्तें रखते हैं तो यह उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कोई कानून बनाया है तो उसका उपयोग सारी स्टेट में होना चाहिए, सारे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार कुछ वर्गों को जो राज्य सरकार को संतुष्ट कर सकें उस वर्ग पर लागू नहीं करें और दूसरे वर्गों पर लागू करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद जी ने रखा है, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष सब क्लाज (२) को हटाने का संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल ने क्लॉज़ ३ के सब क्लॉज़ (२) को हटाने के लिए रखा है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज ३ संशोधनानुसार स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़, ३ संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज ४, श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में मेरा एक एमेंडमेंट है : Insert a 'comma (,)' and the word 'employes' after the word 'employer' occerring in part (a) of sub clause (i)" सरकार में जिन संस्थाओं का पंजीयन होगा या रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिये एक फॉर्म होगा उसके अन्दर में तीन चार कोलम्स होंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब तक हम उस फॉर्म के अन्दर ऐसा कॉलम नहीं रखेंगे कि जिससे उस संस्था में काम करने वाले जितने भी आदमी हैं, चाहे वे गुमाश्ते हों, चाहे और कोई भी हों, चाहे उस फर्म में ५ आदमी ही हों, लेकिन जब तक उनके नाम नही लिखे जावेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किस प्रकार से इस बात का पता लगा सकेंगे कि फलां व्यक्ति इस फर्म में या इस दुकान में काम करता है, इसलिये इसमें कर्मचारियों के नाम होने चाहिये। जब तक उनके नाम नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि जो दुकानदार इस कानून से बचने और बच निकलने की कोशिश करेगा वह बच निकलेगा और जिन कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिये बनाया जा रहा है और पहुंचाना चाहते हैं, उसको नहीं पहुंचा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना एमेन्डमेंट मूव करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरा इस प्रकार का संशोधन है : "Insert the words 'which shall not be more than five rnpees' between 'with such fees' and before 'as may." जोड़ दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में जो स्टेटमेंट भेजने के लिये कहा है, उसमें यह भी कहा है कि फीस जो प्रेस्काइब्ड होगी ली जावेगी, मगर यह नहीं बताया गया है कि फीस क्या होगी और मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह व्यापारियों पर कोई टैक्स नही लगाया जा रहा है लेकिन यह फीस इसलिये रखी है कि गवर्नमेंट का जो कुछ खर्चा होगा उसके लिये यह थोड़ी बहुत फीस ली जावे। लेकिन लेजिस्लेचर में इसकी सीमा को नहीं रखा और अगर हम आर्बिट्रेरी पॉवर्स फीस के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को दे दें तो गवर्नमेंट बहुत फीस व्यापारियों पर न लगादे जिससे व्यापारियों पर बोझ हो सके।

इसके अलावा आप सब लोगों को यह तो मालूम ही है कि आज व्यापारियों पर कई तरह के टैक्स हैं और काफी प्रतिक्रिया का भार पड़ा हुआ है। इसलिये मैंने जो यह संशोधन रखा है वह यह है कि जो फीस रखी जाए वह पांच रुपये से ज्यादा न हो, पांच रुपये से कम हो सकती है। मेरे खयाल से यह उचित संशोधन है और माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। यदि शब्द 'प्रेस्काइब्ड' ही रखा जाये तो वह फीस ५०) व १००) रुपये भी हो सकती है, जैसी लेजिस्लेचर की मंशा नहीं है। अब यह संशोधन रखा गया है, इससे वह फीस ५ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। वह स्लाइडिंग हो सकती है, एक रुपया हो सकती है। छोटे व्यापारियों से एक रुपया और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों से दो रुपये और बड़े

(श्री सोहनलाल भटनागर)

व्यापापारियों से ५ लिये जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लिये जावें ।

श्री **श्रीभानसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोहनलालजी ने जो संशोधन रखा है उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो लेजिस्लेशन होते हैं वे दो तरह के होते हैं । एक तो डेलीगेशन और एक ऐसा होता है जिसको असेम्बली पास करे । यह फीस की बात है वह डेलीगेशन में आता है । मगर जहां तक मेरा इस सम्बन्ध में अनुभव है, मैं यह कहूंगा कि रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेंट को दिये जा सकते हैं । लेकिन यहां फीस लगाने के पॉवर गवर्नमेंट ले तो यह जनता के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने डेलीगेटड लेजिस्लेशन को ठीक तरह से उपयोग नहीं करने का उदाहरण है । वह है लैंड रेवेन्यू एक्ट के नीचे जिस लेन्डरेवेन्यू एक्ट में एसेम्बली ने पॉवर्स डेलीगेट किये कि आप नम्बरदारों को पे कर सकते हैं । उसका इन्टरप्रेटेशन सरकार ने यह लगाया कि ५ प्रतिशत सेसलेवी करके उसमें से नम्बरदारों को पैसे दिये । इसका नतीजा यह हुआ कि फारमरों से ३३ लाख रुपया ज्यादा लिया गया और ३३ लाख का बर्डन उन पर पड़ा । ऐसेम्बली की कभी यह मंशा नहीं थी कि उन पर इस प्रकार का टैक्स लगे । टैक्स के पॉवर हमेशा सोवरिन बोडी पर रहने चाहिये । वह मिनिस्टरों, सेक्रेट्रीज़ और दूसरे अधिकारियों पर नहीं रहने चाहिये । यहां पर जब फीस का सवाल आता है तब कुछ सोचना पड़ता है, मगर यह फीस का सवाल टैक्स में नहीं आता क्योंकि टैक्स और फीस में काफी फर्क है । हम चाहते हैं कि इससे गवर्नमेंट उनसे कोई प्रोफिट न करे, 'नो प्रोफिट और नो लोस' पर चले । इसलिये आपने जो पांच रुपये की मेग्ज़ीमम लिमिट रखी है कि पांच रुपये तक ले सकते हैं, यह उचित है । इससे नीचे लेना चाहें तो उसमें कोई रोक नहीं है । इसलिये जब हम स्पेसिफिक रेट तय कर देते हैं तो किसी तरह का झगड़ा नहीं रहता । इसलिये यह पॉवर गवर्नमेंट को न दें बल्कि एसेम्बली ही मेग्ज़ीमम लिमिट फिक्स करे । इसलिये यह देखते हुए कि कोई दुकानदार पर जो टैक्स लग रहा है उससे कोई दूसरा टैक्स नहीं लिया जावे । इस डेन्जर को मद्दे-नजर रखते हुए कि यह किया है । डेलीगेशन के पॉवर का लैंड रेवेन्यू एक्ट में किस तरह से स्ट्रेस किया गया है, उसको देखते हुए मैं इस ओपीनियन का हूं कि इस प्रकार के पॉवर्स सरकार न दिये जावें और श्री सोहनलालजी ने जो संशोधन रखा है उसको मैं सपोर्ट करता हूं, ताकि हमारे दुकानदारों पर किसी प्रकार का यह कर न लगे ।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस एक्ट के द्वारा जो 'फी' शब्द है उसको ही हटा दिया जावे । मैं समझता हूं, आप दुकानदारों से स्टेटमेंट मांग रहे हैं । उनको दुकान के सारे आंकड़े देने में और लिखने में भी काफी बरडन मालूम होता होगा । मैं समझता हूं कि जब हम किसी प्रकार का उनसे मुनाफा नहीं करना चाहते और हमारा यह ध्येय है कि गुमाश्तों को और कर्मचारियों को फायदा पहुंचे तो फिर फी की क्या जरूरत है । जब वीकली होलीडेज़ का इन्सपेक्टर ही काम करता है, तो फीस से दुकानदारों में नई बात क्यों पैदा करें ? वे यह समझेंगे कि हमारे पर यह नया बर्डन क्यों डाला जाता है ? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह फ़ीस शब्द हटा दिया जाना चाहिये ।

श्री **तनसिंह** (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोहनलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

आप उसमें ५) रुपये तक की फीस लगाना चाहते हैं, स्टेटमेन्ट के साथ में ५) तक की फीस वसूल करेंगे। लेकिन यह नहीं देखा कि स्टेटमेन्ट एक साल में, एक महीने में या एक हफ्ते में जा सकता है। हर हफ्ते स्टेटमेन्ट आया और जैसे ब्रह्मा का टका होता है, उसी प्रकार वह कर वसूल कर लिया। जब तक आपको स्पष्टतः मालूम नहीं है कि स्टेटमेन्ट हर हफ्ते आवेगा, महीने में आवेगा या साल में आवेगा, आपको नहीं लगाना चाहिए। साल भर में आता हो तो पांच रुपया तक वाजिब है, यदि सरकार लगाना चाहती है और लगाती है तो यह ठीक हो सकता है, लेकिन यदि एक हफ्ते में स्टेटमेन्ट देना पड़ता है और स्टेटमेन्ट देता है दुकानदार तो सरकार इस क्लॉज़ के अन्तर्गत रूल्स फ्रेम करेगी और सरकार यह देखेगी कि चूंकि लेजिस्लेशन ने पांच रुपया तक की फीस मंजूर की है इसलिए ४), ४।।)और चार रुपया साढ़े पन्द्रह आना तक लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हफ्तेवार आवेगा तो इस हिसाब से कुछ कम लगेगा। लेकिन यह पांच रुपये तक लगाई जासकती है, इसलिए इस प्रकार से यहमिसगाइड करेंगी,।इसलिए इस संशोधन को पास न करके इसको सरकार के गुड विल पर ही छोड़ दिया जाय कि जो रीज़नेबल फीस हो वह ले। मैं तो यह कहूंगा कि फीस लेना ही बेकार है। आप क्या काम करते हैं जिसके बदले में आप दुकानदार से फीस चार्ज कर रहे हैं। किसी को कोई कॉपी देते हैं तो फीस चार्ज करते हैं, किसी को लाइसेन्स देते हैं तो फीस चार्ज करते हैं। लेकिन कोई काम आपका दूसरा करे, स्टेटमेंट आपको दे, आपको कोई गाड़ी में चढ़ाये, टिकट भी खरीद दे, भोजन भी कराये और आपको दक्षिणा भी देनी पड़े। यह क्यों ? मेरा कहना यह है कि यह पहले ध्यान में नहीं आया था, अब आया है, तो फीस रखना बिलकुल ठीक नहीं है। सिलेक्ट कमेटी में यदि यह जाता तो अवश्य ही यह निकल जाता। इसलिए इसको अब यहां पर अमेंड करके रखना चाहिए। यहां इसका कोई सामन्जस्य नहीं है। किस बात की फीस ? फिर भी यदि भोजन कराने के बाद में दक्षिणा मांगते ही हैं, आपका रिवाज है, यह पांच रुपये का संशोधन तो कम से कम मत रखिये, नहीं तो होगा क्या कि जब लेजिस्लेशन ने पांच रुपया फीस रखी है तो क्यों नहीं हर हफ्ते १), २) लेते ही जावें। रीज़नेबल फीस हो, आना दो आना रख दीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फीस का प्रश्न है वह सोचनीय है। दुकानदार बड़ा परेशान है। सेल्स टैक्स, म्यूनिसिपेलिटी का टैक्स। जब वह स्टेटमेंट देगा तो उसको एक क्लर्क रखना पड़ेगा। एक टैक्स तो क्लर्क के रखने का आपने वहां और लगा दिया और दूसरी और फीस का टैक्स रख दिया जो कि उपयोगी नहीं है और माननीय मन्त्री महोदय को उसको हटा देना चाहिए। स्टेटमेंट देगा वह सरकार को, उसके लिए वह लिखेगा, नौकर रखना पड़ेगा और यह एक फीस और उस पर लग गई। इसलिए यह जो प्रोविज़न है उसको समाप्त कर देना चाहिए। फीस रखना ही है तो एक रुपया, डेढ़ रुपया रख दीजिये। पांच रुपया तो बहुत है। दस पांच बड़े दुकानदार हो सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास जब जावेंगे तो यह होगा कि नौकर रखे हैं, तो यह टैक्स और सरकार

(श्री बहादुरसिंह)

लग गया, नियमानुसार पहले नौकर रख कर फिर उनको हटा देगा। इसलिए नौकरों के लिए भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस फीस के प्रोविजन को हटा ही देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि इस क्लॉज़ पर कोई कन्ट्रोवर्सी की बात नहीं होगी। जैसा पहला अमेंडमेंट रखा गया, एम्प्लोईज़ के नाम एड कर दिये जायं। क्लॉज़ ४ है वह रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। जो एम्प्लोय करने वाले हैं, मैनेजर हैं उनका नाम देना जरूरी है और सारों के लिए यह आवश्यक नहीं है।

दूसरा यह कहा गया कि यह क्यों लगा दिया जाय? दोनों ही दलीलें गलत हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई टैक्स नहीं है। जो सर्टिफिकेट्स इश्यू करेंगे उसकी यह फीस है। पब्लिक डॉक्युमेन्ट है, यदि उसको डिस्प्ले करेगा तो यह पता चलेगा कि यह रजिस्टर्ड आदमी है। जितने भी पब्लिक डॉक्युमेंट्स हैं उनकी फीस चार्ज की जाती है।

We will issue a certificate on payment of fees. इसमें साफ लिखा हुआ है, "and shall issue in a prescribed form a cartified copy to the employer." फिर यह कहना कि रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, इसमें कोई कन्डीशन नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा। इसी तरह का कानून अजमेर में भी चालू है। वहां पर ४) फीस से ज्यादा नहीं है। मैं हाऊस को यह भी विश्वास दिला दूं कि यह फीस रीज़नेबल होगी और अनरीज़नेबल नहीं होगी। इसके पहले रूल्स का पब्लिकेशन किया जावेगा और इसके बाद में ऑब्जेक्शन्स आवेंगे तो उनको देखा जायगा और फाइनेलाइज़ किया जावेगा।

श्री श्रीमानसिंह : इनका डाउट यों है है कि इस रजिस्ट्रेशन से आप इनकम ले रहे हैं इसलिए इसको कहीं इनकम न बना दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसके लिए है। सर्टिफिकेट इश्यू करालें तो उसके बाद लेने का कोई सवाल नहीं है। आखिर इसके लिए हम भी ऑफिस मैन्टेन करेंगे। इसमें कोई सन्देह करने की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : स्टेटमेन्ट के साथ साथ पैसा जमा कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का सवाल नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Then we will issue a certificate.

श्री मूलचन्द डागा : इसमें लिखा है 'स्टेटमेन्ट एण्ड फी'। पब्लिक डॉक्युमेन्ट के लिए कह रहे हैं वह नहीं है। जब स्टेटमेन्ट दिया तो उसको ४), २) देना पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें लिखा है 'स्टेटमेन्ट एण्ड फी'। लेकिन यह सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसकी फीस है, I can assusre the House.

राजा श्री मानसिंह : Will the Hon'ble Member let the House know as to how much the Government thinks the reasonable fee.

Page No.35

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अजमेर में चार रुपया है, ज्यादा नहीं है। रूल्स का पब्लिकेशन किया जावेगा, ओब्जेक्शन्स सुने जावेंगे और तब रूल्स फाइनेलाइज़ होंगे। इसलिए अन्धेरे में रखने की बात नहीं है। मैंने हाउस को एश्योर किया है कि यह रीज़नेबल फीस होगी और इसका सर्टिफिकेट दिया जावेगा, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि उसको पास करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्लाज़ ४ में अमेंडमेंट था वह इस प्रकार था कि जो रजिस्ट्रेशन होगा दुकान के कर्मचारी का भी नाम लिखा जाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं सोच पाया कि माननीय मन्त्री महोदय ने इसका जवाब तक नहीं दिया। कर्मचारी का नाम लिखे बिना आपकी गवर्नमेन्ट का कर्मचारी जिसको आप इस काम के लिए नियुक्त करेंगे वह किस प्रकार से दुकान के अन्दर कर्मचारियों को राहत बिना उनके नाम व पते के पहुँचावेगा ? जब भी दुकानदार कर्मचारी से काम करवाता है और शिकायत करता है या शिकायत नहीं करता है या अन्य आदमी करता है, उस हालत के अन्दर कर्मचारी का नाम रजिस्टर फॉर्म के अन्दर नहीं रखते हैं, तो दुकानदार इस कानून से बच निकलेगा। फॉर्म के अन्दर कर्मचारी का नाम लिखा जाना जरूरी है, जो नहीं रखा गया है। इसलिए मैं इस संशोधन को विद्ड्रा नहीं करता।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन माननीय मन्त्री महोदय ने दिया कि रीज़नेबल फीस होगी इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५ व ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५ व ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ५ व ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ७

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज७ में मेरा अमेंडमेंट यह है कि किसी भी संस्थान पर किसी भी कर्मचारी से एक दिन में ६ घन्टे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। इससे साफ जाहिर है कि एक कर्मचारी से ६ घन्टे दिन में काम ले सकते हैं। जब तक कोई व्यापारी किसी कर्मचारी से ६ घन्टे दिन में काम लेता है तब तक कोई बात नहीं, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि उस पर अत्याचार हुआ है। लेकिन आज हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर ऐसी भी दुकानें हैं जहां पर कर्मचारियों से ६ घन्टे ही क्या बारह बारह घन्टा काम लेते आये हैं। यह सब इसलिये करना पड़ता है कि पेट भरने के लिये कर्मचारी १२ घंटे ही क्या २४ घन्टे तक काम दे सकता है, लेकिन आदमी चाहे, वह सरकारी नौकरी करता हो चाहे किसी प्राइवेट दुकान पर नौकरी करता हो, उससे यदि आठ घंटे से अधिक काम लेते हैं तो वह मानवता के खिलाफ चीज है। अगर हम बिल में इस प्रकार का प्रोवीजन रख देते हैं कि ६ घंटे काम ले सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

इसके अलावा यह भी बात है कि हमने इस बिलमें मिनिमम तनख्वाह भी नहीं रखी है और उनकी सर्विसेज की गारन्टी भी नहीं है; चाहे जब दुकान का मालिक उसको निकाल सकता है। तीसरी जो कमी है वह यह कि इसमें ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि एक सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। जब इस तरह का हिसाब है तो इस बिल में ६ घंटे लिखने का क्या प्रयोजन है, उसकी जगह आठ घन्टे ही लिख देते। एक दुकानदार के यहां जो कर्मचारी काम करता है वह आदमी ९ घंटे की बजाय उससे आठ घन्टे काम लेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सख्ती के, बिना कानून के बिना किसी आदमी के घन्टों में कमी करदे, इस लिये मेरा यह निवेदन है कि आपने जो कानून के अन्दर ६ घन्टे का प्रोवीजन रख रहे हैं उसके बजाय आठ घन्टे रख देते हैं तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी और अगर किसी ने शिकायत भी की तो वह इस कानून के जरिये बच जायगा, वह इस कानून के जरिये ६ घन्टा काम ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के रखने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आज कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। आज भी हम यह देखते हैं कि राज्य के जो चपरासी हैं वे बेचारे दफ्तरों में ६ घंटा काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें अफसरों के घर पर ड्यूटी देनी पड़ती है। जब हम कोई बिल बनाते हैं तो उसमें जब सप्ताह के ४८ घन्टे काम करने का रखा है तो वैसी हालत में प्रतिदिन आठ घंटे काम लिया जाना चाहिये। अगर हम एक घन्टा रोज बढ़ा देते है तो सप्ताह में ६ घन्टे बढ़ जायेंगे।

(डॉ० बहादुरसिंह)

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन था कि आठ घन्टे का नियम लागू कर देते हैं सप्ताह में ४८ घन्टे पूरे हो जायेंगे। अगर एक घंटे की छूट देते हैं तो उनसे एक घन्टा ज्यादा काम लिया जायगा, इसलिये हमें इस कानून को सख्ती से पालन करवाना है। आठ घंटे ही रखना चाहिये ६ घंटे नहीं रखना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि आज हम अपने देश की स्थिति को नहीं देखते। वेस्टर्न कन्ट्रीज़ के अन्दर भी इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है। आज ८ घंटे काम लेकर समाजवाद को नापते हैं और जहां आठ घन्टे से ज्यादा काम लिया जाता है वहां हम पूंजीवाद मानते हैं। यह धारणा बिलकुल गलत है। आप यदि कम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां आठ घन्टे की बजाय ६ और दस दस घन्टा काम करना पड़ता है। आज हम भारतवर्ष के अन्दर चाहते हैं कि यहां आठ घन्टे ही काम लिया जाय वहां दूसरी ओर आपको देखना होगा कि आपके यहां छुट्टियां कितनी होतीं हैं। बाहर का ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में साल में १३२ या १३५ छुट्टियां होती है। आज जब कि प्लानिंग का पीरियड है, प्लानिंग की शुरूआत है, आज हमें अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना है उसके अन्दर हमको यह चाहिये कि एक आदमी की मेक्ज़ीमम यूटिलिटी हो और इसके लिये अधिक अधिक घन्टे करने चाहिये। मैं यह मानता हूँ कि जो समाजवाद का इन्टरप्रिटेशन लेते हैं, केवल वेल्थ को डिवाइड करना चाहते हैं वहां हम लेजर को डिवाइड करने जा रहे हैं। आज हमें देखना यह है कि क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि हरेक आदमी को कितना लेज़र देना जरूरी है। हम आज जहां अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं वैसी हालत में यदि आठ घन्टे का हम प्रोवीजन रख देते हैं, उसमे ज्यादा नहीं, तो यह देश की उन्नति में बाधक होगा। आज हमारे देश में कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है वह केवल आठ घंटे काम करके हम प्राप्त नहीं कर सकते; उसमें हमें बहुत श्रम करना होगा। आठ-नौ घंटे ही क्या, इससे भी ज्यादा समय यदि देना पड़े तो हमें देना चाहिये, वालन्टियरी कॉन्टीब्यूशन देना चाहिये। नौ घन्टे काम करने से समाजवाद आ नहीं सकता और ६ घंटे से अधिक काम लिया जाता है, तो उससे पूंजीवाद बढ़ेगा, यह जो मान्यता है वह गलत है। प्रेक्टिकल यह है कि हरेक आदमी को तैयार रहना चाहिये देश की उन्नति के लिये, यहां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये और इसके लिये जितना भी मेक्ज़ीमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, दिया जाना चाहिये। आज वर्किङ्ग आवर्स का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि इसकी शुरूआत विलायत से हुई थी। वहां पर इन्डस्ट्रियल लेबर का एक्स्लोइटेशन किया गया वहां उस समय बारह-बारह घंटा काम करते थे, उनमें बाद में फिर लेज़र डिवाइड करने की बात आयी। आज समाजवाद में जहां हम वेल्थ का डिवीजन करना चाहते हैं, लेज़र का डिवीजन करना कोई माने नहीं रखता। समाजवाद में हम गरीबी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हमें अमीरी का बंटवारा करना है। इसलिये मेरा तो यह मानना है कि हरेक आदमी को मेक्ज़ीमम जितना भी कन्ट्रीब्यूशन दे सके देना चाहिये, तभी जाकर लेज़र डिवाइड कर सकते हैं।

Page No.38

(श्री श्रीभानसिंह)

समाजवाद में कॉन्ट्रीब्यूशन हो प्रोडक्शन में और वह भी मेक्ज़ीमम कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तभी हम सेक्रीफाइज़ करते हैं और हमें सेक्रीफाइज़ के लिये तैयार रहना चाहिये और उसमें अगर ६ घंटे काम करते हैं, तो कोई पूंजीवाद बढ़ने वाला नहीं और आठ घंटे देते हैं तो कोई समाजवाद होने वाला नहीं । ६ घंटे का तो टोटल होना ही चाहिये और जो छुट्टी हम देते करते हैं इनको कम करना चाहिये जिससे देश की उन्नति हो ।

१. १ म० प०

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गिरधारीलालजी ने जो संशोधन रक्खा उसके प्रत्युत्तर में कुछ ऐसी बातें आई कि उनको देखते हुए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं ।

संशोधन जो आठ घंटे काम, ६ घण्टे की जगह हम करने वाले हैं उसमें जहां तक काम का सवाल है, मालिक तो हमेशा इस मनोवृत्ति का रहता है कि मैं अधिक से अधिक काम लूं और कम से कम दूं । ऐसी हालत में आठ घण्टे कर दें ताकि उसको बहाना भी न मिले । इसके प्रत्युत्तर में भी कहा गया कि रूस में मजदूर से अधिक काम लिया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ।

रूस में प्रोडक्शन के महत्व को समझा गया है । तो रूस के उदाहरण को देकर यहां करने की बात करना अन्यायपूर्ण है । यह न्यायसंगत नहीं है क्योंकि रूस की सारी इन्डस्ट्री नेशनेलाइज्ड है, उसका सारा लाभ मजदूरों को ही मिलने वाला है, राष्ट्र को सारा लाभ मिलता है । वहां व्यक्तिगत मुनाफे की गुंजाइश नहीं है । पर हमारे यहां तो जो यह एक्ट आ रहा है उसमें हर व्यक्ति अपने मुनाफे, अपने व्यक्तिगत नफे को लेता है । कम से कम देकर अधिक से अधिक समय काम करा कर अधिक से अधिक व्यक्तिगत मुनाफा कमाने की भावना रहती है, इससे कोई राष्ट्र का अधिक हित होता हो ऐसी बात भी नहीं है । वे सरकारी टैक्सों से भी बचना चाहते हैं । तो ऐसी हालत में रूस का कोई मुकाबला नहीं किया जाना चाहिये । तो हिन्दुस्तान और राजस्थान के लिये जो बिल आया है, उसको यहां की वस्तु स्थिति में देखना चाहिए । आदर्श दूसरों का ले लेंगे और यहां की वस्तु स्थिति को नहीं देखेंगे तो यहां के मजदूरों को शोषण का शिकार होना पड़ेगा ।

रूस ही नहीं, स्वीडन में, जो कम्युनिस्ट कन्ट्री है, मजदूरों का वेतन, काम का समय आदि सभी निश्चित हैं । वहां का प्रोडक्शन भी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता । वहां इस प्रकार की योजना है कि हर व्यक्ति के लिये १२ क्राउन मिलें और यह प्रति दिन मिलना ही चाहिये । इसका मतलब है ११।।) रुपया । ऊंचे से ऊंचे वेतन और नीचे से नीचे के वेतन में अन्तर बहुत कम है । वहां के मिनिस्टर को ऊंची से ऊंची तनखा २० क्राउन मिलती है । एक तरफ १२ क्राउन और दूसरी तरफ २० क्राउन । एक और दो का अनुपात है । वहां व्यापार में भी यही हाल है, कोई भी दुकानदार अपनी जो आमदनी है उसमें से २० क्राउन प्रति दिन से अधिक मुनाफे का नहीं रख सकता । अधिक आमदनी राष्ट्रीय आय गिनी जाती है । ऐसी हालत में और ऐसी जगहों पर अगर समय ज्यादा भी दिया जावे तो कोई हर्ज नहीं होता; इससे राष्ट्र को लाभ मिलता है और राष्ट्र

(श्री मुरलीधर व्यास)

का लाभ अल्टीमेटली उनका अपना लाभ है।

तो ऐसी स्थिति में जब कि वहां ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, व्यक्तिगत मुनाफे को सबको यहां दुकानदार का वश अगर चले तो स्वयं ही हड़प कर जाने की नीयत रहती है, मामूली सरकारी टैक्सेज़ तक की चोरियां करने से नहीं हिचकिचाते तो, इस वस्तु स्थिति को देखते हुए यहां काम के घण्टे उचित रूप से हमें तै करने होंगे। अब यहां समाजवादी समाज रचना की बात की जाती है, पर यह कोरी बात ही बात है, कागजों में हम जरूर कह रहे हैं, पर वास्तव में तो यहां सारा पूंजीवाद ही पूजीवाद है, यह सारी व्यवस्था पूँजीवादी है।

श्री श्रीमानसिंह : इस कन्ट्री में हमारा गोल सोशलिज्म है।

श्री मुरलीधर व्यास : (जारी) प्रिन्सिपली तो आप ठीक बात कहते हैं। कागजों में सब चीज जो आप कहते हैं, ठीक हो हो सकती है। पर वस्तु स्थिति और ही कुछ है, इससे हमें गुमराह नहीं होना चाहिये। तो ऐसी स्थिति में समाजवाद के नाम पर अधिक से अधिक घन्टों तक काम करने की छूट देने की बात कहना एक तरह से शोषण को जारी रखने की बात कहना है, शोषण को बढ़ावा देने की बात करना है। इससे दूसरी बात मैं नहीं समझता।

इस दृष्टिकोण से संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध और उस मूल धारा का मैं समर्थन करता हूँ। इसलिये समर्थन करता हूं कि जो जो न्यायोचित और आवश्यक सुविधाएं हैं, ये सब इसमें पहले ही से मौजूद हैं। किसी भी जगह काम करने वाले व्यक्ति को मनोरंजन के लिये और अपनी शारीरिक थकावट को दूर करने के लिये आवश्यक अवकाश मिलता रहना चाहिये, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रह सके। आज मैं यह मानता हूं कि स्वस्थ मनोरंजन हमारे यहां देश में कम है। तो जहां हम उनके आराम के घंटे, काम के घन्टे और छुट्टी निश्चित करने का प्रयास करें वहां स्वस्थ मनोरंजन हो सके इसका भी प्रयत्न करना चाहिये।

श्री मूलचन्द : यह स्वस्थ मनोरंजन क्या होता है साहब?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको समझ सकेंगे। आज हमारे देश में कोई गाने बजाने के मनोरंजन में जाता है, कोई शराबखाने में जाता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कोई मनोरंजन समझ कर जावेगा, तो सिनेमाओं में जावेगा। पर इससे भी अच्छा स्वास्थ मनोरंजन मैं उसे समझता हूँ, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय हैं, खेलने कूदने तैरने की व्यवस्था भी है। दूसरे मुल्कों की तुलना में आज ये साधन हमारे यहां नगण्य से हैं।

मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें ९ घंटे रखे हैं। यह अधिक से अधिक सीमा है,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और सप्ताह भर की काम करने की अवधि उनकी ४८ घण्टे है। इससे यह हो सकता है कि पांच दिन ६।६ घण्टे काम कराके एक दिन ३ घण्टे काम करा सकेगा और ऐसा प्रशासनिक कार्य में भी आजकल हो रहा है। शनिवार को अर्ध-अवकाश रहता है। इससे बहुतों को लाभ है। जहां तक बाजार का सम्बन्ध है, वह रविवार को अकसर बन्द रहता है तो शनिवार के अवकाश से दफ्तर वाले फायदा उठा सकते हैं, उन्हें १० से ५ व ४॥ बजे तक काम करना पड़ता है। शनिवार को १॥ बजे तक। तो काफी समय इस दिन बाजार के लिये मिल जाता है। ६ दिन के अनन्तर आधा दिन उनको मिल जाता है तो वे उस दिन सारे काम बाजार से कर सकते हैं। अब यह उन कर्मचारियों और मालिकों पर निर्भर है कि वे ४८ घण्टे किसी तरह पूरे करें। चाहें तो ८-८ घंटे भी रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक कर्मचारियों को पूरी सुविधा देने की व्यवस्था करता है।

ये ६ घण्टे भी इस वास्ते रखे हैं कि राजस्थान में हमारे यहां ऐसे बड़े २ दुकानदार नहीं हैं जो दो-दो, चार-चार या पांच पांच मुनीम गुमाश्ते रख सकें। यहां यह है कि आम तौर से सुबह ८।६ बजे दुकान खोलते हैं और रात को आठ बजे तक रखते हैं। अब इसमें तीन घण्टे बीच में स्वयं बैठ कर उनको दिन भर ६ घण्टे काम के लिये रख लें तो दूसरे आदमी को रखने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर मालिक पर भी हम इतना भारी बोझ नहीं डालना चाहते कि एक ही दुकान के लिये दो चार आदमी रखे कि एक चार पांच बजे तक काम करे और दूसरा बाद में तो इस तरह ६ घण्टे काम करके भी एक दिन वे ३ घण्टे के बाद छुट्टी ले सकते हैं।

एट ए स्ट्रैच ६ घण्टे काम करें। मैं समझता हूँ इसके आगे इस प्रकार की भी सुविधा नवीं धारा में दी हुई है।

"किसी संस्थान में किसी कर्मचारी की प्रत्येक दिन की कार्याविधि इस प्रकार नियत की जायगी कि कोई भी अवधि ५ घण्टों से अधिक की न हो और ऐसा कोई भी व्यक्ति ५ घण्टों से अधिक कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक उसने इसके पूर्व कम से कम आध घण्टे विश्राम न कर लिया हो।"

मैं समझता हूं कि जहां उनके आराम की, खाने पीने की या छोटे मोटे काम के लिए इसके अन्दर व्यवस्था है और हम जहां दूसरे मुल्कों से अपने यहां की तुलना करते हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहां भी काम के घन्टों में कमी आ रही है। दूसरे मुल्कों में, रूस में या किसी भी मुल्क में, एक साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा सम्भव नहीं है। पहले हमारे देश में १८, १८ घन्टे ही क्या, बल्कि २४ घण्टे का नौकर समझा जाता था। रात में सोने पर भी बुलाने की व्यवस्था हमारे यहां थी। अब यह ६ घंटा हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। यह जो दुकानों में काम करने वाले हैं, उनका आर्थिक स्तर जितना बढ़ता जायेगा, इनकी आमदनी बढ़ती जायेगी और दुकान पर एक से भी अधिक आदमी रख सकेंगे। रूस में यदि आज ६ घण्टे हो सकता है···

एक माननीय सदस्य : ६ घण्टे नहीं है।

Page No.41

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) शायद ६ घंटे का नियम है। खैर कुछ भी हो। किसी भी देश में इस प्रकार का नियम बनता है, तो यह तभी बन सकता है जब कि वह इतने आदमी रख सकते हों और साथ ही उनकी सुविधा की ओर भी ध्यान रखते हैं। हमने फैक्टरी और मिलों में इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि मजदूरों के खेलने कूदने की भी चीजें हैं और दूसरे मनोरंजन के भी साधन हैं। हम चाहते हैं कि यह हमारा बिल पारित हो। उसके बाद में ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो बड़ी बड़ी संस्थायें हैं वे अपने यहां के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें और ऐसी कई सहूलियतें हो सकती हैं जो मुलाजिमों को राहत पहुंचा सकें। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और इसकी धारा में ९ घण्टे काम करने का ज्यादा से ज्यादा और सप्ताह में ४८ घन्टे का प्रॉवीजन है, इससे हमारी मन्शा जो आठ घण्टे का संशोधन है, वह पूरी हो जाती है। ६ दिन तक आठ आठ घण्टे के रखने का मतलब यही है। ९ घण्टे के रखने का मतलब यह नहीं है कि उनको ९ घन्टे ही काम करना पड़ेगा। उनसे पांच दिन ९, ९ घण्टे काम ले लिया जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको मूल रूप में ही स्वीकार किया जाय और यह जो हमारा संशोधन है इससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : अब बहस काफी हो चुकी है। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

अनेक माननीय सदस्य: अभी बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप (श्री मोगजी की ओर संकेत) बोलिए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, अभी जो वाद-विवाद हुआ है उसको सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि ११ बजे से हमारी विधान सभा चलती है और ५ बजे तक हम थक जाते हैं। याने ६ घण्टे तक हम काम करते हैं। हमें काफी दिमाग लगा करके दिमाग लगाना पड़ता है विधान सभा में और दूसरे लोगों के लिए हम ८ घण्टे या ९ घण्टे तय करने जा रहे हैं, तो जब हम दूसरों के लिए ऐसा करते हैं तो पहले खुद के लिए सोच लेना चाहिए और इसका कारण यह है कि हम तो थक जाते हैं और उनको ६ घण्टे से भी आगे ३ घण्टे और बढ़ा दिये यानि ९ घण्टे कर दिये। यह तो न्यायापूर्ण बात नहीं है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं उनको काफी मेहनत से काम करना पड़ता है और उनको इतनी थकावट हो जाती है यह हमको सोचना पड़ेगा और जो व्यापारी लोग होते हैं उनके पास तो कई तरह की सुख-सुविधा के साधन हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां मेगनीज वालों की खदानें चल रही हैं वहां पर सवेरे ७, ८ बजे का टाइम है और मैं देखता हूं कि वहां पर लोग ६ बजे से ही काम शुरू कर देते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या टाइम है तो उन्होंने कहा कि हमारे ध्यान में तो कोई टाइम नहीं है और शाम को दीया बत्ती के टाइम उनका छुटकारा होता है। याने वहां पर इतना अन्याय करते हैं। वैसे ही आज हम भी नौकरी के लिए नियम बनाने जा रहे हैं तो यह हमें सोच समझ कर बनाने चाहिए। क्योंकि जब हम ही ९ घण्टे का नियम बनायेंगे तो व्यापारी लोग जरूर दस घण्टे करायेंगे क्योंकि उनके लिए कोई प्रति-

(श्री हीराभाई)

बन्ध नहीं है । आज आपकी विधान सभा में छोटे छोटे चपरासी जो पानी पिलाते हैं वह विधान सभा शुरू होने से एक घण्टे पहले आते हैं और खत्म होने के एक घण्टे बाद जाते हैं और उनको कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है । वह भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं । इसीलिए मैं कहता हूं कि सात-आठ घण्टे तक उनसे काम लिया जाना चाहिए । ऐसी बात में उतर जाना मैं पसन्द नहीं करता हूं । इसलिए ६ के बजाय ८ घण्टे कर दिये जायें तो मुझे आपको धन्यवाद देने का अधिकार रहेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काफी बहस हो गई ।

श्री अध्यक्ष : और रोशनी डालने दीजिए ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो श्री गिरधारीलालजी का संशोधन है मैं उससे एग्री करता हूं । साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एक तरह का लाइसेन्स मिल जायगा कि ६ घण्टे बराबर जो दुकानों में काम करने वाले हैं उनको पिसना पड़ेगा । इसके लिए आज का समय इस प्रकार का है कि जहां तक भी हो हर एक मुलाजिम के लिए कई तरह की सुविधायें और साधन मिलते हैं, ऐसी स्थिति के अन्दर यह जो कड़ा नियम ६ घण्टे का है यह उचित नहीं है और इसके लिए अगर यह यहां तय हो गया तो हर एक आदमी खींच करके काम लेने का अपने आपको हकदार समझेगा । ऐसी स्थिति के अन्दर मैं इसका विरोध करता हूँ । कोई भी इस प्रकार का नियम लाकर के यह सवाल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए । जैसा कि हमारे महानुभाव श्री चतुर्वेदीजी ने फरमाया कि कई तरह की सुविधायें होंगी । मैं आपको बताऊं कि जो आदमी ६ घण्टे काम कर लेगा वह आमोद-प्रमोद का स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकता और फिर क्या उनको तनख्वाह मिलती है । यह बात दूसरी है कि आज के पहले ऐसा होता था कि पांच घण्टे में काम कर लेते थे तो कोई १२ घण्टे भी काम कर लेता था, मगर जब यह नियम बन जायेगा तो ऐसी लिमिट का सवाल नहीं रहेगा और ६ घण्टे के लिए हर एक आदमी कैद लगा देगा कि ६ घण्टे से कम काम नहीं करना चाहिये । ऐसी स्थिति के अन्दर तथा कथित स्वतन्त्रता के सूर्य के उदय होने के बाद आज स्वतन्त्रता के समय में इस प्रकार की कैद मजदूरों के वास्ते लगाना कहां तक उचित होगा ? तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि ८ घण्टे के वास्ते जो सवाल उठाया है, यह किसी हद तक ठीक है मगर जो ६ घण्टे का रखा है यह कभी नहीं होना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कितने घंटों को वाजिब समझते हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो ६ घंटे से ज्यादा वाजिब नहीं समझता । ६ घंटे ही हमारे आफिसेज़ वगैरह में है । यह बात बड़े भोलेपन में अभी हमारे मित्र ने कही कि वाकय में····

श्री बहादुरसिंह : आप अपने यहां कितने घंटे काम लेते हैं ?

श्रीमती सतवंत कौर : औरतें सब कुछ करती हैं । सोलह-सोलह घंटे भी काम करती

(श्रीमती सतवन्तकौर)

हैं और आदमी इतने हट्टे-कट्टे होते हैं इनके लिए क्या है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हम तो आप लोगों के लिए भी कहते हैं। कल भी कहते हैं। कल भी यही सवाल आया था कि जिन स्त्रियों के बाल बच्चा होने वाला हो उसके वास्ते डॉक्टरी कराई जाये। देवियों के वास्ते यह सवाल है। मैं तो बड़ा अवांछनीय समझता हूं कि कोई स्त्री कहे कि मेरे बाल बच्चा होने वाला है और कहां तो मिडवाइफ हो, कहां दाई हो और डॉक्टरी कराई जाये। यह तो जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि हम तो आप लोगों की वकालत करते हैं इस बारे में।

श्रीमती सतवन्तकौर : औरतें सहनशील होती हैं इसलिए वह यह नहीं करती हैं कि ६ घण्टे या ८ घण्टे होने चाहिए।

श्री गिरधारीलाल : औरतों को इस कानून में राहत दी गई है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ७ में दिया हुआ है कि ४८ घण्टों से ज्यादा एक सप्ताह में काम नहीं कराया जायगा। इससे ते ८ घण्टे होते हैं या नहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बहस करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) माननीय अध्यक्ष, यह जो बिल है यह दुकानों और वाणिज्य संस्थानों के लिए भी है। यह कोई फेक्टरी के लिए नहीं है, कोई बड़ी बड़ी मिलों के लिए नहीं है। वह उनके लिए है जहां एक चाय की दुकान पर एक लड़का नौकर रखा जाता है, या किसी दुकान पर कोई नौकरी करती है उनके लिए भी हैं और बिल एक्ट बनकर उन पर भी लागू होगा। यह सोचना है कि क्या उनके काम करने के घण्टों के लिए हाजरी रजिस्टर दुकानदार को रखने होंगे कि फलां आदमी ने ८ घण्टे काम किया या ६ घण्टे काम किया। सरकार यह मानकर चलती है कि कर्मचारी से ८ घण्टे ही काम लेना चाहिए और सप्ताह में ४८ घण्टे काम होना चाहिए। याने सप्ताह में ४८ घन्टे ही काम लेना चाहिए और एक दिन में ज्यादे से ज्यादा ६ घण्टे काम करवाने की सरकार ने आज्ञा इस बिल में दी है, याने एक दिन में काम के ६ घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह में ४८ घण्टों से ज्यादा काम के घण्टे नहीं होने चाहिए। देखना यह है कि क्या जो मुनीम और कर्मचारी हैं उनका हाजरी रजिस्टर होगा कि फलां आदमी ने आज आठ घन्टे काम किया या ६ घंटे काम किया और वह हाजरी रजिस्टर इन्सपेक्टर साहब को बताया जायगा कि फलां दिन फलां कर्मचारी ने ८ घण्टे काम किया था या नहीं। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है देश का, इसलिए ६ घण्टे कर दिया है। समाजवाद का उदाहरण देकर बताया है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन यह बिल कोई फेक्टरी वालों के लिये नहीं है या वे खेतीहर मजदूर के लिये नहीं है, लेकिन यह आम दुकानदारों के कर्मचारियों के लिये हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : आप कौन से एमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ?

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अभी जवाब में बताया गया था कि साहब ६ घण्टे से तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी हमारे देश में

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

समाजवाद आया है और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि दुकानों पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है; वहां चाय बिकती है, कपड़ा फाड़ा जाता है, दुकानों पर माल बिकता है। ऐसी स्थिति में आठ घण्टे रहने से····

श्री श्रीभानसिंह : ज्यादा चाय बिकेगी, ज्यादा कपड़ा कटेगा !

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) कम खर्चा होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि खर्चा कम हो । ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है कि आज हम यह सोच रहे हैं कि दुकानदारों, मालिकों और कर्मचारियों के बीच में कोई झगड़ा पैदा नहीं हो, ऐसी स्थिति में यदि इस बिल की इस धारा को ध्यान में रखते हैं और यह धारा ऐसी की ऐसी ही पास करते हैं तो हर दुकानदार और कर्मचारी के दरम्यान में अवश्य झगड़ा उत्पन्न होगा। उसको कौन तय करेगा कि ७ घन्टे काम लिया या ६ घंटे काम लिया। मील तो नहीं कि सीटी बज गई और काम बन्द हो गया। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि ८ घण्टे ही फिक्सड़ होना चाहिए और यह फिक्स होने पर ही यह सम्भव होगा कि झगड़ेबाजी नहीं होगी। एक साथ इसको इस तरह से रहने देंगे तो कर्मचारियों को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष, माननीय गिरधारीलाल ने जो एमेंडमेंट रखा है कि ६ घन्टे के बजाय ८ घण्टे होने चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो बिल हमारे सामने आ रहा है वह छोटी २ दुकानों के लिए है । फेक्टरी और बड़े कारखानों के लिए दूसरे कानून हैं, परन्तु यह भी हमें मान कर चलना चाहिए कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कर्मचारी रखने का मौका ही नहीं मिलता है। छोटी जो चाय की दुकान है उस चाय की दुकान पर घर वाले ही २, ४, ५ अपने परिवार के सदस्य हैं वे ही काम करेंगे, इसलिए वे तो नियोजन के रूप में आ जायेंगे, क्योंकि जो परिवार के कर्मचारी सदस्य हैं वे उसके अन्दर माने जाते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह हटा दिया गया है। अब नौकर होंगे।

श्री लच्छूराम : छोटी दुकानों पर जो मुनीम-गुमाश्ते रखते जाते हैं उनके लिए यह प्रश्न चल रहा है कि ६ घन्टों के बजाय ८ घन्टे होने चाहिये। आज हम अपने समक्ष जो देखते हैं तो १० घण्टे या १२ घण्टों का इस प्रकार का प्रश्न चल रहा है। यह कोई प्रोडक्शन का प्रश्न नहीं है जैसा कि हमारे सामने आ चुका है।

डॉ० बहादुरसिंह : रूस में जबरदस्ती रखे जाते हैं जब प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल होता है।

श्री लच्छूराम : रूस और हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। इस प्रकार से १० या १२ घन्टों का ही प्रश्न नहीं हैं और भी बहुत सी बातें वहां पर हैं, यह राजस्थान है रूस नहीं। राजस्थान में हम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल को पास करने जा रहे हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि वाकई में मुनीम-गुमाश्तों के लिए ६ घण्टे फिक्स कर दिये जाते हैं तो

(श्री लच्छूराम)

क्या दिक्कतें होंगी ? ८ घण्टे एक दिमागी परिश्रम करने वाला मुश्किल से काम कर सकता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा था कि हम असेम्बली में ११ से ५ बजे तक काम करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा २ या ३ घन्टे दिमागी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। माननीय स्पीकर महोदय भी २, ३ घण्टे कुर्सी पर बैठते हैं उसके बाद में डिप्टी स्पीकर या सभापति महोदय.........

श्री श्रीभानसिंह : I object to this reference by Hon. Member and these words may kindly......

श्री अध्यक्ष : I don't.

श्री लच्छूराम : (जारी) मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयर की तरफ डाइरेक्ट आक्षेप नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेन्टेली दो, तीन घन्टे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। दूकानों पर रहने वाले मुनीमों और गुमाश्तों को ८ घण्टे काम करना पड़ता है तो दुकान में कोई घास खोदना नहीं पड़ता है, दुकानों में कोई खाई खोदनी नहीं पड़ती है, दुकान में कोई नहर नहीं निकाली जाती है। दुकानों के अन्दर दिमागी काम लिया जाता है और दिमागी काम करने वाले आदमी के लिए ८ घन्टे फिक्स कर देना कहां तक वाजिब है ? मैं तो यह कहता हूं कि ६ घंटे फिक्स करना चाहिए। वह ठीक है क्योंकि इसके लिए जो मालिक हैं वे एक के बजाय दो कर्मचारी रखें। मैं इस पक्ष में हूँ कि ८ घन्टों के बजाय ६ घंटे रखे जायं और हफ्ते में ३६ घन्टे होने चाहिए ४८ के बजाय। ६ घन्टे रखते हैं तो साफ साफ सरकार की चोर नीति सामने आती है। एक तरफ तो ४८ घण्टे काम लेंगे और एक तरफ एक दिन में ६ घण्टे काम करेंगे। साफ नीति हो। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है कि ६ के बजाय ८ घण्टे यदि वह करदे। साफ साफ खुली चीज है कि हमारी नीति ४८ घन्टे काम लेने की है। मालिक और मुनीम में एक प्रकार से झगड़ा हो तो वह वास्तव में ठीक हो। एक तरफ ४८ घन्टे रखें और एक तरफ ६ घण्टे रखें तो फिर उसको ६३ घण्टे कर देना चाहिए। यह गैरवाजिब है। आज बीसवीं सदी के जमाने में, इस प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार से गरीब आदमियों को दबाया जाय, क्योंकि जिनके पास में पैसा नहीं होगा, वही नौकरी करने जायेंगे। इसलिए मुनीम गुमाश्तों के लिए ६ घन्टे का कानून बनाकर गरीबों के प्रति अन्याय करेंगे, दिमागी परिश्रम करने वाले आदमियों के साथ अन्याय होगा।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ६ घण्टों के बजाय ८ घण्टे कर दिये जाने चाहिये। ऐसा करने से मालिक और मुनीमों के बीच जो लड़ाई है वह खत्म होगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मालिक कहेंगे कि हम ६ घंटे काम लेंगे और मुनीम कहेंगे हम सप्ताह में ४८ घन्टे काम करेंगे, इसलिये बेकार में टंटा होगा। इसलिये जो अमेन्डमेन्ट है कि ८ घण्टे होने चाहिये वह सही है। मैं समझता हूं मन्त्रीजी उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर में यह जो प्रश्न पैदा हुआ है वह क्यों पैदा हुआ है ? सातवां क्लॉज़ बिल्कुल साफ है, ६ घन्टों से अधिक काम नहीं लिया जायगा और सप्ताह में ४८ घण्टों से ज़्यादा काम नहीं लिया जायगा, मौत और ग्राहक कब आते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं यह मालूम नहीं होता है, हमारे यहां की एक कहावत है। कभी-कभी मुनीम साहब खाली बैठे रहते हैं तब भी ग्राहक नहीं आते हैं। आप ऑफिस के काम से इसकी तुलना करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस के काम से इसकी तुलना नहीं हो सकती। ऑफिस का काम आखिरी समय तक बना रहता है, लेकिन राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो व्यापार यहां चलता है उसमें कुछ महीनों तक ही ग्राहक आते हैं, जैसे बरसात के दिनों में ग्राहक नहीं आते हैं और मक्खियां मारने का काम हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सौंपा नहीं गया है। लेकिन उनके यहां ऐसा ही काम होता है। यदि आप मालिक की मालिकियत को खत्म करना चाहते हैं या संघर्ष मिटाना चाहते हैं, तो कानून के द्वारा संघर्ष को नहीं मिटा सकेंगे। यह संघर्ष तभी मिट सकता है जब कि दोनों में सौहार्द पैदा होगा और उसके लिए वही तरीका था, ६ घण्टे काम लिया जाय। मान लीजिये दुकान पर जरूरी काम है, इसलिए कर्मचारी से ६ घण्टे काम लिया गया है, लेकिन दूसरे दिन मुनीम जी के घर में काम होता है तो उनको जल्दी छुट्टी भी दी जाती है। इसमें यह भी साफ है कि ओवर टाइम वर्क लिया जायगा, तो उसको ज्यादा तनख्वाह दी जायगी : 'Provided that the total number of hours of work including over-time shall not exceed ten hours in any day except on days of stock-taking and preparation of accounts.

Provided further that the total number of ovretime hours worked by an employee does not exceed fifty in a quarter."

ये जितने क्लॉजेज़ हैं उनमें मालिक और गुमाश्ता के बीच में, मालिक और कर्मचारियों के बीच में, ऐसी भावना रखी है कि दोनों मिलकर अपने आप को एडजस्ट कर सकें।

शायद आप यह सोचते हैं कि राजस्थान में बड़ी बड़ी दुकानों में जितना काम लगा रहता है कि गुमाश्तों को बराबर ६ घण्टे काम करना पड़ता होगा और गुमाश्ता और मालिक के बीच में खाई पैदा होती होगी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत यदि आप ८ घण्टों का समय उनके लिये कर देंगे, तो जो लोग खरीददार या कंज्यूमर्स हैं उन पर ज्यादा असर पड़ेगा और उनको चीजें मंहगी मिलेंगी। इसका कारण यह है कि दुकानदार समझेगा कि अब दो मुनीम रखने पड़ेंगे और उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए जो बिल अभी जिस रूप में है, वह उसी रूप में राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए ठीक है। इसलिए जो संशोधन रखे गये हैं, वे उपयोगी साबित नहीं होंगे। मैं निवेदन करूंगा बिल जिस रूप में है उसी रूप में पास होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (उद्योग प्रदाय मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस दफा ७ में जो संशोधन रखे गये हैं और जो बहस हुई है, मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल अनावश्यक है और सारी बहस से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। दफा बिल्कुल साफ है और परिस्थिति बिल्कुल साफ है, आप जो संशोधन चाहते हैं, वही बात इसमें लिखी हुई है। कोई एम्प्लोई गुमाश्ता या मुनीम है वह एक दिन में ६ घन्टों से ज्यादा या एक सप्ताह में ४८ घन्टों से ज्यादा काम नहीं करेगा। यह तो आपको ख्याल ही है कि ८ घन्टे या ७ घन्टे काम नहीं लिया जायगा।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह दलील दी गई कि हरेक मालिक ९ घन्टों से कम काम नहीं लेगा। लेकिन हमने इस बिल में लिखा है कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होगी और सप्ताह में ४८ घन्टों से ज्यादा काम नहीं लिया जायगा। इस तरह से प्रतिदिन ८ घन्टे तो वैसे ही होगये.......

श्री गिरधारीलाल : तो फिर आप ८ घन्टे का संशोधन मान क्यों नहीं लेते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) आप सुन लीजिये मैं बता रहा हूं। इसमें ८ घन्टों से ज्यादा काम लेने की तो बात है ही नहीं। कानून में लिखा है कि ६ रोज का सप्ताह होगा और ४८ घन्टों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम मान क्यों नहीं लेते कि यह बात मजदूरों, मुनीम, गुमाश्तों की सहूलियत के लिए रखी गई है। इसका असर क्या होने वाला है ? मान लीजिये एक फर्म में ९ घन्टे रोज काम होता है उसका मतलब यह हुआ कि वहां पर ५ रोज तक तो ९ घन्टे रोज के हिसाब से ४५ घण्टों तक काम हुआ और अन्तिम रोज, शनिवार के रोज, ३ ही घन्टों तक काम होगा, हाफ होलिडे होगी। अभी हमारे ओफिसेज़ में भी यही होता है। इसलिए मजदूर भी यदि ९ घन्टे रोज काम करेंगे तो बाद में उनको राहत मिल जायगी। यह तो मजदूरों और कर्मचारियों के फायदे के लिए रखा है। मालिक और कर्मचारी मिलकर कहें कि हम आखिरी दिन ३ घन्टे काम करेंगे। यह तो सीधी सी बात है, यदि वे ८ घन्टे रोज काम करेंगे तो ६ दिन तक रोजाना इतने घन्टे ही काम करना पड़ेगा। सप्ताह में ४८ घण्टों तक पूरा काम करना पड़ेगा। लेकिन सब की सहूलियत के लिए यह रखा गया है। मान लीजिये किसी मजदूर को आज जरूरी काम है, वह ९ घन्टे रोज काम करता है और एक दिन जल्दी जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उस दिन यदि वह ६ घन्टे ही काम करेगा तो भी एवरेज आ जायगी।

१. ३८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा आपको शक है कि मालिक मजदूरों के ताल्लुकात इससे खराब हो जायेंगे और यह कैसे मालूम होगा कि ९ घन्टों तक वह काम करेगा। इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि बाकायदा हाजरी रजिस्टर रखा जायगा, जिसमें रोजाना हाजरी दर्ज होगी और काम के घन्टे दर्ज होंगे। इन्सपेक्टर्स होंगे जो इस रजिस्टर को चैक कर सकेंगे और शिकायत होगी, तो उसको सुन सकेंगे और इस कानून की अवहेलना होगी तो चालान कर दिया जायगा। तो यह समझना कि ताल्लुकात बिगड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस कानून की पूरी तरह से पाबन्दी होगी। यह तो कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ही रखा गया है। यह कानून फेक्ट्री एक्ट से लिया गया है, जो सारे हिन्दुस्तान में लागू है। फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी संस्थायें चलती हैं, उनकी बड़ी बड़ी कांफ्रेन्सेज़ होती हैं, मीटिंग्ज होती हैं, बड़े-बड़े इन्स्टीट्यूट्स बने हुए हैं, उन सबके लिए भी यही काम में आता है और इसी के अनुसार काम होता है। ४८ घन्टों से ज्यादा सप्ताह में किसी से काम नहीं लिया जाता है। इसके अन्दर भी वही बात रखी गई है। इसलिए अर्ज करूंगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ही इसमें है। कर्मचारियों से ९ घन्टे काम लिया जायगा, ऐसी बात नहीं है। यदि ९ घंटे तक ५ दिन काम लेंगे तो छठे दिन ३ घन्टे तक ही काम लिया जायगा। इसलिए यह तो काम करने वाले मुनीम गुमाश्तों की सहूलियत के लिए रखा गया है। यदि आप रिजिड रखेंगे ८ घन्टे काम होना चाहिये तो यह ज्यादा रिजिड हो जायगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अभी मन्त्री जी ने बताया था कि कर्मचारियों से बातचीत करली है इस बारे में राजस्थान व्यापार कर्मचारी संघ ने खुद ने कहा है कि ८ घन्टे होने चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा कि बात करली है। मैं तो कहता हूं....

श्री पुरुषोत्तमलाल : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : Will not interrupt him. Order ! Order please !!

डॉ० बहादुरसिंह: मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जो मैंने अमेंडमेंट रखा था वह इस आशय का था कि सरकार ने सप्ताह के अन्दर ४८ घन्टे मजदूर के लिए निश्चित किये हैं और दूसरी ओर सरकार ने एक दिन के अन्दर आठ घन्टे के बजाय नौ घन्टे काम लेने के विषय में विधेयक के अन्दर प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह था कि एक तरफ तो कहते हैं कि सप्ताह में ४८ घन्टे काम लेंगे और दूसरी ओर आप देखेंगे कि नौ घण्टे रखे हैं, फिर नौ घण्टे प्रति दिन काम लेने का आशय क्या है ? या तो आप मुझे समझा दीजिये कि आपका आठ घण्टे के बजाय नौ घण्टे रखने में क्या आशय है ? आप कहते हैं कि ४८ घण्टे से ज्यादा काम नहीं लेंगे और दूसरी ओर कहते हैं कि प्रति दिन नौ घण्टे काम लेंगे। मैंने अपने संशोधन के अन्दर.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नौ घण्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जायगा, नौ घण्टा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आप इतना तो स्वीकार करते हैं कि नौ घण्टे तक काम लिया जा सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष, सदन के अन्दर इस संशोधन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने, इधर उधर बैठने वालों ने, जिस प्रकार के विचार प्रगट किये हैं, उन सबने प्रगट किया है कि इससे मुनीम और जो व्यापारी हैं, दुकानदार के अन्दर झगड़े पैदा हो सकते हैं। यह निश्चित कौन करेगा कि फलां व्यक्ति है, जिससे आठ घण्टे से ज्यादा काम लिया गया है..........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि रजिस्टर होगा, इन्पेक्टर निरीक्षण करता रहेगा।

श्री गिरधारीलाल : हमने आपका नमूना फेक्ट्री एक्ट में देख लिया है। फेक्ट्री एक्ट में यह कानून बना रखा है कि सप्ताह में एक दिन दुकान बन्द रहेगी। लेकिन आप के पास इतने इन्सपेक्टर नहीं हैं जो यह देखें और कठोरता से व्यवहार और पाबन्दी लगायें कि सप्ताह में एक दिन दुकान न खुले। हमने आपका उदाहरण देख लिया है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब आप नई बात कह रहे है......

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister please, will not disturb the House. Let him have his whole say.

(थपथपाहट)

श्री गिरधारीलाल : मेरे कहने का आशय यह था कि आप ४८ घण्टे काम लेना चाहते हैं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिये कि इसमें नौ घण्टे हों। अगर आप ऐसा रखते हैं तो दुकानदार कर्मचारियों से आठ घण्टे से ज्यादा काम लेंगे और नौ घण्टे से अधिक काम नहीं लेंगे। यह ख्याल गलत है। आपने क्लॉज नौ में कहा है :

"किसी संस्थान में किसी कर्मचारी को प्रत्येक दिन की कार्यावधि इस प्रकार नियत की जायगी कि कोई भी अवधि ५ घण्टों से अधिक की न हो और ऐसा कोई भी व्यक्ति ५ घन्टों से अधिक कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक उसने इसके पूर्व कम से कम आध घण्टे विश्राम नहीं कर लिया हो।"

इससे साफ जाहिर है कि कर्मचारी से साढ़े नौ या १० घण्टे काम लेना चाहते हैं, जिसमें से आध घण्टे की छुट्टी देना चाहते हैं, दूसरी ओर यह कहते हैं कि ४८ घण्टे काम करने का सप्ताह के लिए प्रावधान रखा है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ४८ घण्टे क्या होते हैं और ६ घण्टे क्या होते हैं या आपकी समझ में नहीं आया कि आप यह बता दें कि ६ दिन में ४८ घण्टे होते हैं, तो एक दिन में आठ घन्टे काम करेगा, अगर एक दिन में नौ घण्टे काम करता है तो ५४ घण्टे होते हैं। आपने ५४ घण्टे के बजाय ४८ घण्टे रखा है। अगर आठ घण्टे रोज होते हैं तब ६ दिन के अन्दर ४८ घण्टे होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप मजदूरों को झांसा देना चाहते हैं। उन्हें ४८ घण्टे का शब्द दिखला कर आश्वासन देना चाहते हैं और दूसरी ओर व्यापारी वर्ग को भी आश्वासन देते हैं कि हमने नौ घण्टे कर दिये हैं। आगे आपने ४८ घण्टे लिखा है और पीछे नौ घण्टे लिखा है। यह अजीब भाषा है। इससे व्यापारी वर्ग फायदा उठायेगा। हम अनुभव से बताते हैं कि अपने फेक्ट्री एक्ट के आधीन जो नियम बनाये हैं, उनका पालन नहीं होता है। यहां जितने एक्ट आते हैं, जो सदन में प्रस्तुत करते हैं उनकी भाषा कोई अच्छी नहीं होती। इस भाषा से दोनों तरफ अर्थ निकलते हैं, यानि नौ घण्टे से अर्थ निकलता है ५४ घण्टे का और ४८ घण्टे से अर्थ निकलता है आठ घण्टे का। आप कहते हैं कि नौ घन्टे रोज काम करेगा, लेकिन सप्ताह में ४८ घंटे काम करेगा। यह लचकती हुई भाषा है, जिसको आप ही समझ सकते हैं या उस ओर बैठने वाले सदस्य ही समझ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह नौ घन्टे और आठ घंटे के झंझट में मुनीम और व्यापारी में झगड़ा बढ़ेगा और व्यापारी कर्मचारियों से ज्यादा काम लेगा। एक माननीय सदस्य ने बताया था कि हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, कम कार्य करने की नीयत नहीं रखनी चाहिये। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिले इसका जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया था और समाजवादी देश के उदाहरण दिये थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दुकानों के अन्दर जो मुनीम और कर्मचारी काम करेंगे, वे देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे, वे सारे वक्त बही खाते, कागज काले करते रहेंगे। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं। वे मिल में

(श्री गिरधारीलाल)

कपड़े का और धान-नाज का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले नहीं हैं। इससे साफ जाहिर है कि आप उदाहरण देते हैं, आप कहते हैं कि ज्यादा काम करना चाहिये। मैं मानता हूं कि यह उदाहरण उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम उन मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए यह जरूर मान लें, जिनके लिए इस कानून को इस सदन में पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज सात के अन्तर्गत जो संशोधन श्री बहादुरसिंह जी ने पेश किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ के अन्तर्गत श्री गिरधारीलाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री गिरधारीलाल : 'हां' पक्ष जीता।

डॉ० बहादुरसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want a division ? Let the bell be rung.

श्री गिरधारीलाल : Yes.

(विभाजन सूचक घण्टी के पश्चात् अनेक माननीय सदस्यों के सदन के प्रांगण में प्रवेश करने पर)

श्री उपाध्यक्ष: (To Shri Girdhari Lal) I think this is what was wanted.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ सात के अन्तर्गत जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ सात विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

एक माननीय सदस्य : He is absent.

श्री उपाध्यक्ष : He is conspicuously present.

श्री गिरधारीलाल : क्लॉज़ आठ ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, आठ।

Page No.51

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ के अन्दर लिखा हुआ है कि जिस कर्मचारी से ६ घंटे से या सप्ताह में ४८ घन्टे से ज्यादा कार्य लिया जायगा तो उसको जितनी उसकी मजदूरी है, उससे ड्योढ़ी मजदूरी दी जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें संशोधन रखा है कि ओवर टाइम के लिये दूनी मजदूरी रखनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप आज दिन देख सकते हैं कि जो लोग प्राइवेट दुकानों में काम करते हैं, उनको पहले से ही दुकानदार कम मजदूरी देते हैं। आज दिन हमारा दुर्भाग्य है कि एक एक्ट इस सदन में पास कराने के लिये पेश किया गया है, पर उसमें कम से कम मिनिमम क्या तनख्वाह एक व्यक्ति की होनी चाहिये, इसका प्रावधान नहीं रखा है और आज हम देख रहे हैं कि दुकानदार अपने कर्मचारियों को कम से कम तनख्वाह देता है और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेता है। आज बेकारी का जमाना है,कम पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जिनके पास कला है, बही खाते, हिसाब–किताब रखने की उनके पास कला है, इसके लिये उन्हें कुछ दुकानों में नौकरी मिल जाती है। कम पढ़े लिखे हैं इसलिये उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वे लोग खेती नहीं कर सकते, नहर पर जाकर नहर नहीं खोद सकते, फावड़ा नहीं चला सकते उनके सामने एक ही तरीका अपनी आजीविका कमाने का है कि प्राइवेट दुकानों में काम करके गुजारे के लायक पैसा कमा लिया जाय।

इस एक्ट के द्वारा उन लोगों को कुछ रियायत देने का हमारा विचार है और शायद मन्त्री महोदय का भी यही विचार होगा, पर आपने ओवरटाइम के लिये ड्योढी मजदूरी का प्रावधान रखा है, यह उचित नहीं है। अव्वल तो एक व्यक्ति से ओवर टाइम पर काम लेते हैं तो यह नाजायज चीज है। पर वह भी जो है अपने बाल बच्चों का, अपना पेट पालन करने के लिये पैसा चाहता है, उसको पैसे की जरूरत है, ओवर टाइम करेगा तो एक्ट में प्रावधान रखना चाहिये कि ओवर टाइम में दुगुनी मजदूरी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनको कुछ भी राहत नहीं देते हैं। इस कानून में हम देखते हैं कि एक तरफ तो कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि हम तुमको राहत पहुंचायेंगे और दूसरी तरफ सरकार ने दुकानदारों का पक्ष लिया है। इस कानून के प्रावधान और इस कानून की भाषा इस प्रकार की रखी है कि जिससे व्यापारी फायदा उठायें। आपको इससे अगर वास्तव में मजदूरों को, इन बुद्धिजीवी कर्मचारियों को फायदा, राहत पहुंचाना है, तो इसमें इतना कर देना चाहिये कि जिस कर्मचारी से ओवर टाइम में काम लिया जायगा उसको उसके लिये दुगुनी मजदूरी दी जायगी।

मेरे जितने अमेंडमेंट थे उनमें से एक के सिवाय एक भी ऐसा नहीं जिसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया हो। अब मैं आशा करता हूँ कि उन कर्मचारियों के हित के लिये, जिनको राहत पहुंचाने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है मन्त्री महोदय, मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संशोधन श्री गिरधारीलालजी ने रखा है, उसके समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि जो लोग दुकानों पर या दूसरी जगह काम करते हैं, उनकी क्या मजदूरी है, इसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उनके

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिए कोई निश्चित वेतन नहीं है । कल यह बिल कानून बन जायगा तो ऐसी सूरत में हमें इस बारे में सोचना चाहिये । एक दुकानदार अपने कर्मचारियों से कितना काम लेता है, यह हम जानते हैं । होटलों में जाकर देखेंगे तो ठीक ७ बजे सुबह होटल चालू होता है और रात को १२ बजे तक चलता रहता है और इस प्रकार १५–१५ घण्टे सोलह-सोलह घन्टे एक लड़के को काम करना होता है । वैसी स्थिति में वेतन तो निश्चित नहीं किया और ओवर टाइम की बात कहदी, तो ८ रु० माहवार में एक लड़का एक होटल पर काम करता है, वह १२ घण्टे काम करेगा तो इस हिसाब से उसको चार रुपये और मिल जायेंगे । होटल का मालिक ४ घण्टे ज्यादा काम उससे करायेगा और मजदूरी देगा, जो उसे मिलती है उससे आधी । जब कि दूसरी जगह कपड़े की मिलों में, कल-कारखानों में काम करने वाले हैं उनके लिये सरकार ने फेक्टरी एक्ट के अन्दर और दूसरे कानूनों के अन्दर यह प्रावधान रखा है कि ओवर टाइम के लिये दुगुना मिलता है और यहां इस बिल में ओवर टाइम के लिये आधा कर दिया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यहां आधा क्यों कर दिया गया है ? जहां फेक्टरियों का सवाल है, वहां मजदूर संगठित हैं, वे लोग अपनी संगठित आवाज उठाकर अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते है, पर ये बिखरे हुए मजदूर हैं इनकी कोई संगठित आवाज नहीं, इनकी आवाज कोई नहीं सुनता, मिल कर अगर कोशिश भी करें तो वस्तु स्थिति यह है कि मालिक मनमाने तरीके से उन लोगों को निकालेंगे, छुटनी करेंगे और न मालूम कितना उपद्रव इसमें होगा और हम यहां कानून की छूट दे दें कि आधी तनख्वाह में ४ घण्टे काम करेंगे, तो जो तनख्वाह उनको मिलती है उससे आधी और मिल जायगी । तो नतीजा इसका यह होगा कि वेतन तो उसका कम ही रहेगा और दुकानदार कम वेतन में भी ज्यादा से ज्यादा काम उससे लेने की कोशिश करेगा और इस प्रकार इस कानून के द्वारा काम के जो घण्टे बांधे हैं, न तो उनका उसको फायदा मिल सकेगा और नहीं उसे अधिक पैसे मिल सकेंगे । तो मैं नहीं समझता कि दूसरे मजदूरों के लिये ओवर टाइम के प्रश्न को लेकर जो सुविधा रखी गई है, वही सुविधा इन दुकानदारों के मजदूरों के लिये भी क्यों नहीं रखी गई है । अगर इस कानून में यह नहीं रखा गया तो वस्तु स्थिति यह है कि दुकानदार मालिक इस कानून का फायदा उठायेंगे, उनके मजदूरों को, कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा । मेरा यह विश्वास है कि सरकार भी नहीं चाहती कि मजदूरों को नुकसान हो, उनकी मंशा भी यही है कि वाकई जो दुकानों में काम करने वाले लोग हैं वे बहुत सताये जाते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिये, पर वह किस प्रकार मिल सकेगा इसको मद्दे नजर रखते हुए कोशिश करेंगे तो मिल सकता है, नहीं तो एक्ट बनाने से, कानून बनाने से लाभ नहीं मिलने वाला है ।

जिस प्रकार की सुविधाएं दूसरी जगह दी हैं, उन्हें ओवर टाइम दुगुना मिलता है । ८ घण्टे काम करने के बाद आदमी थक सकता है, उसके बाद काम करने के लिये उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये । टाइम खत्म हो जाने के बाद काम करता है और उसे डबल दिया जाता है तो इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा । एक तो आगे ही उसको वेतन कम मिलता है, फिर आधा वेतन देकर ओवर टाइम काम करने का प्रावधान रख

(श्री मुरलीधर व्यास)

देंगे तो इससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हो सकता है, इसमें गलती भी रह गई हो, मैं तो इसमें विश्वास भी नहीं करता कि इस प्रकार से सरकार सोचे कि कर्मचारियों को राहत नहीं मिलनी चाहिये, गलती रह गई है तो उसको सुधार लेना चाहिये ।

दूसरे यह अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि इसको स्वीकार करने के बारे में कोई जिद्द हो। सरकार की मंशा लाभ पहुँचाने की है और इस अमेंडमेंट से लाभ पहुंच सकता है अन्यथा नहीं । मैं इस दृष्टि से इसका समर्थन करता हूं ।

२ म० १०

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री गिरधारीलालजी ने जो अमेंडमेंट रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि धारा ७ का एक प्रॉविजो है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें है : "Provided further that the total number of overtime hours worked by an employee does not exceed fifty in a quarter" इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम वर्क ले सकेंगे वह ५० घण्टों से ज्यादा नहीं होगा । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं कि ८ घण्टे काम तो आप वैसे ही ले रहे हैं और ४ घन्टे और लेते रहेंगे तो काफी दिक्कत होगी, मगर यह स्थिति पैदा नहीं होगी । यह ओवर टाइम का तो इसलिये रखा है कि कभी ज्यादा वर्क हो तो उनको करना पड़े और ओवर टाइम वर्क हमेशा नहीं रहेगा । क्योंकि इसमें लिमिटेशन रखा है ५० घन्टे से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगे ।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा वह यह है कि मिनीमम वेजेज़ एक्ट अलग है । उसमें किसी व्यक्ति को २५ मिलेंगे या ५० मिलेंगे यह तो सब रूल्स के मातहत तय होंगे तब मिलेंगे । इसके अलावा फेक्ट्रीज़ की बात कही कि फेक्ट्रीज़ में ऐसे नियम लागू हैं कि ओवर टाइम वर्क करने वाले के लिये ऐसा नियम है कि डबल मिलेगा । हम इसका फेक्ट्री से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि फेक्ट्री में लेबर काम करती है तो उससे उनको ज्यादा फायदा मिलता है । क्योंकि आउट पुट बढ़ेगा और आउट पुट बढ़ेगा तो फेक्ट्री के मालिक को फायदा होगा, लेकिन एक दुकानदार है अगर उसके यहां किसी वजह से ओवर टाइम वर्क होता है, जैसे माल देरी से आया या बिल्टी देरी से आई तो उसको ठहरना पड़ता है । इसमें उसको मार्जिन ऑफ प्रोफिट ज्यादा नहीं रहेगा । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि फेक्ट्रीज़ और शॉपकीपरों का मिलान करना जरूरी नहीं है । इसलिये जो यहां पर रखा है वह ठीक है, हमें शॉपकीपर्स और मुनीमों की बात करनी है । इसलिये उनका ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं कि जो कुछ दिया जावे वह ठीक है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है, उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि इसकी रूट में कुछ सार है, क्योंकि लोग जो दुकानों पर मजदूरी करने जाते हैं, मैं यह मानता हूँ कि हमारे यहां राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देशों में यह एक बड़ी भारी सामाजिक

(श्री जनार्दनराय नागर)

समस्या है । हम एक प्रयोग उदयपुर में कर रहे हैं । हम उदयपुर में ऐसी कॉलेज चला रहे हैं जिसमें दिन में काम करने वाले लोग आते हैं । जब वे लोग कॉलेज में आते हैं और उनसे पूछते हैं तो उनसे मालूम होता है कि उनके काम करने के घण्टे हैं ही नहीं । हमने इस मामले में काफी वस्तुएं मालूम कीं । ऐसे तो आप चाहें तो आठ या नौ घंटे रखें, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि उनको १०-१२ घण्टे काम करना पड़ता है । आप एक छोटे से होटल का ही उदाहरण लें । वहां पर भी आप देखेंगे कि पहले तो आपको आठ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक के बच्चे और इससे भी छोटे लड़के काम करते हुए देखने को मिलेंगे । होटलों में अक्सर लड़के ही रखे जाते हैं और मैं समझता हूँ कि उनसे १०-१२ घण्टे काम लिया जाता है । यह एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं यह मानता हूं कि इस समस्या को हमें निश्चित रूप से हल करना होगा । इसके अलावा जैसा कि अभी कहा गया है. ये लोग दुकानों में काम करते हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए । मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे घरों में काम करने वाले नौकर हैं वे भी इसी श्रेणी में, वर्ग में आ जाते हैं । आप जानते हैं कि मध्य वर्ग समाज कितना बड़ा है और वह बिना नौकरी के जी नहीं सकता । मध्य वर्ग समाज इतनी लम्बाई-चौड़ाई में फैला हुआ है कि यदि आप देखें तो आपको मानना पड़ेगा कि व्यापारी और मध्यवर्ग का बड़ा लम्बा चौड़ा कुनबा है, उसको नौकर रखने पड़ते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में हमें भी हमारे यहां वही कानून बनाने होंगे जो प्रगतिशील देशों में दूसरी जगह बनाये जाते हैं । और मेरी यह मान्यता है कि घरों और दुकानों में काम करने वाले लोगों के लिए काम करने के बारे में आपको निश्चित घण्टे बांधने होंगे और उसके अलावा अगर उनसे मेहनत और मजदूरी ली जाती है तो उसके लिये उनको मजदूरी व एवजाना देना होगा ।

इसके अलावा सबसे बड़ा मैं हकूमत का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि हमारे यहां चाइल्ड लेबर ली जाती है । जिन बच्चों के लिए यह पढ़ने और अपने दिमाग को विकसित करने का समय है उस समय उनसे यह काम लिया जाता है और मैं तो यह कहूंगा कि यह एक प्रकार का सामाजिक पाप है । क्योंकि बहुत से लोग गरीब होते हैं और अपनी रोटी कमाने के लिये उनके ये बच्चे लोगों के यहां काम करते हैं । ८ वर्ष के ऊपर की उम्र के बच्चे को मजदूरी करनी पड़ती है और अगर वह मजदूरी नहीं करता तो उसको रोटी नहीं मिलती । इन लोगों की जो होटलों, घरों और दुकानों में काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी स्थिति गुलामों से किसी प्रकार कम नहीं है । इसलिए जो संशोधन यहां पर आया है, उसको पक्ष और विपक्ष की दृष्टि से न देखा जावे, लेकिन हमारे समाज की जो दयनीय स्थिति है उसका ध्यान रखते हुए इस पर विचार किया जावे और उनके काम करने के घण्टे मुकर्रर किये जावें । जो लोग दुकानों में काम करते हैं, उसके अलावा यदि आप में हिम्मत हो और साहस हो तो घरों में काम करने वाले नौकरों के लिए भी कुछ करें । सारी दुनियां में इसी प्रकार हो रहा है । यदि, माननीय उपाध्यक्ष, आपको इंगलैण्ड जाने का सौभाग्य मिला हो और आपने वहां पर देखा हो तो आपको यह बात मालूम होगी और आपको यह बात वहां पर मिली होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : Why drag the Chair? You must have your own experience.

श्री जनार्दनराय नागर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से यह कहना चाहता हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर उनके बंधे बंधाये घण्टे होते हैं। वे लोग समय पर अपना काम करने चले जाते हैं और बहुत सा काम मध्यवर्ग के लोगों को अपने हाथों से कराना पड़ता है। इंगलैंड की ऐसी परिस्थिति है। हमारे यहां पर यह एक बहुत बड़ी समस्या है, आप इसका अनुमान लगाए कि नौकरों की और घरों में काम करने वालों की संख्या कितनी है। जो लोग घरों में काम करते हैं वे लोग मजदूर नहीं कहाते हैं, वे लोग नौकर कहाते हैं।

मैं आपसे यह कहूँगा कि जो लोग घरों में काम करते हैं, उनकी हालत गुलामों से बहतर नहीं है और आप देखेंगे कि इससे बढ़ कर आपको सामाजिक गुलामी का नमूना और कहीं नहीं मिलेगा। राजा महाराजाओं के समय भी दास और दासियें हुआ करती थीं, मगर जब हमारे देश में परिवर्तन हुआ तो यह चीज उसी समय समाप्त हो जानी चाहिए, मगर हम देखते हैं कि वही चली आ रही है। आज घरों में काम करने वालों की स्थिति को देखें तो मालूम होता है कि वे लोग अपने घरों के मालिक और मालकिन की दया पर जिन्दगी बसर करते हैं। उनसे मनमाना काम लिया जा सकता है और उनको रखने और निकालने का कोई तरीका नहीं, जिस समय चाहा उनको निकाल देते हैं और जिस समय चाहा रख लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये हकूमत से पूछना चाहता हूँ कि जब फैक्ट्री में काम करने वालों को अर्जियें देनी पड़ती हैं और उनके लिए कुछ स्टेन्डर्ड मुकर्रर हैं, मगर जो लोग दुकानों और घरों पर काम करते हैं उनके लिए कोई नियम भी नहीं। दुकानदार किसी को नौकर रखता है, उसके लिये क्या आधार है, कोई आधार नहीं होता। जिसको चाहा रख लेता है और जब चाहा निकाल देता है। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि अच्छी हकूमत को इसके लिये भी कोई आधार रखने चाहिये और जो लोग इस तरह से बिना किसी कारण ही निकाल दिये जाते हैं, उनको रोकना चाहिये। केवल हम यह कह कर कि हमने बिल बना दिया है और बिल में यह रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति ५० घन्टों से ज्यादा काम नहीं करेगा, इसमें तो कोई आधार नहीं है। इसलिए मुझे तो जो संशोधन रखा गया है उसमें कुछ वजन अवश्य मालूम होता है। मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार इस पर किस हद तक ध्यान दे रही है। जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि कहती है, सरकार पूरी तरह से सामाजिक प्रगति करने के बड़े बड़े स्वप्न देख रही है और खास करके नौकरशाही को मिटाने और गुलामों की स्थिति है, उसको दूर करने का प्रयत्न कर रही है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उसको दूर करने जा रही है, उस समय इस बात को और भी महत्व दिया जाय और ऐसा न हो कि कोई जिम्मेदारी का क्लॉज़ छूट जाए। इसलिए रूल पर विचार किया जाए और जो योग्य बात है उसको सोचना चाहिये। यह एक निश्चित बात है और इससे सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इसलिये इसका उपयोग ठीक तरह से होना चाहिये। यदि वे लोग ८ घण्टे से या ९ घंटे से अधिक काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको ओवरटाइम मिलना चाहिये और उसी हिसाब से मिलना चाहिये, जिस प्रकार प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में

(श्री जनार्दनराय नागर)

मिलता है। आपने यह दलील दी कि दुकानों में कम उत्पादन होता है और व्यापारी को बहुत कम फायदा होता है। मगर मैं यह कहूंगा कि हमको इस बात को नहीं माननी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि वहां पर जो नौकर होता है, उसकी जो स्थिति होती है, वही उसकी स्थिति है और उसी दृष्टि से हमको बात करनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हम उनको मजदूरों की श्रेणी में रखते हैं और श्रेष्ठ समाज उन लोगों को जो दुकानों पर काम करते हैं मजदूरों की श्रेणी में रखता है। इसलिए यह कहना कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं और घरों में काम करने वाले नौकर हैं, तो मैं कहूंगा कि यह आपकी युक्ति ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने हमारे यहां से एक बड़े साम्राज्य को हिन्दुस्तान से निकाला और अब उसके साथ-साथ हमारे यहां से यह 'नौकरी' का शब्द भी चला जाना चाहिये।

इसलिए आपका जवाब यह हो कि घरों में या दुकानों पर काम करते हैं वे नौकर हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि इस मनोवृत्ति को हटाना पड़ेगा। सौ वर्षों तक सिरसान करेंगे तो कहीं यह नहीं समझ पावेंगे। नौकर शब्द का तो गहरा सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, जो हिन्दुस्तान से निकाला जाना चाहिये। हमने 'साम्राज्य' शब्द को निकाल बाहर किया और अब हमें 'नौकर' शब्द को भी हिन्दुस्तान से बाहर निकाल कर फैंकना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : 'नौकर' के सम्बन्ध में संशोधन नहीं है किन्तु 'अवर्स' के सम्बन्ध है।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ, लेकिन यह इसका शब्द इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। नौकर कहिये, गुलामी कराने का एक दृष्टिकोण है। आखिर गुलामी के लिए क्या शिष्टता है? गुलाम रखते हैं, दास रखते हैं। कुछ जरा विचार तो करिये। क्योंकि उनको रोटी कपड़ा देते हैं, इसलिए गुलाम हैं, उनको खरीद लिया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस 'नौकर' शब्द को ही निकाल देना चाहिये। यदि रखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहूंगा कि आप को इसके नुक्ते नज़र से सोचना पड़ेगा,.......

श्री श्रीभानसिंह : यह सब उपाध्यक्ष नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट कहिये?

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) मुझे मालूम है यह। सब चेयर के जरिये से ही बहस करते हैं।

मेरे दिमाग में आता नहीं है कि आखिर यह लेकुना गवर्नमेंट क्यों रख कर चलती है। सरकार कहना चाहती है, लेकिन पूरा नहीं करते हैं, तो मैं कहूंगा कि गुना और बेलज्ज़त करने से कोई सार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह जो संशोधन आया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

आप यह देखेंगे कि प्रति दिन काम के ६ घण्टे रखे गये हैं और सप्ताह में ४८ घंटे बताया गया है और ओवर टाइम है वह ५० घण्टे बताया गया है। ओवर टाइम में एक आदमी से ५० घण्टे काम लिया जा सकता है और सप्ताह में ४८ घण्टे काम करेगा।

('क्वार्टर के लिए है ५० घण्टे' ऐसी आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : आप परेशान न होइये, आप आरम्भ रखिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) क्वार्टर में ५० घण्टे ओवर टाइम के लिए कर दिये हैं । एक क्वार्टर में इतना ओवर-टाइम काम लेना चाहते हैं । एक सप्ताह में तो एक आदमी ४८ घण्टे काम करेगा और क्वार्टर में ५० घन्टे ओवर टाइम काम करेगा और उसको १॥ तनख्वाह देनी चाहिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि ये पचास घण्टे अलग हैं । सप्ताह के ४८ घण्टे, क्वार्टर में ओवर टाइम ५० घण्टे काम लेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि यदि एक आदमी से दिन भर काम लिया जाय और शाम को यह कहा जाय कि तुम्हारे से और काम लेंगे और उसके लिये १॥ वेतन देंगे, यह किस तरह से हो सकता है ? निश्चित तौर पर यह हो कि एक आदमी से आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जावेगा और जब फिर ओवर टाइम रखते हैं और केवल १॥ ही उसको देते हैं, तो इससे दुकानदार को ज्यादा फायदा होगा और वह फायदा उठावेगा ही । इसमें दुकानदार को ज्यादा प्रोफिट होगा और ओवर टाइम काम करने वालों को फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिये, केवल १॥ ही वेतन उस रोज का मिलेगा, इसलिए १॥ के बजाय दुगुना रखना चाहिये ।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ८ में यह संशोधन रखा गया है कि ओवर टाइम काम के लिये १॥ के बजाय दूनी तनख्वाह देनी चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूं । सबसे पहले कर्मचारियों के साथ यह अन्याय किया गया है कि उन दुकानों आदि में काम करने वालों के तनख्वाह का कोई स्केल नहीं रखा गया है । इसका सीधा फायदा दुकानदार को होगा । हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रतिदिन ६ घण्टे काम करने का रखा है । इस बिल की यदि परिभाषा को पढ़ते हैं, तो यह मालूम होता है कि यह बिल ही ध्यान में रख कर बनाया गया है कि दुकानदार और मालिकों को फायदा हो एवं इस बिल को बनाते वक्त, इसको पेश करते समय, इसकी रचना के समय दुकानदारों और मालिकों से राय ली गई हो । जैसी इसकी परिभाषा रखी है कि एक दिन में ६ घन्टे काम करवाना और ओवर टाइम में डेढ़ी तनख्वाह देना । एक तरफ तो समाजवाद की रचना करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों का गला घोंटने जा रहे हैं । दिमागी काम करने वालों के लिए हमें पहले ही काम करने कम समय रखना चाहिए । लेकिन यहां ६ घण्टे रखा है । धारा ७ में यह बताया गया कि आदमी से एक दिन में ६ घण्टे और हफ्ते में ४८ घण्टे और ओवर टाइम रखते हैं तो क्वाटर में ५० घन्टे काम ले सकते हैं । इससे तो सुविधा मालिकों को ही होगी, दुकानदारों को ही होगी । हर कर्मचारी मुनीम से दुकानदार ओवरटाइम काम लेंगे और आधी तनख्वाह देंगे, उससे उनको अधिक फायदा होगा । रात को अधिक लोग पर्चेजेज़ के लिए दुकानों पर जाते हैं, दिन में कर्मचारी लोग काम करते हैं और उनको रात को ही खरीदने का मौका मिलता है, इसलिए वे लोग रात के समय के लिए मुनीम रखेंगे और जैसा इसमें प्रावधान रखा गया है कि ओवर टाइम के लिए ड्योढी तनख्वाह दी जावेगी । इससे साफ मालूम होता है कि यह दुकानदारों और मालिकों के फायदे के लिए और कर्मचारियों के गले घोंटने के लिए है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ओवर टाइम के लिए ड्योढ़ी से दुगुनी तनख्वाह देनी चाहिये ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिर्फ यह अर्ज करना था और उस तरफ ध्यान दिलाना था कि जब ओवर टाइम आदमी काम करता है तो उसकी फिजिकल और मेन्टल स्टेट क्या होती है। एक आदमी जब ओवर टाइम काम करता है, आठ घन्टे शिड्यूल्ड हैं, काम करने के पश्चात्, उसको मालिक का हुक्म मानना ही पड़ता है, यदि वह आधा घंटा भी ज्यादा काम करने के लिए बैठता है और काम करना पड़ता है, तो मेन्टल और फिज़िकल स्टेट ऐसे हो जाते हैं कि काम करने का उसका जी नहीं चाहता। यह हो सकता है कि मालिक का लिहाज, जिसके यहां वह नौकरी करता है, उससे उसका काम चलता है, उसका निर्वाह होता है, उस मालिक को नाराज नहीं कर सकता है, उस हालत में होता यह है, कि फिजिकली और मेन्टली ८ घण्टे काम करने के पश्चात्, वह इतना थक जाता है कि वह चाहता है कि यदि मालिक उसको छोड़ दे तो वह घर चला जाय। उस हालत को देखते हुए आठ घन्टे काम करने के पश्चात् जिसका दिमाग और शरीर दोनों थक गये हैं, आध घन्टे के लिए वह नहीं चाहेगा कि उसे और काम दिया जाय और मालिक का काम चलाये। इसलिए उसकी मेन्टल और फिज़िकल स्टेट को देखते हुए यदि उसकी मजदूरी ड्योढ़ी ही करदी जाती है तो मैं समझता हूं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। यदि वह ओवर टाइम काम करता है, वह थका हुआ है, उसको प्रोत्साहन और लालच देकर आप ठहरने के लिए कहते हैं, मालिक ठहरने के लिए कहता है और वह ठहर कर काम करें तो यह जरूर होना चाहिये कि यदि वह एक घन्टा भी काम करता है तो एक घण्टे के लिए भी उसने कम से कम दूने वेजेज, मजदूरी मिलनी चाहिए। इस हालत में मैं आपको अर्ज करूंगा कि दूसरा सवाल यह आवेगा कि मालिक का ख्याल रखते हुए उसको सब सहना पड़ता है। एक दिन ओवर टाइम किया है, आध घण्टे के लिए ज्यादा ओवर टाइम काम किया है उसके लिए कोई रजिस्टर मेन्टेन करेगा या नहीं ? कभी पन्द्रह मिनिट, कभी आधा घन्टा और कभी घन्टा-दो घन्टा उसने काम किया उसके काम का रजिस्टर हो, हालांकि प्रावधान रखा गया है, अब तक तो सिर्फ फेक्ट्रियों के लिए था लेकिन फेक्ट्रियों के सिवाय भी ऐसे वाणिज्य हैं, दुकानें हैं, उनमें लागू किया जावेगा, वे रजिस्टर रखेंगे और उनके हिसाब से एक अन्दाज लगा सकेंगे कि एक आदमी ने कितना ओवर टाइम काम किया है और ओवर टाइम काम किया है तो उसके दूनी मजदूरी और वेजेज़ होने चाहिए। ओवर टाइम काम कराने का भी वक्त होता है और उसको तब ही रखा जाता हैं। हालांकि वह भी हरगिज नहीं चाहता है कि उसको ८ घण्टे काम करने के बाद और रोका जाय और इसलिए दुकान का काम चलाये कि मालिक को मुनाफा चाहिए और उसको उसकी बन्धी हुई तनख्वाह है। उसके सिवाय प्रोफिट या बोनस जो दुकानदार को ओवर टाइम काम कराने से होता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, इसलिये उसको ठहरने के लिए या ओवर टाइम काम करने के लिए बाध्य किया जाय, मैं समझता हूँ उसके साथ अन्याय होगा और अगर अन्याय किया भी जाय तो कम से कम इतना हो जाना चाहिये कि उसको दुगुनी वेजेज़ दी जायं।

श्री मोहरसिंह (चूरू): माननय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ आठ के अन्दर जो संशो-

Page No.59

(श्री मोहरसिंह)

धन श्री गिरधारीलालजी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । वास्तव में यह सारा जो विधेयक रखा गया है उसको अगर अच्छी तरह से देखा जाय तो पेचीदगीयां ही ज्यादा मालूम पड़ती है । इसमें जो धारायें हैं वे एक दूसरे से कन्ट्राडिक्ट करती हैं । इसके अलावा यह इतनी चतुराई से रखा गया है कि एक तरफ तो रखा गया है कि एक सप्ताह में ४८ घण्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जायगा, दूसरी तरफ जहां ओवर टाइम का सवाल आता है वहां पचास घण्टा आप करते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि करीबन सोलह घन्टा एक कर्मचारी को काम करना पड़ेगा । अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम काम करता है तो वह इसलिये करता है कि उतने समय में जो तनख्वाह उसको मिलती है उससे उसका पेट नहीं भरता, इसलिये उसे ओवर टाइम करके कमाता है और वैसी हालत में एक आदमी का एवरेज वर्क का है वह ज्यादा से ज्यादा आठ घन्टा है, उससे ज्यादा अगर किसी से काम लिया जाता है, वह अपनी हालत से ज्यादा काम करता है और वह अपना पेट पालन के लिये। इस तरह से ओवर टाइम काम करने पर आपने जो ड्योढ़ा वेतन देने का प्रोवीजन रखा है वह मेरे खयाल से कम है, कम से कम दुगुना तो वेतन होना चाहिये ।

दूसरे देशों कि मिसाल हम देखें तो हमें पता चलता है कि दूसरे देशों में मजदूरों से ६ या आठ घण्टे काम लेने पर भी उनको अच्छा वेतन मिलता है । हमारे यहां वेतन का भी कोई स्केल नहीं रखा गया है, मजदूरी क्या मिलेगी यह भी नहीं रखा गया है । ऐसी हालत में ओवर टाइम के लिये जो ड्योढ़ा वेतन देने का भी प्रोवीजन रखा है मेरे खयाल से उसमें दुगुना कर देना चाहिये । इसलिये मेरा यह निवेदन है ओवर टाइम की मजदूरी दुगुनी होनी चाहिये ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं तो यह निवेदन करूंगा कि न तो ड्योढ़ा दिया जाय और न दुगुना ही दिया जाय मेरा तो यह कहना है कि ओवर टाइम काम लिया ही न जाय । आठ घण्टे से ज्यादा किसी से काम लेना उसी तरह का है जैसे कोई बैल थक कर गिर पड़ता है और फिर उसको पकड़ कर बिठा दिया जाता है । मेरे खयाल में जो व्यक्ति आठ घन्टे काम कर लेता है उसके बाद उससे काम लेना उसकी तन्दुरस्ती के लिये भी ठीक नहीं होगा और वह काम भी नहीं कर पायेगा । इधर मालिक की निगाह दूसरी तरफ रही तो वह ऊंघने लगेगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो आठ घन्टे का प्रावधान रखा है वही ठीक है, इसके अलावा सिवाय काम लेने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्योढ़ा वेतन देने का जो तरीका है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है । मान लीजिये एक कर्मचारी को १० रुपया तनख्वाह मिलती है और उसमें वह आठ घन्टे काम करता है, अगर वह कर्मचारी १२ घटे काम करेगा तो उससे ड्योढ़ा काम लेकर १५ रुपये देकर काम चला सकते हैं । इससे यह तो जरूर होगा कि एक आदमी को तनख्वाह जरूर ड्योढ़ी मिल जायगी लेकिन उसका कचूमर निकल जायेगा । मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी से ओवर टाइम काम लिया जाता है, तो उसे ड्योढ़ा वेतन देने से

(डॉ० बहादुरसिंह)

बजाय दुगुनी तनख्वाह दी जानी चाहिये और भी अधिक लगानी चाहिए, जिससे ओवर टाइम लेने के लिए कोई तैयार न हो, यदि फिर भी कोई ज्यादा समय तक काम लेकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो ज्यादा पे करे।

दूसरा बेकारी का सवाल हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रान्त में है, वैसी हालत में यदि कोई आदमी ड्योढ़ी तनख्वाह देकर काम लेता है, तो उसे दूसरे आदमी के रखने की आवश्यकता नहीं रहती, वैसी हालत में मेरा तो यह निवेदन है कि हम ऐसे संशोधन रखें जिससे यह व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आदमी काम से नहीं थकता शर्त यह है कि काम से मोहब्बत हो, प्रेम हो। काम यदि प्रेम से लिया जाता है तो उसमें मुनाफा मिलेगा। आदमी को यदि पैसा ठीक से दिया जाय तो आठ घन्टे क्यां चौबीस घन्टे तक काम कर सकता है। एक वकील का ही उदाहरण लीजिये, अगर उसको एक केस का २०० रुपया मिल जाता है तो वह रात दिन एक करके उस केस की तैयारी करता है। उसी प्रकार जिस दुकान के मालिक के पास ज्यादा काम होता है, जिसको ज्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा है तब तक वह गुमाश्ते से ज्यादा काम लेता है। उससे ज्यादा काम लेकर ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसलिए हमारी मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि ज्यादा मुनाफा वृत्ति को हम खत्म करें। कांग्रेस का यह ध्येय है कि मुनाफा वृत्ति को खत्म किया जाय। इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि इस प्रकार से मुनाफा वृत्ति को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। अगर किसी समय ज्यादा काम लेता है और उससे मुनाफा कमाता है तो उसमें सेठ को कोई तकलीफ नहीं होती, वैसी हालत में गुमाश्ता जो श्रम करता है तो उसका मूल्य उसे मिलना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी इस बात को जरूर मानेंगे कि एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खोकर दूसरे जो मुनाफा देता है वैसी हालत में ड्योढ़ा वेतन देने से ठीक नहीं रहेगा, डेढ़ा होने से तो ड्योढ़े कहलायें। अब ड्योढ़ों का जमाना नहीं है, इसलिए इसकी जगह दुगुना कर दिया जाय।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जो प्रोवीजन रखा है उसको या तो मैं समझा नहीं या माननीय सदस्य जो बोले हैं वे समझे नहीं। इससे एक दिन में केवल आठ घन्टा काम लेने का प्रोवीजन रखा है और सप्ताह में अड़तालीस घन्टे और उसके अलावा यदि ओवर टाइम किसी से काम लिया जाता है, तो उसके लिए दो घन्टे बढ़ाये हैं। इस हिसाब से केवल सप्ताह में ही दो घन्टे काम के बढ़ाये हैं। मैं समझता हूँ, इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्लॉज़ ७ के अन्दर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जनार्दनराय नागर) Will not speak across the Table, Mr. Nagar, I would invite your kind attention to this issue.

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव का इधर के पक्ष वाले और उधर के पक्ष वाले दोनों ने समर्थन किया है, उधर वालों का भी यह मत है कि

Page No.61

(श्री बालमुकुन्द)

ओवर टाइम काम करने पर दुगुना वेतन कर दिया जाय । वह वास्तव में ठीक है । मैं समझता हूँ, माननीय मन्त्री महोदय जो अपने आपको मजदूरों का हमदर्द मानते हैं, वे इस प्रस्ताव को मान लेंगे । लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें हमारे मन्त्री महोदय दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, मजदूरों को भी खुश रखना चाहते हैं और दुकानदरों को भी खुश रखने की उनकी प्रवृत्ति है । यह दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहियें । ओवर टाइम काम करने वालों को ड्योढ़ा देने से क्या होने जाने वाला है । जब एक व्यापारी देखता है कि किसी व्यक्ति से ८ घंटे के बजाय १२ घंटे काम लेता है तो उसमें वह ज्यादा मुनाफा कमाता है, तो वैसी हालत में इस क्लॉज के अनुसार अगर किसी को दस रुपया वेतन मिलता है तो उसको प्रतिदिन १२ घंटे काम करने का माहवार १५, रुपये देगा । उसे पन्द्रह रुपये देकर उस व्यक्ति के शरीर का तत्व निकाल लेगा, उसको देखते हुए यह ड्योढ़ा वेतन कम है । आज जब कि हम हमारे देश के गरीबों की हालत सुधारने के लिये जा रहे हैं, वैसी हालत में ड्योढ़े वेतन के बजाय दुगुना दिया जाना चाहिये ।

हम उनको अच्छा खाना देना चाहते हैं । उनका स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी गरीबी की तरफ ध्यान दीजिये । जिनको पहले से ही खाने और पीने की सुविधाएं हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, इस समय जरूरत तो गरीबों की तरफ ध्यान देने की है ।

आप कहते हैं कि हम समाजवादी समाज रचना के सिद्धान्त को मानने वाले है । पर हमारी समझ में नहीं आता कि आप उस पर किस तरह से चलना चाहते हैं । आपकी हर दलील में कुछ ऐसे रहस्य छिपे रहते हैं कि हमें मजबूरन कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बैठकर कुछ कहना बहुत सुहावना और अच्छा लगता है और मैं भी शायद बैठा होता तो इसकी ताईद करता ।

डॉ० चन्द्रकला : तो मानलीजिये न फिर ।

अनेक माननीय सदस्य : उधर बैठकर यह कह सकते हैं तो इधर बैठ कर कह लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न रखा जावे हाउस के सामने ?

सुन लीजिये पहले उन्हें ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह तो मंजूर कर लिया उन्होंने कि वे भी इधर बैठे होते तो यही कहते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोलने तो दीजिये, ऐसी क्या बात है । मैंने इतनी देर तक आपको सुना तो आप भी तो अब थोड़ा मुझे सुन लीजिये । आप सब्र रखिये । ऐसी भी क्या बात है कि आप सुनने से भी इन्कार कर रहे हैं ।

सवाल यह है कि ओवर टाइम की रेट क्या हो, यह प्रश्न सदन के सामने हैं । इस प्रश्न को हल करने के लिये जो यह क्लॉज़ है, उसे आप देखेंगे तो आपको यह मालूम

Page No.62

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

होगा और जो इसमें संशोधन की मांग की जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि वह वाजिब नहीं है। उनको तनख्वाह क्या मिलती है और ओवर टाइम क्या मिले, यह देखेंगे तो प्रश्न आपकी समझ में आ जावेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं कि तनख्वाह ज्यादा न मिले। पर सवाल यहां तनख्वा का नहीं है, ओवर टाइम का है। तनख्वा का तो मिनिमम वेजेज एक्ट से ताल्लुक है। पर दलील यह दी जाती है कि आमदनी कम भी हो पर ओवर टाइम अधिक होना चाहिये। हम तो कहते हैं कि ओवर टाइम बिलकुल न रहे। ४८ घंटे सप्ताह में काम करे, ताकि उससे अवकाश मिले और अपने स्वास्थ्य को बनाये रखें। अपने और जो घर के व समाज के फर्ज हैं उनको पूरी तरह से वह अन्जाम दे। पर अगर मजबूरी ही हो तो ओवर टाइम कम से कम हो। यह हमारी इच्छा है। ड्योढ़ा के बजाय दुगुना तिगुना रखकर फ़ायदा कराने की बात हम ठीक नहीं समझते। अगर हमने ओवर टाइम में ज्यादा रेट रख दी तो फिर वह लालच में पड़ कर ज्यादा काम करेगा और अपनी सेहत को खराब कर लेगा और इसलिये हमने यह रक्खा है, ६ घंटे ज्यादा से ज्यादा और दस घंटे ओवर टाइम के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा एक दिन में काम हो। पर इसके अलावा हम लोगों को लाभ में पटकना नहीं चाहते ताकि लाभ में पड़कर वह अपनी तन्दुरुस्ती ही खराब कर ले। तो इसके लिये हमने यह रखा है कि ड्योढ़ा ही रहे। मैं निवेदन करूं कि गवर्नमेंट के लिये अपनी ओर से पेमेन्ट करने की बात है तो यह है नहीं। इसलिये दुगुना चौगुना कर देने में हमें कुछ नफा नुकसान नहीं है। पर यह उनकी अपनी सेहत के हक में हम अच्छा नहीं समझते। उनको लालच आ जावेगा और इस लालच में पड़ कर वे अपनी तन्दुरुस्ती खराब कर लेंगे और फिर यह दुकानदारों के लिये भी बुरी आदत पटकने वाला हो जायगा। वे भी फिर अन्धाधुन्ध ओवर टाइम लेंगे। तो हम इस आदत को ही नहीं डालना चाहते। फिर और जितने दूसरे राज्यों में और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी जो कानून बने हैं, उनमें भी ड्योढ़ा ही है। फेक्ट्री कानून के अनुसार सिर्फ हैजाड्ंस काम करते हैं, उनके लिये डबल रखा है। इसमें भी यह है कि ८ घंटे रोजाना से ज्यादा काम नहीं लिया जावे, वह मंशा उसकी भी है। यू. पी. में तो ओवर टाइम का प्रोविजन है ही नहीं। इसलिये मेरी राय तो यह है कि कि यह ड्योढ़ा जो रक्खा है वही ठीक है। मैंने डिपार्टमेंट से अभी भी कन्सल्ट किया और उसकी राय भी यही है और फिर ऐसा करना अब तक के कानून के अनुसार भी होगा। मैं और अर्ज करूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शायद मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट से कन्सल्ट भी करूं। पर मैं आपसे अर्ज करूं कि आप इस बात को दुबारा सोचें कि इसमें उन लोगों का हित अधिक है या अहित अधिक है। मैं तो समझता हूं कि इसमें अहित ही अधिक है, उनकी सेहत खराब हो जावेगी, वे लोभ में पड़ कर ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर दुबारा विचार करें और अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री रामचन्द्र : मन्त्री महोदय, सातवें क्लॉज़ का प्रोविजन है, इसमें ये शब्द क्लियर नहीं है। इसको कृपया समझा दें तो अच्छा हो। मैग्ज़िमम ५० घण्टे रखा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह प्रिन्ट गलत कर दिया गया है ।

श्री रामचन्द्र : इसके माने ९८ घण्टे हुए ।

श्री रघुवीरसिंह : हिन्दी का पढ़िये, हिन्दी में साफ नहीं है ।

श्री रामचन्द्र : इसको पढ़ कर सुना देता हूं ।

"किसी भी संस्थान के किसी भी कर्मचारी से किसी भी एक दिन में ९ घंटों से तथा किसी भी सप्ताह में ४८ घंटों से अधिक कार्य नहीं कराया जायगा और न करने की अनुमति दी जायगी :

किन्तु यह भी शर्त है कि किसी कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य के अधिक समय के घंटों की कुल संख्या किसी भी सप्ताह में पचास से अधिक नहीं होनी चाहिये ।"

तो पचास घंटे ये और ४८ घंटे as usua इस तरह से ९८ घंटे हो जाते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं स्पष्ट कर दूं । साथ में प्रोविजो और है जिसमें लिखा है ।........

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दी में जो कानून दिया गया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय उसे अधिकृत मानकर चलें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अंग्रेजी का अनुवाद है और चूंकि यह बिल अंग्रेजी में इन्ट्रोड्यूस हुआ है, इसलिये अंग्रेजी की प्रतिलिपि पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर: उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में भी हुआ है । यहां इसका इन्ट्रोडक्शन अंग्रेजी में ही नहीं हुआ है, हिन्दी में भी हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : It has been introduced in English.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या हिन्दी में जो माननीय सदस्यों को मसविदा दिया गया है, उसको उत्तरदायी नहीं मानते ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरा इससे यह अभिप्राय नहीं । सदन के लिए अंग्रेजी की जो कापी है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही बिल को इन्ट्रोड्यूज किया गया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : इसका मतलब यह है कि जो हिन्दी में मसविदा दिया गया है वह गैर जिम्मेदार माना जाये, अनधिकृत माना जाये । अगर चेयर का यह रूलिंग है कि अंग्रेजी का ही मसविदा आधारभूत माना जायेगा तो हिन्दी में जो मसविदा दिया गया है, वह अनधिकृत रूप से दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष ; I would like the Hon'ble Member on the Treasury Benches to explain.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह केवल प्रिंटिंग मिस्टेक है । अंग्रेजी का जो है वह ठीक है और इसमें जो ७वें क्लॉज़ का प्रोविजो २ है, उसमें यह लिखा है :

"Provided that the total number of hour of work including over time shall not exceed ten hours

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

in any day except on days of stock-taking and...

Provided further that the total number of over time hours worked by an employee does not exceed fifty in a quarter."

श्री जनार्दनराय नागर : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय मन्त्री महोदय के पास इसकी कोई दलील नहीं है कि अंग्रेजी में जो लिखा है वह सही है और हिन्दी में जो लिखा है वह गलत है ।

श्री श्रीमानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जहां तक मेरा ख्याल है कॉंस्टिट्युशन के अन्दर यह लिखा हुआ है कि, in case of dispute about authenticity of the bill an authenticated version will be an English version. यह उसके अन्दर है तो अब यहां पर डिस्प्यूट यह है कि अंग्रेजी का वर्शन करेक्ट माना जायेगा, क्योंकि यह हमारे कॉन्सिटट्युशन में भी क्लॉज़ है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ऑब्ज़र्वेशन मैंने दे दिये हैं,

"Authenticated version is an English Version.

श्री गोकुलचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो दलील दी थी वह हिन्दी से पढ़कर दी थी, हिन्दी अनुवाद के अन्दर पचास घंटे की दलील दी थी, वह मैंने आपके सामने रखी । तो इसको क्यों नहीं शुद्ध किया जाये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सप्ताह में ५० घंटे के बजाय क्वार्टर में ५० घन्टा होना चाहिए ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं कि यह हमारी राज्य भाषा हिन्दी की शान में बहुत अपमानजनक स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय । हम हिन्दी में मसविदा देते हैं, उसके लिए यह माना जाता है कि यह अनधिकृत है । राज्य भाषा के प्रति सरकार का कोई अच्छा बर्ताव नहीं समझा जाता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसमें ऊपर ही ऊपर यह लिखा हुआ है, 'राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद ।'

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कौन से वर्सन को ऑथेन्टिक माना जाय और किस को नहीं ? मैंने अपने ऑब्ज़र्वेशन दे दिये । क्योंकि यह बिल अंग्रेजी के आधार पर रखा गया है, इसलिए ऑथेन्टिक वर्शन उसी को माना जायेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं हाउस से क्षमा चाहूंगा कि यह तो प्रिन्टिंग मिस्टेक है, जो गलती रह गई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो मसविदे के अनुवाद करने की गलती है । यह प्रिन्टिंग मिस्टेक तो जब हो सकती है जब कि मिस्टेक हो । यह तो अनुवाद का ठीक तरीके से सरकार की मशीनरी नहीं कर सकी, इसका उदाहरण है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कर्कशतापूर्वक स्पष्टीकरण से मैं भी सहमत हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा तो उपाध्यक्ष महोदय, कर्कशतापूर्वक निवेदन नहीं था । मुझे दुःख है कि चेयर ने मेरे कहने को ऐसा माना ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ५० घण्टे जो रखे गये हैं; वह क्वार्टर के हैं और वह तीन महीने का क्वार्टर होता है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर क्वार्टर की हिन्दी कर देनी चाहिये और उसको शुद्ध कर देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : I close the debate over this issue. The Hon' ble Member shall continue.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैं उसके लिये यह अर्ज कर रहा था कि जिस तरह का कानून रखा गया है उसकी मंशा इसी में है कि मुनीम और गुमाश्ते जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाय । इसके हिसाब से जो ब्यौरा रखा गया है, वही उचित होगा। यदि हम दुगुना रख देंगे तो वह अनुचित बात होगी । उसके लिए मैंने दलील भी रखी थी और मैंने अर्ज किया था कि गवर्नमेंट को इसमें देने की कोई बात नहीं है । यह तो मालिक और कर्मचारियों के करने की बात है । लेकिन इससे कर्मचारी को लाभ होने वाला नहीं है । यह बात जरूर है कि तनख्वाह उनको ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिये और उसके लिए कानून है । लेकिन ओवर टाइम में बढ़ा कर ज्यादा टाइम देकर प्रलोभन दें तो यह अनुचित होगा और यह भी दलील दी गई है कि ओवर टाइम के लिए उसको मजबूर किया जायेगा और पैसे कम दिये जायेंगे । तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊं कि यह तो कर्मचारी की मर्जी की बात है । अगर वह ओवर टाइम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि जिस तरह से यह रखा गया है उसको पास कर देना चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा था और इस पर माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के अपने विचार प्रकट किये, उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि उधर की ओर बैठने वाले जिन माननीय सदस्यों ने जिस हमदर्दी के साथ उन गरीबों के साथ मैंने अपना पक्ष दिखाया या उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की । मैं उन सभी माननीय सदस्यों को खास तौर से जो उधर की ओर बैठने वाले हैं उनका तहेदिल से धन्यवाद देता हूं । लेकिन इसके बाद भी मुझे यह आशा नहीं थी कि उधर की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों के इस प्रकार के विचार होने के बाद भी माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार की जिद्द करेंगे, जिस जिद्द में छोटी सी बात थी । कोई महत्व की बात नहीं है और वैसे देखा जाय तो बहुत महत्व की बात है, सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं था । एक पैसे वाला आदमी जो दुकान का मालिक है और कर्मचारी से ओवर टाइम वर्क लेता है, तो यह सही बात है कि जो दुकानदार ओवर टाइम काम करायेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और प्रोडक्शन अधिक बढ़ेगा और अगर किसी दुकानदार को नफा अधिक नहीं होता है, तो वह एक से अधिक मजदूर नहीं रखेगा और एक आदमी से ही काम करायेगा, तो शायद है वह पांच-छः घण्टे ही करायेगा । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो दुकानदार ओवर टाइम या समय के अलावा मजदूर से काम करायेगा तो सही बात यह है कि उस दुकानदार की आमदनी अधिक होगी । मान-

(श्री गिरधारीलाल)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का जो भाषण सुना उसमें उन्होंने कोई दलील नहीं दी, जिससे कि इस सदन को विश्वास हो कि उन लोगों को किसी प्रकार की राहत पहुंचेगी, क्योंकि इधर की तरफ बैठने वाले एक सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव रख दिया है, इसलिए उसको नहीं मानना है। हम कोई भी संशोधन प्रस्ताव रखते हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही रखते हैं। हम सरकार को सुझाव देते हैं और इसलिए देते हैं कि सरकार के ध्यान में जो बात नहीं आई है उसको लायें। हमने कोई चीज सरकार के ध्यान में दिलाई उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं था। माननीय मन्त्री महोदय ८ घण्टे में कुछ नहीं बिगड़ता है। जब आदमी ओवर टाइम करता है तो उसके लिये दुगुनी तनख्वाह क्यों नहीं रखी जाये। आप जिन लोगों के लिए कानून बनाना चाहते हैं, उनको दिखाने के लिए राहत पहुँचाना चाहते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री महोदय की जो नीयत है उसमें बट्टा लगता है अगर मजदूर का दुगुना दे दिया जायगा। तो साफ जाहिर है कि या तो आप उन लोगों के कहने पर चलते हैं जो पैसे वाले हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि उन लोगों के पास कोई पढ़ाई नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और इसलिए वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते, वह कोई किसान और मजदूर नहीं हैं, जो गांव में जाकर हल चला लें या कंकर कूटें और आपने इस कानून के अन्दर किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं रखा है कि उनको इस प्रकार की मजदूरी मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि आपने जो इस बिल में ओवरटाइम का प्रावधान रखा है, चाहे आपने ड्योढ़ा रखा हो मैं तो कहता हूं कि दुगुने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओवरटाइम का मतलब वही है कि एक आदमी जो दुकानदार हैं वह ८ घंटे से ज्यादा दुकान खोल सकेगा, उनके पास जाते हैं आपके कर्मचारी और जाकर कहते हैं कि ८ घण्टे से ज्यादा दुकान को क्यों खोली है, तो वह कह सकता है आपने कानून में लिख रखा है कि ओवर-टाइम काम ले सकते हो, इसलिए ओवर-टाइम काम ले रहा हूं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि रात के समय काम लेते हैं और कर्मचारियों को तनख्वाह ५०) रुपये देते हैं और दिखाते हैं १००) रुपये। इस प्रकार से डेढ़ गुना और दुगुनी तनख्वाह लिखकर दुकानदार को राहत पहुंचाने के लिए इस कानून के अन्दर प्रावधान रखा है। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कम से कम ऐसी आशा नहीं थी कि इस प्रकार से इस अमेंडमेंट को जो छोटा सा अमेंडमेंट है उड़ा दिया जायगा। हजारों मजदूरों को जिनको आप राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनको फायदा पहुँचाना चाहते हैं, उनके गले पर छुरी फेर दी जायगी और उन लोगों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, जो कि पैसे वाले हैं, जिनकी दुकानें चलती हैं। इस प्रकार के कानून लाने से आपकी नीति जाहिर होती है कि आप समाजवाद को नहीं बल्कि पूंजीवाद को लाना चाहते हैं और पूंजीपति, पैसे वालों को राहत पहुँचाना चाहते है न कि उन गरीबों को जो सदियों से गुलामी की ठोकरें खा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अमेंडमेंट सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने कि इस अमेंडमेंट का समर्थन किया था और उनको मैंने

(श्री गिरधारीलाल)

धन्यवाद भी दिया था, लेकिन जब मैं डिवि-ज़न क्लेम करूंगा तब पता चलेगा कि वह किधर वोट देते हैं। उनके कहने और करने में कितना भेद है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल : 'हां' पक्ष जीता साहब।

श्री रामकिशोर व्यास : Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: you want division ?

श्री गिरधारीलाल : जी हां।

(पुन: विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ के अन्तर्गत श्री गिरधारीलाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ १० में जो मेरा संशोधन है वह लैंग्वेज के बारे में है। 'इट' के बजाय 'दे' 'अवर्स' के बजाय 'अवर' और 'ऑन' के बजाय 'इन' कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(क्लॉज़ १०, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना)

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, क्या यह क्लॉज़ १० स्वीकार किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री गिरधारीलाल : मैं क्लॉज़ ६ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके अन्दर मेरे अमेंडमेंटस् हैं वह हुए नहीं। आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: There is no amendment.

श्री गिरधारीलाल : मेरे अमेंडमेंट हैं, लेकिन आपने बीच में छोड़ दिये और क्लॉज़ १० को ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सचिव से परामर्श के पश्चात्) क्लॉज़ ६ को बाद में ले लेंगे।

(विराम)

क्लॉज़ ११

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्री उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११ में एक लैंग्वेज के करेक्शन के लिए है, सब–क्लॉज़ (२) में 'सच' को ओमिट करने के लिए मेरा संशोधन है, प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ के अन्तर्गत संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर मेरे दो संशोधन हैं, वे खाली लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में हैं, जिनको स्वीकार किया जाय।

"23 In sub clause (i) insert 'and' before 'shall notify'.

"37 In sub clause (i) substitute the words 'six months' for 'three months' in lire five,"

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो तीन महीने का सवाल था वह छः महीने का कर दिया जाय और मेरा संशोधन ६ महीने के लिए है। सवाल यह है कि साप्ताहिक छुट्टी डिक्लेयर करने का प्रश्न है। अगर साल भर में एक दफा की जाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर शायद दुकानदारों को परेशानी हो तो एक दफा की और छूट दे दी जाय तो कोई बुराई नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं

Page No.69

(डॉ० बहादुरसिंह)

है । साप्ताहिक छुट्टी में दिक्कत न पड़े दुकानदार या कर्मचारियों को, इसलिए साल में ६ महीने के बाद वह सशोधन कर सकता है । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे । इसमें कोई विशेष बात नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में इस प्रकार की बात है कि एक बार निश्चय कर दिया कि कौन से रोज छुट्टी होगी । शनिवार, बुधवार या रविवार तो पीछे उसको बदलने के लिए तीन महीने का टाइम चाहिये । ऐसा एक्ट में रखा हुआ है । वह तीन महीने के बाद में वह कर सकेगा । आपका अमेंडमेंट है कि ६ महीने के बाद में उसको बदलने की इजाजत दी जाय । तो दोनों बातें ठीक हैं । कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर आप मंजूर कर लें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे एक साल का रखें लगातार ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ के अन्तर्गत जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

३ म० प०

क्लॉज़ १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ६ में अमेन्डमेंट माननीय सदस्य मूव करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं दूसरे क्लॉज़ ले रहा हूं ।

(विराम)

क्लॉज़ १४, श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ में मेरे ३

(श्री गिरधारीलाल)

अमेंडमेंट्स है, जो कर्मचारियों की छुट्टी देने के बारे में है कि उनको किस हिसाब से छुट्टी मिलेगी। आपने इस एक्ट के मुताबिक यह कहा कि जिस कर्मचारी ने २४० दिन तक काम कर लिया उस कर्मचारी को हर २० दिन के पीछे एक दिन की छुट्टी मिलेगी और बच्चे को हर १५ दिन के पीछे १ दिन की छुट्टी मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसके अन्दर आप कम से कम यह करते कि आकस्मिक छुट्टी जो कि हर आदमी को मिलनी जरूरी है, देते। हर मनुष्य बीमार पड़ता है, उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसको आवश्यक छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन आपने इसके लिये इस क्लॉज़ में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है। आपने यह कहा है कि १५ दिन या २० दिन काम करो और एक दिन की छुट्टी ले लो। मैं समझता हूं यह अनुचित बात है। जब कोई कर्मचारी काम करता है और बीमार पड़ता है, तो वह काम नहीं कर सकेगा या उसके घर पर काम होता है और उसका घर में रहना लाज़मी होता है या किसी प्रकार की घटना घटती है। इस प्रकार की घटनाएँ हो सकती हैं मनुष्य के जीवन में, जब कि वह काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूं मन्त्री जी इसको उचित नहीं समझेंगे। लेकिन आपने कम से कम २० दिन काम किया उसको १ दिन छुट्टी दी है। उस मनुष्य को और छुट्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसका उल्लेख नहीं किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिये। आप किसी दुकानदार के यहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि दुकानदार लोग कर्मचारियों से किस प्रकार काम लेते हैं। गुलामों से जिस प्रकार काम लिया जाता था, उसी प्रकार का काम इनसे लिया जाता है। हम देखते हैं कि आपने ८ घन्टे या ९ घन्टे का समय रखा है। मैं दावे के साथ और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब तक इस कानून को सख्ती के साथ काम में नहीं लिया जायगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास एक विद्या है कलम चलाने की और उसको दूसरी जगह किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल सकती तो उसके पास उस दुकानदार के यहां नौकरी करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। वह आदमी अगर ज्यादा छुट्टी मांगेगा तो दुकानदार की मर्जी होगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा और उसको इस बहाने निकाल भी सकता है। उसको निकाल देने की हालत में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है। इसलिये मैंने ये अमेंडमेंट रखे थे कि एक व्यक्ति जो १५ दिन काम करे, उसको कम से कम एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिये और बच्चों की हालत में १० दिन के पीछे १ दिन की छुट्टी मिलनी चाहिये।

इसी प्रकार का एक और अमेंडमेंट था। क्लॉज़ १४ (५) में यह लिखा है कि जब कोई आदमी किसी दुकानदार के यहां काम करता है और पहले साल छुट्टी नहीं लेता है या नहीं ले पाता है तो अगले साल पूरे साल में उसको ३० दिन और बच्चे को ४० दिन की छुट्टी मिल जायगी। उसकी जगह मैंने कहा है कि उनको ४० और ५० दिन की छुट्टी मिलनी चाहिये, यानी १०–१० दिन की छुट्टी और बढ़ायी जाय। जो दूसरे प्रकार की छुट्टियें हैं, उनमें आपने काट छांट पहले ही करदी है, तो कम से कम आपने जो छुट्टियें रखी हैं २० और १५ दिन के पीछे, उसके बजाय बड़ों के लिये १५ दिन के पीछे

(श्री गिरधारीलाल)

और बच्चों के लिये १० दिन के पीछे एक छुट्टी मिलनी चाहिये । इस प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि मेरे ये तीनों प्रस्ताव स्वीकार किये जाने चाहिये । ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर रखे हैं, और इनसे मजदूरों और कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा मैं अनुभव से कह सकता हूं कि मन्त्रीजी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं समझता हूं मेरे संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं, इसलिये कि

श्री सोहनलाल भटनागर : ये समर्थन करें इससे पहले मैंने जो अमेंडमेंट्स मूव किये हैं उन पर बोल लूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सोहनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में ४ अमेंडमेंट्स मूव किये हैं....

श्री श्रीभानसिंह : वे सर्क्युलेट हुए हैं क्या ?

श्री सोहनलाल : नहीं हुए ।

श्री श्रीभानसिंह : फिर कैसे मूव किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : These amendmens are before me.

श्री श्रीभानसिंह : सर्क्युलेट नहीं हुए ।

श्री उपाध्यक्ष : Do you object to it ?

श्री तनसिंह : Without knowing how can we say ?

श्री उपाध्यक्ष : I would read these amendments.

"In sub clause (ii) of clause 14 word 'fifteen' be substituted for word 'twenty'.

In sub-clause (ii) word 'twelve' be substituted for 'fifteen'.

In sub-clause 6 of clause 14 word 'seven' be substituted for word 'fifteen' in the second line.

In the proviso of sub-clause (6) word 'Six' be substituted for the word 'three' in the last line."

डा० चन्द्रकला : ये संशोधन कब आये और हमको सर्क्युलेट क्यों नहीं हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : ये तो मेरे सामने आये हैं, कोई आपत्ति हो तो फरमाइये । I will consider the issue, whether they should be accepted or not.

श्री सोहनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वे ये हैं । बिल में प्रावधान है कि २४० दिन काम करने के बाद में २० दिन काम करने पर १ दिन की उसको छुट्टी मिलेगी । इस तरह से साल भर में उसको १८ दिन की छुट्टी मिलेगी जो कम है, इसलिये कम कम १५ दिनों के पीछे उनको एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम २४ दिन की छुट्टी उनको मिल जाय । इसी तरह बच्चों को १२ दिन काम करने के बाद १ दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि उनको साल भर में कम से कम ३० छुट्टियें मिल जायं ।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लाॅईज हैं उनको १ महीने की प्रिविलेज छुट्टी मिलती है, और १५ दिन की केज्युअल छुट्टी मिलती है। इसको देखते हुए कोई एम्पलोयर इतनी छुट्टी नहीं दे सकता, तो कम से कम इतनी तो मिलनी चाहिये कि वह शादी-विवाह में जा सके।

मेरा दूसरा जो संशोधन है, वह सब क्लॉज़ दो में है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी लेगा तो वह १५ दिन का नोटिस देगा। माननीय उपाध्यक्ष, इसे बड़ी हार्डशिप हो जायगी, चूंकि हम देखते हैं कभी कभी ऐसी समस्या उपस्थित हो जाती है, कभी विवाह हो, कभी मृत्यु हो, तो ऐसे समय के अन्दर १५ दिन के पहले नोटिस देने का प्रावधान करने से बड़ी हार्डशिप हो जायगी। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि सात दिन का नोटिस देना उपयुक्त होगा।

मेरा चौथा अमेंडमेंट है कि प्रोविजो में यह दिया गया है कि एक साल के अन्दर तीन दफा से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता। मैं समझता हूँ कि इस शर्त के रखने से जो छुट्टी देने की सुविधा देते हैं, वह उसको उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि साल में तीन ही मौके नहीं आते हैं। ज्यादा मौके भी आ सकते हैं, इसलिए तीन बार की बजाय छः बार रखने का संशोधन मैंने पेश किया है, वह ज्यादा से ज्यादा छः बार छुट्टी ले सकता है। ये अमेंडमेंट ऐसे नहीं हैं, जिन्हें माननीय मंत्री महोदय मंजूर नहीं करें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं, मैं इन दोनों संशोधन प्रस्तावों का विरोध करता हूँ और विरोध इसलिए करता हूं कि संशोधनकर्त्ता शायद दुकान को दफ्तर समझते हैं। मेरा निवेदन यह है कि एक दुकान ५२ दिन वैसे बन्द रहती है, और ऊपर से आप २० दिन के बाद एक छुट्टी और दें, तो आया वह दुकान कुछ दिन खुलेगी भी या नहीं। तो इस प्रकार दुकानदार या जो मालिक है, उसको कितनी हानि होगी और मैं समझता हूं कि अगर हानि हुई, तो निश्चित रूप से वह दुकान बन्द होगी, और बन्द होने के बाद जितने कर्मचारी हैं वे बेकार होंगे और बेकार होने के बाद अफसोस जाहिर करेंगे कि राजस्थान विधान सभा ने बहुत अच्छा कानून बनाया, जिसकी वजह से हमारी नौकरी चली गई। मैं निवेदन करूंगा कि जो मूल धारा है उसको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि इसके अन्दर जो रियायत दी है, वे रियायत पर्याप्त हैं जिससे कर्मचारियों के लिए काफी सुविधा की गुंजाइश हो सकती है। वैसे तो सात दिन के बाद एक छुट्टी मिलेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी छुट्टियां जमा हैं, उससे काम निकाल सकता है शादी विवाह के लिए, मृत्यु के लिए। रहा सवाल बीमारी की स्थिति का। आखिर मालिक दुकान कोई जालिम होते नहीं हैं। वह जरूर अपने कर्मचारियों की वफादारी के प्रति हमदर्दी रखता है और हमदर्दी रखने के कारण उन्हें मेडिकल छुट्टी दे देगा। मैं समझता हूं कि जो मूल धारा है, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर हमें व्यापारी का भी ध्यान रखना है, कि जो व्यापारी होता है वह किसी प्रकार फेल न हो जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा खास तौर से, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखे हैं कि वे संशोधन प्रस्तावों को वापिस लेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस क्लॉज़ में प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करती हूं। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुकान या वाणिज्य संस्थानों में जो काम करते हैं उनके साथ बहुत अधिक ज्यादती होती है और उसको महसूस करते हुए ही यह विधेयक यहां लाना पड़ा। लेकिन इस विधेयक में जो बातें हैं, जहां तक कर्मचारियों की छुट्टी का सवाल है, अभी तक उन्हें आकस्मिक छुट्टी नहीं मिलती है। अभी तक जो नियम हैं नगर पालिकाओं के और दूसरे, उनका पालन नहीं होता है। उन नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन साप्ताहिक छुट्टी जब और भी कई जगह मिलती है तो कोई कारण नहीं कि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिले........

डॉ० बहादुरसिंह : साप्ताहिक छुट्टी मिलती है।

~~श्रीमती~~ **डॉ० चन्द्रकला** : साप्ताहिक छुट्टी तो मिलती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि २० दिन के बाद अगर छुट्टी मिलेगी, तो फिर दुकान खुलेगी या नहीं। किसी दुकानदार की दुकान से कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, तो वह दूसरे को रख सकता है। और वह कायदे से काम चला सकता है। इसलिए हमको छुट्टी के मामले में उदारता से सोचना पड़ेगा क्योंकि यह कर्मचारी वर्ग बहुत शोषित और बहुत दबा हुआ रहा है, उनके लिए सहानुभूतिपूर्वक सोचना होगा।

इसके साथ ही जो छुट्टी के लिए १५ दिन पहले एप्लीकेशन देने की बात है, वह मेरी समझ में नहीं आती। जब उसे छुट्टी की आवश्यकता हो, तब वह एप्लीकेशन दे सकता है, १५ दिन की बात रखना ठीक नहीं है। १५ दिन के बजाय अभी ६ दिन रखने का संशोधन किया गया है, उसका समर्थन करते हुए भी मैं समझती हूं कि इसमें छः दिन की क्या बात है, जब कर्मचारी को छुट्टी की आवश्यकता हो, तब छुट्टी मिल जाये। क्योंकि कभी कभी तो पहले से मालूम रहता है कि कब छुट्टी चाहिये, उसके लिये वह पहले से एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन कुछ आकस्मिक कार्य ऐसे भी आ सकते हैं, जिनमें छः दिन भी भारी पड़ सकते हैं। इसलिए इस धारा को रखना उपयुक्त नहीं है। जब जरूरत हो, तब एप्लाई करना चाहिये, इसलिए १५ दिन के बजाय छः दिन हो जाय, तो कुछ तो कमी हुई है, लेकिन छ: दिन भी न रख कर जब आवश्यकता हो एप्लीकेशन दे दी जाय और एप्लीकेशन की उपयुक्तता को देखते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाय। इसी तरह यह कर्मचारियों की सुविधा पर है कि वे छः दिन पहले छुट्टी लें, १२ दिन पहले लें। इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता क्यों होती है? मान लीजिये इससे दुकान को असुविधा होती है, उस असुविधा को मिटाने के लिए दूसरे तरीके हो सकते हैं। बहुत कम दुकान ऐसी हैं, जिनमें एक कर्मचारी होता है, वहां एक कर्मचारी के बदले दूसरे को रख सकते हैं। एक छुट्टी पर जाय तो दूसरा काम करे। हम एक तरफ ऐसे अधिकार दे रहे हैं छुट्टी लेने के, लेकिन नियम बना कर ऐसे बन्धन लगा रहे हैं कि जिससे छुट्टी न मिल सके। इन सब बातों के होते हुए यह अच्छा होगा कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय। इन संशोधनों की भी आवश्यकता क्यों पड़े। अच्छा हो कि माननीय मन्त्री महोदय स्वयं देख कर इन बातों को संशोधित करके सदन के सामने रख दें।

श्री लच्छूराम (मंडावा): माननीय उपाध्यक्ष, दो माननीय सदस्यों ने छुट्टी के सम्बन्ध में संशोधन रखे हैं, मैं दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। हमारे सामने माननीय सोहनलालजी ने जो संशोधन रखा है कि १५ दिन के नोटिस के बजाय ६ दिन का नोटिस देना चाहिए। जैसा कि माननीय सस्दया ने कहा, मैं कहता हूँ कि नोटिस देने की आवश्यकता क्या है, वह चाहे १५ दिन पहले एप्लीकेशन दे, ५ दिन पहले दे, दो दिन पहले दे। इसके अलावा केवल २० दिन के अन्दर एक छुट्टी के लिए रखा है, तो यह तो दिया ही नहीं हैं कि केज्युअल लीव इतनी हैं, बीमारी की छुट्टी इतनी हैं और प्रिविलेज इतनी हैं। कुल मिलाकर थोड़ी सी छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों के लिए भी नोटिस देने के लिए शर्त लगा दी जाती है और यह कायदा लगा दिया जाता है कि तीन बार या छः बार छुट्टी ली जा सकती है। मैं तो कहता हूं कि तीन बार या छः बार की जरूरत नहीं है। जब छुट्टी की जरूरत हो, वह छुट्टी ले ले। आवश्यकता को देखते हुए यह कायदा होना चाहिए कि मालिक उसे छुट्टी दे दे। अगर यह बन्धन लगा दिया गया कि १५ दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए तो यह सैद्धान्तिक रूप से गलत है। मान लीजिये कि किसी आदमी को जरूरत हो गई, किसी का पिता मर गया, उसी दिन तार आया और उसके मालिक का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो सम्भव है कि वह उसे रोक सकता है, क्योंकि उदारता उसी समय तक होती है जब तक कानून नहीं होता। कानून बन जाने पर उदारता नहीं होती है। इसलिए जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और दुकानों में संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने जा रहे हैं, तो उनको छुट्टी की सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में कर्मचारी छुट्टी के लिए सब से ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कर्मचारियों के लिए इतवार की छुट्टी रहती है, कर्मचारी शनिवार को ही कम काम करना शुरू कर देते हैं, शनिवार को ही उनके दिलों में खुशी व्याप्त हो जाती है कि कल इतवार है। मैं समझता हूं कि दुकानों पर काम करने वालों को छुट्टी कम मिलती है, इसलिए मैं छुट्टी देने की सुविधा के लिए जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं कि १५ दिन के बजाय छः दिन का देना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को मानने वाला हूं कि किसी प्रकार का भी नोटिस नहीं होना चाहिए, जब जरूरत हो, तब छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन छः दिन तो जरूर कर देना चाहिए।

दूसरा प्रस्ताव, संशोधन यह है कि साल में इस विधेयक के अनुसार छः बार छुट्टी ले सके। मैं समझता हूं इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिए। छः बार या तीन बार की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो, तब जितनी छुट्टी बकाया हो, वह चाहे एक दफा में ले ले या दो बार में ले ले। इस प्रकार से यह संशोधन भी बहुत आवश्यक है। यह छः बार के कर देने से क्या होगा कि किसी प्रकार के अपॉइन्टमेंट में शर्त नहीं होती है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारी को इन शर्तों के अनुसार काम नहीं करने पर निकाल सकते हैं, २४० दिन पहले किसी को निकाल देंगे और छुट्टियां बकाया रह जायगी। ऐसा प्रावधान है कि तीन बार से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जब कर्मचारी की मर्जी हो, वह छुट्टी ले ले।

श्री गिरधारीलाल का अमेंडमेंट है कि बच्चों को १५ दिन में एक छुट्टी के बजाय

(श्री लच्छूराम)

१० दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए । मैं समझता हूं यह आवश्यक है । दूसरा उनका प्रस्ताव है कि २० दिन में एक छुट्टी के बजाय १५ दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए । अगर २० दिन में एक छुट्टी मिलती है तो साल में बहुत कम दिन होते हैं । अगर १० दिन के पीछे एक छुट्टी मिलती है तो महीने में तीन छुट्टी मिलती है, इस प्रकार से बारह तीया छत्तीस छुट्टी होती है । राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारियों को १५ दिन की केज्यूअल लीव मिलती है, एक महीने की प्रिवीलेज लीव मिलती है, बीमारियों के अलग लीव हैं । लेकिन दूकानों के कर्मचारियों को इस प्रकार की बहुत कम छुट्टी मिलती है । वैसे तो एक बच्चा काम करता है, यह सैद्धांतिक गलत है । व्यापार में नौकरी देने से बच्चों का विकास रुक जाता है । इस के साथ ही उनके साथ १५ दिन के पीछे एक छुट्टी की शर्त लगायेंगे तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं । इसलिए श्री गिरधारीलाल ने संशोधन रखा है कि २० दिन के पीछे एक छुट्टी न रख कर १५ दिन के पीछे एक छुट्टी मिलनी चाहिए और बच्चों को १५ दिन के पीछे एक छुट्टी न मिल कर १० दिन के पीछे एक छुट्टी मिलनी चाहिए । मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है और इसमें माननीय मन्त्रीजी जरूर गौर करेंगे । क्योंकि जब हम ऐसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं छुट्टी की सुविधा इसमें रखी जाय । केवल आर्थिक सुविधा ही सुविधा नहीं है, इसके साथ ही छुट्टी की सुविधा बहुत आवश्यक है । जिस प्रकार दिमाग के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार काम के लिए रेस्ट की आवश्यकता है और छुट्टी की आवश्यकता है । माननीय सदस्यों के जो अमेन्डमेन्ट आये हैं, मैं माननीय उपाध्यक्ष, सदन से आशा रखता हूं जिस संशोधन पर मैं बोल रहा हूं उन संशोधनों के लिए माननीय मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि उन्हें इन संशोधनों को स्वीकार करने में बहुत बड़ी कठिनाई महसूस नहीं होगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं, जितने भी संशोधन आये हैं, उनके खिलाफ बोलना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : दो आये हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : ४ और १ पांच आये हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है उन दूकानदारों के लिये है, जिनमें छोटे दूकानदार भी हैं और बड़े दूकानदार भी शामिल हैं, यह कोई फैक्टरी या बड़े कारखानों के लिये बिल तैयार नहीं किया है बल्कि सारे दूकानदार जो राजस्थान में व्यापार करते हैं, उनके लिये बनाने जा रहे हैं । हमने एक तरफ ऐसा बिल उनके लिये तैयार किया है जो आज तक राजस्थान में नहीं था और राजस्थान में ऐसा बिल लागू करने के लिये बहु उद्यत हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, माननीय सदस्य संशोधनों के सम्बन्ध में कहें ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : संशोधनों पर बोलने के लिए भूमिका तैयार करना आवश्यक है ।

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की भूमिका को, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बन्द करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना होगा कि छोटे छोटे दूकानदार और बड़े बड़े दूकानदार इसमें सभी सम्मिलित हैं, जिन पर इस कानून का असर होगा, तो उनके लिये कह दिया जाय कि जब चाहें वे छुट्टियां ले सकते हैं और ये वे छुट्टियां हैं जो मालिक वेतन सहित छुट्टी देगा। इस क्लॉज़ में वेतन सहित छुट्टियां पाने का सवाल है, अवैतनिक छुट्टी का सवाल नहीं है और वे साल भर में कितनी मिलनी चाहिये यह है। गवर्नमेन्ट में भी यह नियम है कि जो छुट्टियां लें उनको १५ दिन पहले महीना भर पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो जहां दूकानदार एक ही आदमी रख कर कारबार चलाता है और वही आदमी कह दे जब कि ७ दिन का मेला भर रहा है, दूकानदार की माल बिक्री का टाइम हो कहे कि मैं तो छुट्टी पर जाऊंगा और ऐन वख्त पर चला जाय तो उस दूकानदार का सारा काम बन्द हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कोरम की ओर दिलाना चाहता हूं।

(कुछ क्षण विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न उपस्थित हो गया है।

(गणना के उपरान्त सदन में कोरम पाया गया)

हां, आरम्भ करिये।

श्री गिरधारीलाल : सोमवार तक के लिये स्थगित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुनिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : ऐसी स्थिति में कह दिया जाय कि ये छुट्टियां चाहें तब ले लें, यह ठीक नहीं दूकानदार का काम ऐसा है कि उसके यहां एक्स्ट्रा नौकर नहीं रहते, वह अपना काम मुकर्रर कर्मचारियों से ही चलाता है, जरूरत के माफिक ही नौकर रखता है। जब तक उसको पहले यह मालूम नहीं हो जाय कि अमुक दिन को उसका आदमी छुट्टी जाने वाला है तब तक कोई और आदमी का प्रबन्ध ऐन वख्त पर नहीं कर सकता, दूकान का काम ऐसा है कि हर एक को नहीं सौंपा जा सकता छोटे-बड़े व्यापारी के पास भी हजारों का माल रहता है, ऐन वख्त पर उसका आदमी जब चाहे छुट्टी चला जायगा तो उसकी दुकान बन्द पड़ी रहेगी। तो जो यह बात कही गई कि नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, यह बिलकुल उपयुक्त नहीं है।

साल भर में तीन दफा नहीं ६ दफा छुट्टी दी जानी चाहिये, इस प्रकार का संशोधन रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो आदमी को साल भर में १२ दफा ही क्या २५ दफा भी काम आसकता है पर यहां यह है कि सवैतनिक छुट्टी कितनी हों, कितनी ड्यू हैं, साल भरमें तीन दफा छुट्टी ले या ६ दफा ले। मैं यह कहूंगा कि यदि कर्मचारी ६ दफा छुट्टियां लेता रहेगा, तो दूकान का काम ही बन्द हो जायगा। दूकान का काम ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति दूकान का काम चला सकता है। दूकान का काम तो हर रोज होता है और

Page No.77

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

उसे योग्य व अच्छा अनुभवी व्यक्ति ही दूकान का काम चला सकता है ।

तो इसलिये मैं कहूंगा कि जो संशोधन आये हैं उन्हें अस्वीकार किया जाय और मूल बिल में प्रस्तावित धारा बताई गई है वह बिलकुल उपयुक्त है, उसके माफिक याने वही पास होनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर की तरफ से धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि व्यापारियों के भी दिल होता है, मैं कहूंगा कि अगर दिल ही होता तो यह कानून क्यों आता, दिल नहीं रहा तभी तो यह कानून पेश किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि इन राइटिंग दस्तखत करने पड़ेंगे, मैं कहता हूँ होटल में काम करने वाला चाय गर्म करने वाला लड़का लिखित में रिपोर्ट देगा यह सम्भव नहीं है कानून बना रहे हैं, वह इसलिये बनारहे हैं कि छोटे २ कर्मचारी हैं, गुमाश्ते हैं, उनको सुविधा दी जाय, उनको शोषण से मुक्त किया जाय, इसके बजाय ऐसी धाराएं लगा देते हैं कि जिनसे वे बाधित किये जाते हैं कि उन्हें दस्तखत करने पड़ेंगे; यह तो उल्टा उनको बांधना है । यहां राजस्थान में न तो यातायात के इतने साधन हैं, न प्रोम्प्ट टेलीफोन लगा लगा हुआ है, न तार टेलीफोन का इन्तजाम है कि उसके घर की सूचना उसी ही दिन चली आयगी, सूचना उसके घर से कभी भी आ सकती है ।

एक बात कही गई कि दूकानदारी में बड़े काम होते हैं, मैं कहता हूं दूकानदारों के यहां कोई स्पेसेलाइज्ड काम नहीं है, जैसे दूकान में चाय गर्म करने का काम है वह हरएक आदमी कर सकता है, ऐसे आदमी तो बहुत मिल जाते हैं और अगर सेठजी भी उन दिनों में ज्यादा काम कर लेंगे तो शायद सेठजी का भी वजन थोड़ा हल्का ही होगा । आप कहते हैं स्पेशेलाज्ड काम होता है, ऐसी बात नहीं है । इस बेकारी के जमाने में बहुत आदमी मिल सकते हैं । तो जो यह ७ दिन पहले दर्खास्त देने का संशोधन है, नहीं होना चाहिये । ठीक समय पर ही छुट्टी लेने का प्रोविजन होना चाहिये । एक आदमी को साल भर में ७ दफा से ज्यादा काम भी हो सकता है, शादी ब्याह, जन्म मरण आदि कई जरूरी काम ऐसे हैं कि साल भर में कई दफा काम हो सकता है, तो यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि तीन दफा ही हो, यह बन्धन कर्मचारियों के लिये बन्धन है । हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के बन्धन में कर्मचारियों को बांधा जाय । इस बिल की मंशा है कि हम कर्मचारियों को इसके द्वारा शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसे नियम नहीं बनाना चाहिये कि गुमाश्तों और छोटे छोटे कर्मचारियों को इस प्रकार के नियमों से बांध दिया जाय और उनको तकलीफ पहुंचाई जाय । हमारे इस बिल के बनाने के उद्देश्य में इस प्रकार का बन्धन रखने से नुकसान पहुंचेगा । तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन रखे हैं उनको मानने में हमें एतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Honble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज है छुट्टी के बारे में है । एक संशोधन यह रखा गया है कि २० रोज के बजाय १५ रोज कर दिये जायं, इसमें रखा है कि १५ रोज बाद एक छुट्टी मिलेगी । बच्चों के लिये २० के बजाय १२ और दूसरा है १० रोज कर दिया जाय और दूसरा संशोधन यह भी है कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

७ दिन का नोटिस छुट्टी की दरख्वास्त के लिये रखा जाय और तीन बार की बजाय ६ बार छुट्टी लेने का रखा जाय। जहां तक ६ बार छुट्टी देने के अमेन्डमेन्ट की बात है, मैं समझता हूं वह उचित है। १५ रोज पहले दर्खास्त पेश करे इसके बजाय ७ दिन पहले दर्खास्त पेश करे, तीन बार साल में छुट्टी ले इसकी बजाय ६ दफा छुट्टी ले यह वाजिब है, इसका मैं स्वीकार करता हूं।

पर छुट्टी कितनी मिलनी चाहिये, इसके लिये हमने यहां रखा है कि सप्ताह में एक एक छुट्टी एक कम्पल्सरी छुट्टी रखें, इस तरह साल भर में ५२ छुट्टियां तो आम तौर से सबको मिलेंगी।

श्री **गिरधारीलाल** : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर, माननीय उपाध्यक्ष, कोरम कोरम नहीं है। १८ सदस्य नहीं हैं।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : १७ सदस्य इधर बैठे हैं और एक आप हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : मेरा विश्वास है कि अब आप कोरम का सवाल नहीं उठायेंगे।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बाहर गये थे वे भी सदस्य आये हैं, कोरम पूरा हो गया है आप किसी बात की चिन्ता न करें।

तो मैं यह कह रहा था कि छुट्टियें कितनी होनी चाहिये। इसके बारे में भी जिक्र किया अगर २० के हिसाब से एक छुट्टी रखी जाती है तो वह मेरे ख्याल १८ दिन की होती है और १५ के हिसाब से रखी जाती है तो ४ या ५ छुट्टियें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से बच्चों के लिये प्रस्ताव था कि १५ के बजाय १२ कर दिया जावे। जहां तक बच्चों का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। हमने पहले ही बच्चों की एज तो फिक्स कर रखी है कि उससे कम उम्र के बच्चे नौकर नहीं रखे जा सकेंगे। १२ साल से कम उम्र के बच्चे नौकरी नहीं कर सकते। यदि उनको १२ रोज के पीछे एक छुट्टी मिल जावे तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इसके बाद एडल्ट के बारे में मैं यह कहूंगा कि साप्ताहिक छुट्टी के हिसाब से ५२ छुट्टियें तो उनको मिल जाती हैं और उसके अलावा २० के हिसाब से १८ दिन की और मिलेगी। इसके अलावा और भी त्यौहार होते हैं उसकी छुट्टी उनको मिलती ही है और त्यौंहारों पर जैसे होली होती है, तो उस रोज बाजार बन्द रहता ही है। इसके अलावा मेले भी आते हैं उनमें भी बाजार बन्द रहता है।

डॉ० चन्द्रकला : मेलों में बाजार खुला रहता है।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बहुत सी दूकानें बन्द रहती है और बहुत सी खुली रहती हैं। इसलिये मैं नहीं कहता कि ५२ और १८ के अलावा और भी मौके आते हैं। इसके अलावा ३ बार के बजाय ६ बार कर सकते हैं।

बच्चों के लिये १२ दिन कर देने चाहिये। एडल्ट के लिये यदि हम छुट्टी और बढ़ा देंगे तो असुविधा हो जावेगी। इसलिये मैंने आपको

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह निवेदन किया है । मैंने उनके बहुत से संशोधन और बहुत सी बातें मानली है । यह नहीं कि यह अपोज़िशन की तरफ से बात आई है इसको नहीं मानी जावे यह बात तो है नहीं । मैंने पहले ही शुरू किया था, उस समय भी तीन एमेन्डमेन्टों को माना है । जो वाजिब बात होती है उसको मान लेना चाहिये और उनकी सारी बातें करीब करीब दूसरी मैंने मान ली हैं । जो संशोधन की बातें मैंने मान ली हैं, मैं समझता हूं कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : मैं अपना संशोधन विद्ड्रा करता हूं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, इस पर मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं उनको मैं वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कौन से दो हैं । २० के बजाय १५ और १५ के बजाय १२ ।

डॉ० चन्द्रकला : एक तो मान लिया है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने दूसरे संशोधन को वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गिरधारीलालजी ने रखा उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री गिरधारीलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सोहनलालजी ने जो दूसरा संशोधन रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम संशोधन (श्री सोहन लाल का) स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री गिरधारीलाल : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोरमेशन, सर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम पूरा है ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४, संशोधनानुसार स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉजेज़ १५ से २० ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १५ से २० वधेयक में अंग रूप से स्वीकार किये जाएं ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५ से २० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज २१, श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है क्लॉज २१ स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज २२, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह लैंग्वेज के करेक्शन का प्रश्न है । 'ए' को ओमिट करने का है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्री-प्रसाद ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२, संशोधनानुसार स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २२, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज २३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज २४, श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज २५, श्री बद्रीप्रसाद ।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह संशोधन सिर्फ लेंग्वेज को करेक्ट करने के लिये है; 'of' के बदले 'or' करने का है। अतः इसको स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २६ से २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २६ से २८ तक स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २६ से २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज २९, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भी लेंग्वेज़ को करेक्ट करने के लिये है, 'Act' के पहले 'this' होना है, अतः इसे स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २९ संशोधनानुसार स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३०, श्री बद्रीप्रसाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, यह भी लेंग्वेज़ की करेक्शन के लिये है, 'Purpose's' के बदल 'purposes' करने का। अतः इसको स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० के अन्तर्गत श्री बद्रीप्रसाद के संशोधन को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.82

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० एज एमेंडेड स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३०, एज़ एमेंडेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३० से ३३

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ ३३ पर है।

श्री उपाध्यक्ष : Are you insisting on moving?

श्री सोहनलाल भटनागर : मिनिस्टर साहब इन्कार कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके अधीनस्थ इतने हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३१, ३२ व ३३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३१, ३२ और ३३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

क्लॉज़ ३४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें भी लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में संशोधन है, 'ऑथोरिटीज़' के बदले 'ऑथोरिटी' करने का।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३४, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३४, एज अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३५ से ४१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३५ से ४१ तक स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३५ से ४१ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ४२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४२ विधेयक में से हटा दिया जाय।

Page No.83

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ विधेयक में से पृथक किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४२ विधेयक में से पृथक किया गया।

(विराम)

शिड्यूल

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके अलावा शिड्यूल में मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं, 'The' जोड़ने के। ये लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिड्यूल के अन्तर्गत संशोधनों को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

शिड्यूल, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : There is an amendment on clauseone.

श्री नाथूराम मिर्धा : तनसिंहजी मूव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes, Shri Tan Shinghji.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल के क्लॉज़ १ में यह संशोधन रखा है, "Substitute the words to all municipal towns in the State for the words "to such areas as............official Gazette" occuring in sub-clause (4)."

मौजूदा बिल के सब क्लॉज़ ४ में यह है, "It shall apply, in the first instance to such areas as the State Government may specify by notification in the official Gazette."

मतलब यह है कि इस कानून को सरकार सब जगह पर समान रूप से लागू नहीं कर रही है। वह पहले नोटिफाई करेगी कि किस-किस स्थान पर इसको लागू किया जाय। पांचवें पार्ट में यह आया है कि पहले इन्स्टांस में सरकार इसको जहां जहां लागू करेगी, उसके बाद में कहां लागू करेगी तो इसके लिए तीन महीने का नोटिस देकर गजट में सरकार नोटिफिकेशन देगी। मेरी मन्शा यह नहीं है कि पहले पहले इन्स्टांस में इसको कहां कहां लागू करने की सरकार की इच्छा है, लेकिन मैं इस संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि सारे म्यूनिसिपल टाउन्स में कम से कम यह लागू हो जाना चाहिए।

३. ४६ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

आप यह देखेंगे कि हर एक म्यूनिसिपल टाउन की जनसंख्या कम से कम पांच हजार और उससे अधिक होती है। इस दृष्टि से जिस नगर में पांच हजार से ज्यादा आबादी

(श्री तनसिंह)

है, जहां शाप्स हैं वहां पर यह कानून लागू होगा और उससे हम यह समझ सकेंगे कि यह राजस्थान में काफी स्थानों पर लागू होगा और काफी कर्मचारियों को इससे लाभ मिल सकेगा । लेकिन यदि इसको तीन चार स्थानों पर ही लागू किया जाय और धीरे धीरे तीन महीने का नोटिस देकर फिर दूसरी दूसरी जगहों के लिए लागू किया जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । एक तरफ कहते हैं कि चार पांच के अमेन्डमेन्ट्स को डिलीट कर दिया जाय, उनकी आवश्यकता नहीं है, तो इसकी मंशा यह होती है कि इसको समान रूप से सारे राजस्थान में लागू कर देना चाहिये । इस दृष्टि से गांवों में जहां छोटे २ दूकानदार हैं, स्वयं दूकानदार ही मालिक हैं और दूकानदार ही एम्प्लोयर और एम्लोई है वीकली छुट्टी भी होगी, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में इसे कानून को लागू नहीं किया जाय । धीरे २ यह हो सकता है । लेकिन जहां जहां राजस्थान में नगर पालिकायें हैं, म्यूनिसिपेलिटीयां हैं, जिनकी पांच हजार से अधिक की आबादी है, उनमें दस पन्द्रह दूकानें ऐसी हो सकती हैं, जहां एम्प्लोयर एम्लोयी को नियुक्त करते हों उनको इस एक्ट के द्वारा राहत मिलनी चाहिए । यदि सरकार की भी यही मंशा है और आश्वासन देने के लिए मन्त्री महोदय तैयार हों, तो मुझे इस अमेन्डमेन्ट को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं प्रारम्भ में ही यह जानना चाहता हूं कि इसको कहां कहां पर पहले सरकार की लागू करने की मन्शा है और बाद में कहां कहां हो सकता है इसका पता लग सके । इसको रखने की मंशा यह भी है कि इससे वास्तविक लाभ कितने लोगों को कब मिलने वाला है ।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : श्री गिरधारीलाल जी ।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि सबसे पहले इसको, जो दस हजार की आबादी के टाउन हैं उनमें लागू करने का है । आपका प्रस्ताव है कि इसको सब ही म्यूनिसिपेलिटीज़ टाउन्स पर लागू कर देना चाहिये । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे म्यूनिसिपल टाउन्स हैं जहां आबादी ५ हजार और उससे अधिक है । पांच और सात हजार के बीच है, छः हजार, सात हजार है, तो उनमें इसको एक दम से लागू करना मुश्किल होगा । कई इसमें दिक्कतें आवेंगी । वर्किंग, दुकानदारों के स्टाफ आदि को देखकर ज्यादा से ज्यादा टाउन्स में इसको लगावेंगे । इसलिए पहले पहले १० हजार की आबादी के जो टाउन्स हैं उनमें लगाने का इरादा है और इस दृष्टि से यह सब इम्पोर्टेंट टाउन्स में में लागू हो जावेगा ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, इस आश्वासन के बाद कि यह कानून दस हजार की आबादी के सभी नगरों पर लग रहा है वैसी हालत में मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं । दूसरी बात जो इस बिल में देखने की है वह यह कि क्लोज़ २६ में हम यह कहते हैं :

(श्री तनसिंह)

"The State Government may, by notification appoint such persons or such class of persons as it thinks fit to be Inspectors for the purpose of this Act within such local limits as it may assign to them, respectively."

यह जो क्लॉज़ २९ है उस क्लॉज़ २९ के अनुसार सरकार इन्सपेक्टर्स नियुक्त कर रही है। और यह मानी हुई बात है कि अब इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये जायेंगे तो इसके लिए तनख्वा राजकोष में से दी जायगी। मैं समझता हूं जब राजकोष में से तनख्वा दी जाती है तो संविधान की धारा २०७ के अनुसार इस बात की सेंक्शन राज्यपाल महोदय से ली जानी चाहिए, लेकिन बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान की धारा २०७ के अनुसार कन्सोलिडेटेड फंड में से अगर एक्सपेन्डीचर किया जाय तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इस बिल पर स्वीकृति नहीं है अगर स्वीकृति दी गई है, तो उसका मेमोरेन्डम होना चाहिये।

श्री सभापति : स्वीकृति आ चुकी है, Recommendation has been obtained.

श्री तनसिंह : अगर राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है तो उसे बिल के साथ सर्कुलेट करना चाहिये ताकि अन्नैसेसरी ऑब्जेक्शन न हो।

श्री सभापति : श्री तनसिंह जी ने जो एतराज उठाया है उस विषय में मैं यह प्रगट कर देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय से इस बारे में स्वीकृति मिल चुकी है वह इस प्रकार है :

"In pursuance to clause (3) of Article 207 of the Constitution of India, I recommend the Rajasthan Shops & Commercial Establishments Bill, 1957, to be considered in Rajasthan Legislative Assembly."

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, आपत्ति की कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिल्स के साथ में यह स्वीकृति भी पब्लिश होनी चाहिये ताकि लोगों को इस प्रकार के एतराज करने की नौबत न आये।

श्री सभापति : आप ऑफिस से मिलकर इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह जी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है.......

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, प्रश्न रखने से पहले कोरम पूरा नहीं है इसलिये पहले कोरम के लिये घण्टी बजायी जाय।

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रीएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, चूंकि बारबार कोरम की घण्टी बजानी पड़ती है, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित करदी जाय।

श्री सभापति : कोरम इस वक्त पूरा है, अभी एक घण्टा बाकी है, अच्छा है कुछ काम और कर लिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ कन्वीनियेन्स, सर, सभापति महोदय, आज एक घण्टा पहले सदन की कार्यवाही स्थगित करदी जाय तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : अभी तो एक घण्टा बाकी है, कुछ काम कर लें तो आगे के दिन के लिए हमें सुविधा रहेगी।

३. ५७ म० प०

राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माइका बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है....

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, आप प्रश्न पुटअप कर रहे हैं, हमारा बोलने का अधिकार है, बोलने दिया जाय।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, इस माइका बिल को देखने से ऐसा प्रगट होता है कि आज तक जो माइका नि[illegible] । कन्सेशन रूल्स, १९४९ मातहत माइका निकाला जाता था। मैं नहीं समझता कि उनमें क्या डिफीकल्टीज़ पेश हुईं, उनके कारण

(श्री रघुवीरसिंह)

इस एक्ट के बनाने की जरूरत आयी। इसका इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कोई उल्लेख नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो मिनरल कन्सेशन रूल्स अब तक जारी थे उन्हीं के मातहत माइका का लाइसेन्स दिया जायगा, यह सब माइका कन्सेशन रूल्स के मातहत होगा, दूसरी तरफ हम माइका का एक्ट नया बना रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस प्रकार दो कानून किस प्रकार एक साथ चलेंगे, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। यह सब बातें स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में क्लीअर कर दिया जाता या जो मीनरल कन्सेशन रूल्स हैं, उनको विद्ड्रा कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता और ये सारे के सारे प्रोवीजन्स एक कानून के मातहत आ जाते तो बहुत अच्छा होता। एक तरफ तो माइका बिल लागू होगा और दूसरी तरफ मिनरल कन्सेशन रूल्स लागू होंगे। खान से माइका निकालने का सम्बन्ध मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ से रहेगा और उसी के मातहत कार्यवाही होगी। तो यह एक मसले के लिये, एक ही काम के लिये दो कानूनों के मातहत कार्यवाही होना अनुपयुक्त मालूम पड़ती है। फिर यह भी है कि जहां कहीं भी ये धातुएं निकलती हैं उनके सोर्स पर ही टैक्सेशन होता है, वे जब बाजार में आ जाती हैं तो फिर उनके ट्रान्जेक्शन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। आज सोना सब से मूल्यवान धातु है। ड्यूटी जो लेते हैं वह ऑन दी सोर्स ले लेते हैं। इसके बाद जो रात दिन का व्यापार है, उसमें न लाइसेन्स है, न टैक्स है, कुछ नहीं है। अब इसके लिये तो व्यापार के लिये भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा और इसकी कीमत ढाई सौ रुपया होगी। माइका में डील करने के लिये ढाई सौ रुपया टैक्स देकर लाइसेन्स लेना पड़ेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि बार बार टैक्स लगाना यह न आज तक हुआ है और न कभी हमने सुना है।

दूसरा यह है कि दो दो कानून बनाने की आवश्यकता क्या है? एक ही कम्प्रीहेन्सिव कानून बना दिया जाय। अलग अलग दो कानून बनाना यह ठीक जंचता नहीं। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसको विद्ड्रा करके एक कम्प्रीहेन्सिव कानून बनाना ही ठीक रहेगा।

श्री सभापति : (श्री धारीवाल से) आप इसका जवाब दीजिये।

४.२ म० प०

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति इस बिल के बारे में प्रस्तुत की है, इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स जो हैं वे माइका को निकालने के बारे में हैं। माइका की खानों को लीज़ पर देने के लिये उसमें रूल्स बने हैं और यह एक्ट जो लाया जा रहा है वह इस वास्ते लाया गया है कि निकालने के बाद माइका को काटा जाता है, इसको ठीक प्रकार से बनाया जाता है और फिर उसका व्यापार होता है तो जो क्रूड माइका निकलती है उसको साफ करके बेचने के योग्य बनाई जाती है, उसके सम्बन्ध में यह बिल है।

यह बिहार में भी मौजूद है 'बिहार माइका एक्ट' के नाम से मशहूर है। तो वहां भी इसी तरह से है। क्रूड माइका के लिये,

Page No.88

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लीज़ पर देने आदि के लिए मिनरल कन्सेशन रूल्स हैं और उसको रिफाइन करके बेचने के लिये यह अलग से एक्ट है। इसी प्रकार से हमने यहां लिया है।

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति : कोरम तो पूरा है, १८ होने चाहिये और १८ मौजूद हैं।

श्री गिरधारीलाल : १८ कहां हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप गिन लीजिये।

एक माननीय सदस्य: आप अपने आपको गिनना भूल गये होंगे।

श्री गिरधारीलाल: मैं बाहर चला जाता हूँ, साहब।

(हंसी)

श्री सभापति : फिर भी कोरम है अभी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है वह व्यापार करने के लिये है।

अब सवाल यह आ जाता है कि जब माइका निकाली जाती है तो लोग उसे इधर से उधर बेच देते हैं और राजस्थान सरकार को उसकी रायल्टी नहीं मिल पाती। इसलिये इसको महसूस करते हुए हमने यह बिल रखा है। इससे यह होगा कि कौन आदमी किससे खरीदता है और किस जगह भेजता है, तो इसका सारा अकाउन्ट उनको देना पड़ेगा ताकि रॉयल्टी का हमारा कलेक्शन ठीक प्रकार से हो सके। इसलिये जैसा ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में दिया हुआ है,

"Rajasthan is one of the major producers of mica in India. Unauthorised dealing in mica and illicit removal of mica causes a loss to the State and also a depreciation in the quality of mica. The bill seeks to chcck this evil by regulating trade and commerce in mica and possession thereof. Previous sanction of the President of India for the introduction of this Bill has been obtained under article 304 (b) of the Consitution.

रायल्टी ठीक तरह से कलक्ट की जाय और जो लोग इल्लीगल तौर से उसे इधर से उधर कर देते हैं उसको रोकने के लिये यह एक्ट लाया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि ये दोनों एक्ट अलग अलग जो रखे गये हैं, ठीक हैं। वह मिनरल कन्सेशन रूल्स अलग है और यह एक्ट अलग है। तो ऐसी सूरत में यह होगा कि सरकार को भी रायल्टी का लाभ होगा और इल्लीगल तरीके से माइका इधर से उधर भी नहीं ले जाई जा सकेगी। व्यापार भी एक ठीक ढंग पर संगठित हो जाएगा। इसका लाना बहुत जरूरी है। इसलिये यह बिल लाया गया है और ऐसी सूरत में मैं आशा करूंगा कि इसे पास किया जायगा और जो ऐतराज किये गये हैं वे ठीक नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र (सभापति) : अब प्रश्न यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द

(श्री रामचन्द्र)

किया जाए, इस संशोधन के जो पक्ष में हों वे हां कहें, जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

श्री धारीवाल : ऐसा तो कोई प्रपोज़ल नहीं है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अब यह बिल विचारार्थ लिया जाय। यह प्रश्न है कि विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री रघुवीरसिंह : हां, तो किसी ने कही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद : कहा है भाई हमने।

श्री सभापति : अब यह बिल क्लॉज बाई क्लॉज विचारार्थ लिया जावेगा।

श्री तनसिंह : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं आपसे कि कोरम के अन्दर सभापति स्वयं भी शामिल होते हैं या नहीं?

श्री रामचन्द्र (सभापति) : क्लॉज नम्बर २ और ३ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसलिये यह प्रश्न है कि क्या इनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉजिज़ २ और ३ विधेयक के अंग बने।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने एक व्यवस्था के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या कोरम के लिए माननीय सभापति महोदय स्वयं भी १।१० वें हिस्से में शामिल होते हैं या नहीं?

श्री सभापति : इसके लिए कॉन्सिट्यूशन में कॉमेन्टरी है। वह आपको मुलाहिजा करादी जायेगी।

श्री तनसिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप भी कोरम में शामिल हैं या नहीं।

श्री सभापति : स्पीकर शामिल है और इसके लिए कॉन्सिटट्यूशन की कॉमेन्टरी देखली जाय, स्पीकर इसमें शामिल माना गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : सभापति महोदय, क्लॉज ४ में मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

1. "In parts (e) and (f) of sub-clause (1) insert 'a' respectively before 'valid' and 'mining'.

2. "In part (c) of sub clause (2), the word 'notifications be in the singular number.

3. "In subclause (3), substitute 'ceased' for 'ceases' in line 4 and also in last-but-one line."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में जो अमेन्डमेन्ट मन्त्री महोदय ने मूव किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.90

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि यह क्लॉज ४, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज ४, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बना।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था और आपसे चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के नाम से अमेंडमेंट दर्ज हो तो दूसरा व्यक्ति उस अमेन्डमेन्ट को प्रोपोज़ कर सकता है या नहीं ?

श्री सभापति : ऐसा नहीं कर सकते।

श्री तनसिंह : यदि नहीं कर सकता तो···

श्री सभापति : रूल तो यह है कि मिनिस्टर के बजाय डिप्टी मिनिस्टर तो कर सकता है, लेकिन एक माननीय सदस्य के बजाय दूसरा माननीय सदस्य नहीं कर सकता।

श्री श्रीभानसिंह : मिनिस्टर के बजाय डिप्टी मिनिस्टर तो बिल को मूव कर सकते हैं, मगर जब अमेंडमेंट स्पेसिफिक किसी के नाम पर है उसके नाम पर दूसरे आदमी कैसे प्लेस कर देंगे ?

श्री सभापति : मिनिस्टर के बजाय डिप्टी मिनिस्टर मूव कर सकते हैं, लेकिन एक माननीय सदस्य के बजाय दूसरे माननीय सदस्य मूव नहीं कर सकते, ऐसा नियम है।

श्री तनसिंह : तो क्या डिप्टी मिनिस्टर इस हाउस के सदस्य नहीं हैं ?

श्री सभापति : कांस्टिट्युशन में ऐसा है कि माननीय सदस्य को इसका अधिकार नहीं दिया गया है।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, क्लॉज ५ में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं:-

"In the proviso to subclause (1), insert "Central Act" before 'XLV' LIII within brackets."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ में जो अमेंडमेंट मूव किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री तनसिंह : पौन घन्टा रह गया है। माननीय गृह मन्त्रीजी बैठे हुए हैं और मुझे डर है कि यह हैबीचुएल ऑफेन्डर्स बिल इसी समय ले लिया जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : नहीं, नहीं।

श्री तनसिंह : तो आप यह पोथे लेकर क्यों बैठे हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप कहो तो मैं बाहर चला जाऊं।

श्री तनसिंह : ५वें क्लॉज का तो अमेंडमेंट मैं मूव नहीं कर रहा हूं और आगे देखा जायेगा।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.91

(श्री सभापति)

अमेंडेड क्लॉज ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ६।

(विराम)

क्लॉज ६ में कोई अमेन्डमेंट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ७।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज ७ में मैं निम्न अमेंडमेन्ट प्रस्तुत करता हूं :-

"In subclause (1) :

I. Substitute 'form' for 'forms' in line 3.

2. Insert 'the' before 'quantity' in subpart (i) of part (a).

3. Insert 'sold or' before 'exported' in item (c) of subpart (ii) of part (b)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो अमेंडमेंट मूव किया गया है यह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि ७ वां क्लॉज़, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय ?

क्लॉज ७, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ८ से ११।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८, ९, १० और ११ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ से ११ विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

क्लॉज १२ में अमेन्डमेन्ट है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : क्लॉज १२ में मैं अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं :-

1. Substitute 'fine' for 'a fine' in subclauses (1), (2), (3) and (4).

2. Omit '(a)' in subclause (3).

Substitute 'a magistrate' for 'the magisrate' in subclause (4)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज़ १२ में जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है, उसको स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया ?

श्री तनसिंह : मेरा एक अमेन्डमेन्ट तो अभी स्वीकार हो ही गया, दो अमेन्डमेन्ट थे जिनमें से ।

श्री सभापति : आपका अमेन्डमेन्ट कौनसा स्वीकृत हुआ ?

श्री तनसिंह : वह वही है जो इन्होंने रखा था । दूसरा जो है वह मैं मूव नहीं करता हूं ।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है कि क्लाज १२एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्लॉज १३ मे मैं यह अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ:-

"Substitue 'II' for 'II'."

श्री सभापति : प्रश्न यह कि यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह क्लॉज १३ एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉजेज़ १४ व १५

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लाजेज़ १४ व १५ स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १४ व १५ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ १६ ।

श्री तनसिंह : क्लॉज १६ में मेरे ३ अमेंडमेंट्स हैं । जिनमें पहले अमेन्डमेन्ट को मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं । दूसरे अमेन्डमेन्ट को मैं मूव करता हूं, क्योंकि वह शायद प्रिटिंग मिस्टेक ही मालूम होती है और थर्ड अमेंडमेंट है वह सिविल कोर्ट और 'टू सैट असाइड' के बीच में 'ऑफ कॉम्पीटेन्ट ज्युरिस्डिक्शन' डालना है । यह तो ठीक है, इसलिए थर्ड अमेंडमेंट भी मूव नहीं करता हूँ । सेकिन्ड मूव कर देता हूँ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : मैं इसे एक्सैप्ट करता हूं । प्रिंटिंग मिस्टेक मालूम होती है ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय आपके अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं । क्योंकि अब इस क्लॉज पर दूसरा कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिए प्रश्न यह है कि यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय ।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १६, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १७

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, यह १७ के अन्दर भी प्रिन्टिंग मिस्टेक है। क्लॉज १७ की आठवीं लाइन में 'कैन्सलिंग' के बजाय 'कन्सीलिंग होना चाहिए।

श्री सभापति : इससे सब पर तो संतुष्ट हो गये होंगे कि उनकी मरजी है वह पूरी हो गई। आपने यह क्लॉज़ १७ पर जो एमेंडमेंट रखा है, वह माननीय मन्त्री महोदय ने मान लिया है।

श्री तनसिंह : नहीं माना है।

श्री सभापति : और कोई एमेंडमेंट है आपका ?

श्री तनसिंह : मेरा एमेंडमेंट नहीं माना है। यह उनका अपना एमेंडमेंट है।

श्री सभापति : आप बोलें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सभापति महोदय, यह बिल्कुल वाजिब बात है कि कि क्लॉज १७ में यह पॉवर ऑफ सरचेज़ एण्ड सीज़र दिये गये हैं और उसमें किसी ऑफिसर को ऑथराइज़ किया जा सकता है कि यह ख्याल हो कि किसी तरह से माइका छिपाया है। वह क्लॉज इस प्रकार है:—

"Whenever any officer authorised in this behalf by the State Government has reason to beleve that an offence punishable under sub-section (1) of section 12 read with clauses (a), (b) or (c) of sub-section (1) of section 4 or under clause (b) of sub-section (4) of section 12 has been or is being committed in respect of any mica, and that such mica is to be found in any building or place, and that a serch warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of cancelling or removing mica, he may, after recording the grounds of his belief at any time by day or night, enter and search such building or place and seize mica found therein in respect of which he has reason to belive that any offence referred to in this sub-section has been or is being committed."

क्लॉज १७ का मतलब यह है कि किसी वक्त कोई ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट द्वारा द्वारा ऑथराइज्ड होगा और मैं समझता हूं कि सब इन्सपेक्टर पुलिस ही होगा या इस केडर का होगा, उसको ऑथराइज किया जायगा कि कहीं माइका छिपा हुआ पड़ा हो तो इस कानून की मन्शा है कि यदि वह चोरी

Page No.94

(श्री तनसिंह)

से लाया हुआ या किसी वजह से ऑफिसर यह समझता है कि यह इस तरह का है तो बिना वारन्ट हासिल किये ही उस ऑफिसर को अधिकार होगा कि दिन हो या रात किसी भी समय घर में घुसकर तलाशी ले सके और कोई चीज हो तो बरामद कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इसमें से 'नाइट' शब्द को हटा दिया जाय । मतलब उसका यह होगा कि वह ऑफिसर विदाउट वारन्ट किसी भी मकान को सर्च करता है तो दिन में जा सकता है और रात में नहीं जाना चाहिए। इसी मकसद से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मेरा निवेदन यह है कि आम तौर से पुलिस भी जहां सर्च करती है, वैसे यद्यपि उनको मुमानियत नहीं है कि नाइट में सर्च न करें, फिर भी पुलिस घेरा देती है रात के वक्त और अन्दर नहीं जाती है । ऐसा हो सकता है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कभी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है कि वह आदमी पुलिस का ऑफिसर ही नहीं हो और किसी को भी गवर्नमेन्ट ऑथराइज् कर सकती है, माइनिंग इन्सपेक्टर या माइनिंग इन्जीनियर को ऑथराइज् कर सकती है, 'वह बाहर से घर में घुस जाता है, उस स्थिति में अगर मैं होऊं तो उस पर आक्रमण करूंगा यह जानकर कि वह चोर है या डकैत है। वैसे नींद में एक आदमी सोच नहीं सकता कि आने वाला आदमी वास्तव में स्टेट में गवर्नमेन्ट का ऑथराइज्ड आदमी है या नहीं। मैं तो समझता नहीं। उस पर आक्रमण होगा और सिर पर दो चार लाठी गिरेगी उसके बाद में वह अदालत में मेरा चालान करेगा दफा ३३२ के अन्दर कि जानबूझ कर किया है। मैंने तीन चार कह दिया कि मैं फलां इन्सपेक्टर हूँ, मैं ऑथराइज् किया हुआ हूं और मेरे को अरेस्ट किया गया तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि यह कहा था या नहीं। मामूली बात से झगड़ा पैदा होता है यदि किसी व्यक्ति को, किसी ऑथरिटी को यह अन्देशा है कि यहां माइका छिपा हुआ है तो वह इस तरह की कोशिश कर सकता है कि उसके घर का घेरा लगा दे. लेकिन रात को उसे घर में घुसने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और खास तौर से इस मामले में। माइका ऐसी चीज नहीं है जिसको कि जेब में डाल कर ले जाए और छिपा कर रखदे । ऐसी चीज है कि रात में जब घेरा देते हैं तो डाकू भी निकल सकते हैं तो माइका को ले जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बाहर । मैं सर्च करने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन इससे मकान के रहने वालों की प्राइवेसी मारी जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपस के बैर के कारण घर में घुसकर उसको हैरेस करें। माइका ऐसी चीज नहीं है कि हरेक के यहां मिले। माइका का व्यापार करने वाला मालदार आदमी होगा तो मालदार आदमी के पास जाकर मकान की तलाशी लेंगे, बिना किसी भी वारन्ट के उसकी तलाशी ली जाय तो मैं समझता हूं कि उनको बड़ा हैरसमेन्ट होगा, ऐसी अवस्था में नाइट में सर्च करने का विशेष अधिकार देने के साथ यदि वारन्ट हो, तो उसमें मजिस्ट्रेट अपना अपना माइन्ड एप्लाई करेगा। वह देखेगा कि जो एवीडेन्से दी गई हैं वे काफी हैं, लेकिन बिना वारन्ट के एक व्यक्ति रात को अगर जाता है और अगर मिसअन्डरस्टैंडिंग पैदा हो गई, किसी व्यक्ति के दिमाग में हो या नहीं और मारपीट हो गई और मुकद्में चल गये, तो उससे जनता का नुकसान होगा, उनको हैरेसमेंट होगा और जो आपका मतलब है वह

(श्री तनसिंह)

हल नहीं होगा। आप जिस चीज को लाना चाहते हैं, उसको दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन सन सेट के बाद और सन राइज के पहले कोई सर्च नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा अधिकार हम दे रहे हैं कि जो अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और यह 'नाइट' शब्द डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए, यही मेरी मान्यता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो श्री तनसिंहजी ने एमेंडमेन्ट रखा है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं तो यह समझता था कि विरोधी पक्ष की तरफ से यह ऐसा एमेंडमेंट रखा गया है, जिसको कि स्वीकार कर लिया जाता। आज जब कि हमारी लिबरटीज़ और हमारे राइट्स सेफगार्डेड हैं, कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक तो मेरे मकान के अन्दर चाहे गवर्नमेन्ट का कोई भी हाइऐस्ट आफिसर हों और चाहे मैं कन्फर्म्ड क्रिमिनल हूँ, मगर बिना वारन्ट के मेरे मकान में आये और सर्च करे इसको कहां तक जस्टिस के प्रिन्सिपल के साथ में हम जस्टीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझको मालूम है कि लाइक एकेसल कहता है एक अंग्रेज अपने मकान को। मकान में रहने वाला समझता है कि उसका क्या है, मकान के अन्दर उसको फ्रीडम है। उसके मकान के अन्दर कोई दूसरा आदमी आ नहीं सकता जब तक कि उसके पास लेजीटिमेट वारन्ट नहीं हो। मेरे मकान के अन्दर जस्ट ओनली ओन एकाउन्ट ऑफ सस्पीशन कोई आदमी बिना वारन्ट के आ जाता है और हैरेस करता है, तो हेरासमेंट के अगेन्स्ट में कम्प्लेन्ट लेकर लॉ कोर्ट के अन्दर नहीं जा सकता। आखिर जब कोई माइका इल्लेजीटिमेटली मेरे मकान के अन्दर रखी है, तो ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। जुडीशियरी उसमें अपना माइन्ड एप्लाई करेगी और माइन्ड एप्लाई करने के बाद आखिर में यह कह दे कि एक आदमी की जो सिक्योरिटी है, एक आदमी की जो पर्सनल गारन्टी है, एक आदमी की जो फ्रीडम है या जो फन्डामेन्टल राइट्स कॉन्स्टीट्यूशन ने दिये हैं उसको वॉयलेट नहीं कर रहा है। एक तरफ तो हम फन्डामेन्टल राइट्स देते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे कानून बनाते हैं कि विदाउट वारन्ट डे या नाइट में हाउस की सर्च कर सकते हैं। आखिर क्या गारन्टी है, मेरे राइट्स के सेफगार्ड करने की, मेरे हाउस की प्राइवेसी की, मेरे हाउस की सिक्रेसी की, जिससे मैं यह समझूं कि मेरा हाउस फ्री है, मैं अपने हाउस के अन्दर फ्री हूं। यह मैं किस तरह से सोच सकता हूं जब कि बिना वारन्ट के मेरे हाउस के अन्दर आपके ऑफिसर आ जाते हैं। जब बिना वारन्ट के मेरे हाउस में आता है एनि ऑफिसर, क्या उस आफिसर के दिमाग पर या सर पर लिखा हुआ है कि वह गवर्नमेंट ऑफिसर है? कल मैं भी जा सकता हूं एज गवर्नमेन्ट ऑफिसर और किसी आदमी के मकान पर जाकर सर्च कर सकता हूं, उसमें वारन्ट की जरूरत नहीं है। यह किसी आदमी की पर्सनल लिबरटी में दस्तन्दाजी करना है, उसके फंडामेन्टल राइट्स में दस्तन्दाजी करना है। इसके बजाय जो अगर यह करें कि वारन्ट लाकर ही सर्च कर सकता है, अगर ज्युडिशियल ओथोरिटी से वारन्ट लाया है, तभी मकान में आ सकता है वरना नहीं आसकता। आज हम गवर्नमेंट और जुडिशियरी पर भरोसा रखते हैं कि ये हमारे फंडामेन्टल राइट्स का सेफगार्ड रखते हैं। यदि हम

Page No.96

(श्री श्रीभानसिंह)

जुडिशियरी से वारन्ट नहीं लाते हैं और किसी के हाउस को सर्च करते हैं तो उसके राइट का सेफगार्ड कहां हुआ ?

इसके अलावा हम पॉवर देते हैं सर्च करने की पुलिस ऑफिसर को। हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर मुझे हेरेस करना चाहता है और आपके पास मुझे उसके हेरेसमेंट से बचाने की कोई रेमेडी नहीं है और आप कहते हैं कि इसके लिये लॉ कोर्ट में जाइये। यह तो एक लीगल चीज है कि आप हमको जस्टिस दीजिये। जब तक एक आदमी मेरे खिलाफ प्रोपर ओथोरिटी से वारन्ट नहीं ले ले तब तक वह मेरे हाउस में आ नहीं सकता। इससे तो मेरे हाउस की सीक्योरिटी नहीं है और न मेरे फंडामेन्टल राइट्स की सिक्योरिटी है। आज यह मान्यता है कि किसी के मकान में बिना वारन्ट घुसते हैं और तलाशी लेते हैं तो सबसे ज्यादा कुठाराघात पहुँचाते हैं, पहुँचाया जायेगा। यदि आप एक आदमी पर चोरी का आरोप लगाते हैं, तो क्या आपत्ति है आपको प्रोपर ऑथोरिटी से वारन्ट लाने में। मैं यह सोचता हूं कि बिना वारन्ट के सर्च नहीं किया जा सकता, इस तरह का अमेंडमेंट विरोधी पक्ष की ओर से आता परन्तु वैसा नहीं आया फिर भी उन्होंने रेसट्रिक्शन लगाया है कि नाइट में सर्च नहीं किया जाय। यदि इसे नाइट के लिये ही लागू किया जाय तो भी अच्छा रहेगा।

यह मैं चाहता हूं कि मन्त्रीजी यह अमेंडमेंट लावें कि बिना वारन्ट के कोई घर में नहीं जावे ताकि इंगलैन्ड में लोग जो सीक्योरिटी फील करते हैं वही हिन्दुस्तान में भी करने लगें।

श्री तनसिंह : मन्त्रीजी जवाब दें उससे पहले हम फेक्ट्स जानना चाहते हैं कि किसी कानून में बिना वारन्ट के किसी की तलाशी लेने का प्रोविजन है क्या ? यदि है तो उदाहरण पेश करें।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो ऐतराज किया है कि 'नाइट' को डिलीट कर दिया जाय, इस सम्बन्ध में यदि १७ वें क्लॉज को शुरू से आखिर तक मुलाहिजा करते तो साफ जाहिर हो जाता कि किस परिस्थिति में विदाउट वारन्ट सर्च करने का दिन में और रात में अधिकार दिया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करूं :

"Whenever any officer authorised in this behalf by the State Goverment has reason to belive that an offence punishable under sub-section (1) of section 12 read with clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) of section 4 or under clause (b) of sub-section (4) of section 12 has been or is being committed in respect of any mica. and that such mica is to be found in any building or place, and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of concealing or removing mica, he may after recording the grounds of his belief at any time by day or night, enter and search such building......"

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

तो ये सारी बातें उसको पहले रेकार्ड करनी पड़ेंगी, इस तरह का कोई रीज़नेबल एप्रिहेन्शन है, ऐसी माइका रखी हुई है और ओफेन्स कमिट किया हैं और रीज़नेबल टाइम में वह वारन्ट नहीं ला सकता, यह सब रेकॉर्ड करने के बाद में ऑथोरिटी दी है और फिर इसके बाद में आगे मुलाहिजा करेंगे तो इससे मालूम होगा : "such building or place and seize any mica found therein in respect of which he has reason to believe that any offence referred to in this sub-section has been or is being committed;" यह उसको रेकॉर्ड करना पड़ेगा : "Provided that no police officer whose rank is lower than that of an Inspector of Police shall be authorised to exercise the power conferred by this section." जहां इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस से नीचे की रेन्क का कोई आदमी पावर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकेगा ...

श्री श्रीभानसिंह : Where the question of fundamental right is concerned, even the God Almighty should not enter my house, leave a side the question of an Inspector.

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल (उप मंत्री): मैं आपके इस सवाल का भी जबाब दूंगा। अभी श्री तनसिंहजी के अमेंडमेंट के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ ही आगे यदि देखेंगे।

(6) Every officer seizing any mica under sub-section (1) shall:-

(a) prepare a list of the mica so seized and deliver a copy thereof singed by him to the person found in possession of such mica.

(b) enclose the mica seized in a package and place on such package a mark indicating that the mica therein contained has been seized; and

(c) as soon as may be after such seizure, make a report thereof to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which seizure has been made".

मैं यह निवेदन करूं कि ऐसी अवस्था के अन्दर जहां पर यह अंदेशा हो कि एक आदमी इस माइका को कंसील करने वाला है या रिमूव करने वाला है और वह यह इतमिनान करले कि इतने कम समय में वह वारन्ट ओब्टेन नहीं कर सकता, उस वक्त वह ग्राउड्स दर्ज करेगा कि इस वजह से ओब्टेन नहीं कर सकता सकता है तब वह एक्सट्रा ओर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है।

अब सवाल यह आता है कि दिन को सर्च करना चाहिये, लेकिन रात को नहीं करना चाहिये। जैसा कि तनसिंहजी ने पूछा कि आया दूसरे कानूनों में भी इस किस्म का प्रोविजन है या नहीं। इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि ओपियम एक्ट को देखें। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस को ऑथोरिटी दी है इस तरह से सर्च करने की....

श्री तनसिंह : कौनसी दफा में?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दफा मुझे जबानी याद नहीं है। That Chapter is there in the Criminal Pracedure Code that the Police has got the authority to arrest without warrant and search with warrant.

श्री तनसिंह : दफा १६४ है या इसके अलावा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विदाउट वारन्ट का प्रावधान है, आप उससे संतोष कर लेंगे।

श्री साभपति : तथ्य बता दिया है, रहा कौनसा लॉ है, आप स्वयं मालूम कर लीजिये या मन्त्रीजी प्राइवेट में मालूम करलें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (जारी) : एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी प्रोविजन माइका एक्ट में किया हो, ऐसी बात नहीं है।

अब जैसा कहा गया फंडामेन्टल राइट्स के बारे में श्री श्रीभानसिंहजी ने फंडामेन्टल राइट्स को इस प्रकार जाकर इन्टरफियर करते हैं, इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो ओफेन्स करे उसके लिये फंडामेन्टल राइट्स नहीं हो सकते। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी है: He cannot say that I have got a fundamental right and, therefore the police officer should not enter in my house.

श्री श्रीभानसिंह : But he has the right to know that the judicial process will follow and that he would be arrested legally.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Judicial procedure has been laid down. In the Criminal Procedure Code, the police can under some circumstances catch hold of the man, search his house and all that. That can be done. There are circumstances under which this extraordinary power has to be exercised and therefore, they been given this autority under this clause I, therefore, request that I can not concede to accept the particular amendment moved by Hon. Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की अवस्था में बिल्कुल नहीं हूं बल्कि मैंने बहुत ही माइल्ड अमेन्डमेन्ट रखा था। मुझे वाकई यह ध्यान नहीं था कि सर्च विदाउट वारन्ट के नहीं हो सकता, उसका ख्याल नहीं रखा, वरना मैं इन अमेन्डमेन्ट्स को कुछ ढंग से देता। जो अमेन्डमेन्ट मैंने दिया है, वह इतना रीजनेबल है कि उससे और कुछ दूसरी रीज़नेबल चीज नहीं हो सकती। अब मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, बताऊं कि आपने फर्माया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड़ में है। जहां तक मुझे ख्याल है एक १६५ सेक्शन है, वह है, इसके अलावा कोई सेक्शन और मेरे ध्यान में नहीं है, जितने भी ५५२ और १०० सेक्शन हैं, उनके अनुसार सर्च होती है, तो उसमें वारन्ट लेने की आवश्यकता होती है। सेक्शन १६५ में इतनी एहतियात बरती गई है और पुलिस ऑफिसर के हाथ में यह अधिकार दिया गया है, खास तौर पर उन जुर्मों के सम्बन्ध में, जो समाज विरोधी होते हैं, उन जुर्मों की तफतीश

(श्री तनसिंह)

के लिये प्रावधान रखा गया है और उसमें लेटीट्यूड दिया है और उस लेटीट्यूड का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर रात के वक्त जाकर तलाशी ले लें। मुझे निश्चित तौर से याद है कि रूलिंग भी दी गई है, यद्यपि सेक्शन १६५, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह नहीं है कि वह रात के वक्त जाकर तलाशी नहीं ले सके, लेकिन इस तरह की रूलिंग है, जिसमें कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और उन्होंने चाहा है कि वह हमेशा दिन के वक्त जावे। अगर तफतीस की आवश्यकता हो तो दिन के वक्त तलाशी हो सकती है। रात के वक्त जाकर बिना वारन्ट के तलाशी लें और अपनी जेब में से निकाल कुछ डाल दें और फिर पकड़ कर बन्द कर दें, तो कहां तक न्यायसंगत होगा। इसलिए कोर्ट ने यह रूलिंग दी है कि रात में अवोइड करना चाहिये और दिन में तलाशी करनी चाहिए। अगर आप सेक्शन १६५ पर दृष्टिपात करें तो आपको प्रतीत होगा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई ऑफिसर इस तरह सेक्शन १६५ के अनुसार किसी मकान की तलाशी लेने जायगा, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस मुकदमे के सिलसिले में कोई चीज हो, जिसकी मकान की तलाशी लेकर पूर्ति करना चाहता है, ऐसा होता है तो वारन्ट लेकर तलाशी के द्वारा हासिल की जा सकती है। इसके लिए भी यह लाजिमी है कि उसके जो ग्राउंड सर्च के हैं, उसको लिखित में दें और लिखित में करें :

"and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recordiog in writing the grounds of his belief and specifying in such writing...."

श्री रिखबचन्द धारीवाल: The same provisions are here. "After recording the grounds of his belief..."

श्री तनसिंह : Where is the 'writing'? "after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing..."

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is there. He may, after recording the grounds. मैंने निवेदन किया था Recording the grounds means recording the grounds in writing.

श्री तनसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैं मान लेता हूँ कि ग्राउन्ड ऑफ सर्च लिखने का उसमें है और उसमें भी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी है, लेकिन राइटिंग शब्द नहीं है, इसमें रिकॉर्ड दी ग्राउन्ड इन राइटिंग भी है, उसके बाद जितनी भी चीज रखी रखी गई हैं कि जो माल बरामद हुआ है, उसकी फर्द को मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाना चाहिए। आपने लिखा है कि जो प्रोपरटी सीज़ हो, वह भेजदी जायगी और उस पर मार्क कर दिया जायगा ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल: आप मुलाहिजा कर लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है, वह मौजूद है : "(a) Prepare a list of the mica so seized and deliver a copy thereof signed by him to the person found in possession of such mica;

(b) enclose the mica seized in a package and place on such pack-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

age a mark indicating that the mica therein contained has been seized; and

(c) as soon as may be after such seizure, make a report thereof to the magistrate having jurisdiction."

श्री तनसिंह : (जारी) वह तो है साहब । मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि यह साधारण चीज नहीं है । क्योंकि माइका की क्या कीमत हो सकती है, २००, ५०० होगी, उसको छिपा लेता है, यह नहीं हो सकता। अगर किसी ने ढ़ेर का ढ़ेर लगा दिया है, तो उसके लिए वारन्ट हासिल किया जा सकता है । अगर थोड़ी चीज पड़ी है तो सब की जा सकती है । अगर ढ़ेर लगा हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वारन्ट की आवश्यकता है । यह नहीं कर सकते कि माइका हटा दिया जायगा, क्योंकि इतने कई आदमी मिल सकते हैं, जो उसकी तलाश रखें। यह स्थिति भी हो सकती है, जिस स्थिति में बहुत देर से मालूम हुआ हो और उस दौरान में शायद ऑफेन्डर चला जाय, तो मैं निवेदन करूंगा यह उस आदमी की गलती है, उस ऑफिसर की गलती है। इसके मायने यह हुए कि वह अपनी ड्यूटी पर कासिर नहीं है, अपने कर्तव्य की पूर्ति ठीक तरह से नहीं करता । उसका परिणाम यह होता है कि उसको स्पेशल राइट मिलता है और दूसरे के फन्डामेन्टल राइट पर एन्क्रोचमेंट होता है । माइका इन्सपेक्टर जो है, उसको मालूम देर से होता है कि इतना माइका चोरी से चला गया है, तो उसकी गलती है और उसका कान पकड़ कर सजा देनी चाहिए । यह क्या बात है कि उसको बिना वारन्ट के अधिकार दे दें किसी व्यक्ति के घर में जाकर तलाशी ले लें। अगर उस आदमी के पास माइका हो भी तो भी रात के वक्त जाकर तलाशी लेने में क्या आनन्द आता है । आखिर हम भी समझदार आदमी हैं, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, यह क्या कि हर आदमी घर में घुस आता है । मैं समझता हूं, न्यायसंगत नहीं है। मैं चोरी करके सोऊंगा, अगर कोई आदमी आयेगा तो मैं जूते लगाये बिना नहीं रह सकता। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा आखिर कुछ भल मनसाहत भी होती है, अगर कानून में भलमनसाहत नहीं होती है, तो जो कर्मचारी उसके अनुसार काम करने जायेगा, वह किस प्रकार भलमनसाहत करेगा । आप बतायेंगे कि लेजिस्लेचर जागरुक है, जनता की आवश्यकता महसूस करता है, इसलिए नाइट के अन्दर सर्च करने के लिए अलाऊ करते हैं। हम कहते हैं कि आप उसे कहें कि तुम लिख कर दे दो कि यह ग्राउन्ड है, भला आदमी भागने वाला है, नालायक है, उसके पास माल पकड़ा जायगा । इसलिए अगर सम्मन उपलब्ध नहीं हो, कोई आदमी नहीं हो जो निगरानी रख सके, तो बिना वारन्ट के नाइट में सर्च करना चाहता है, वह लिख कर दे और जो प्रोपरटी मिले उसकी लिस्ट बनाकर दे । यह बात नहीं है, मैं आपको निवेदन करूं कि मान लीजिये कि इन्सपेक्टर को ऑथेराइज़ किया कि ग्राउन्ड ऑफ बिलीफ हैं, उनके अनुसार बिना वारन्ट हासिल किये वह तलाशी लेता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून में यह रखने की आवश्यकता है, आपके कानून में होना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कोशिश की और बाद में पता चला कि कोई चीज बरामद नहीं हुई है, तो जिस इन्सपेक्टर ने तलाशी ली है, उसको सजा देनी

(श्री तनसिंह)

चाहिए, वह कम से कम एक साल की सजा होनी चाहिये। इससे जो इन्सपेक्टर तलाशी लेने जायगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर आप उन पर चैक नहीं रखते हैं और बे लगाम घोड़े को हमारे ऊपर चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होसकती है जिसका निश्चित रूप से प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। माननीय मन्त्री महोदय को आमदनी के लिए बहुत लालच हो सकता है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि पैसा ऐसी चीज है जो जा सकता है और आ सकता है, लेकिन पैसे से भी एक चीज अधिक होती है और वह इज्जत होती है। जनता की इज्जत ज्यादा होती है और इज्जत को पैसे से नहीं चुकाया जा सकता है। जो आदमी चोरी करके ले गया है, उसके ऊपर केस होगा। लेकिन जो चोर आफिस में बैठे हुए हैं, उनके मकानों की तलाशी लें, जो जनता की, नागरिकों की चोरी करते हैं। आप चोरी के लिए रात में दिन में घर में घुस कर तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ सामान नहीं मिलता है, तो उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने का क्या रास्ता निकालेंगे? मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की कार्यवाही होती है, तो कुछ गलत नहीं होता है। मैं समझता हूँ, अगर सरकार को पैसे का लालच है, सरकार को जितनी पैसे की इच्छा है, उसके सिवाय और कोई इच्छा नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक भिखारीखाना खोल दें, जिसमें लोगों को झोलियां लेकर भेज दीजिए, तो जो माइका माइन-ओनर्स हैं, उनको आप कहिये कि हमें इतना रुपया चाहिये, राज्य के लिए चाहिये, कन्सोलिडेटेड फन्ड के लिए चाहिये, वे दे सकते हैं। इसलिए जो नाइट को सर्च करने का प्रावीजन है.......

श्री सभापति : काफी बोल चुके हैं। जितना बोलने की आवश्यकता हो, उतना ही रखिये।

श्री तनसिंह : आवश्यकता तो मुझे बोलने की बिल्कुल नहीं थी.......

श्री सभापति : आप दो मिनिट और बोल लीजिये।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैंने कई अमेन्डमेन्ट दिये, अगर मेरी बोलने की ही इच्छा होती तो उन सब अमेन्डमेन्ट्स पर बोलता। पर मैंने अध्ययन किया और मेरा एक अमेंडमेन्ट बहुत जरूरी और वाजिब था, उसको मैंने रखा। मैं समझता हूं कि इस बिल में इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार हो, मैं नहीं चाहता कि इस माने में थोट्फुल पार्ट में बिना विचारे ही इसे पास कर दें........

श्री सभापति : आपके अमेन्डमेन्ट का मुद्दा था, उस पर तो आप बोल चुके, बार-बार बोलने से प्रभावशाली नहीं बनता।

श्री तनसिंह : इस बात की तो मुझे कोई चिन्ता नहीं कि मेरी कही हुई बात का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, मुझे तो इस बात की चिन्ता है कि मैं अपना कर्त्तव्य अदा करूं। समय थोड़ा है और ५ बजने जा रहे हैं, पर आप निश्चित-जितना उस पक्ष में बैठने वालों के पास संख्या का बल है उतना ही हमारे पास दूसरा बल है—और उस बिल के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को आप बहुमत के आधार पर पास नहीं कर सकते।

श्री सभापति : आप बोलना चाहें तो असली विषय पर और बोल लीजिये, फिर समाप्त कीजिये।

Page No.102

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में कोई भी प्रतिबन्ध, बोलने के बारे में, हमारे रूल्स के अनुसार नहीं है।

श्री सभापति : आप तो मन्त्री महोदय के जवाब के बारे में बोल रहे हैं, अमेन्डमेन्ट पर तो पहले ही बोल चुके हैं, मन्त्री महोदय के जवाब का जवाब दे रहे हैं।

श्री तनसिंह : मैंने उनके जवाब के एक ही पोइन्ट को डिस्कस किया है और कई पोइन्ट्स हैं जिन पर डिस्कस करना आवश्यक है........

श्री सभापति : अभी तो कई मौके आयेंगे, इस बिल पर बोलने के........

श्री तनसिंह : यह एक बहुत अहम सवाल है और मौके आयेंगे इससे........

श्री सभापति : अच्छा बोलिये।

श्री तनसिंह : अब मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। पाकिस्तान से हमारे यहां सोने का काफी स्मगलिंग होता है, इससे हमारी करेंसी पर बहुत असर पड़ता है, सेन्ट्रल कस्टम्स एक्ट है, उसके अनुसार तलाशी ले सकते हैं पर तब तक तलाशी नहीं ले सकते जब तक कि मजिस्ट्रेट से वारन्ट हासिल नहीं कर लें। सेन्ट्रल कस्टम्स एक्ट के बाद में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, पर उसमें भी वहां पर इस प्रकार के प्रावधानों में अन्तर नहीं डाला। यद्यपि इस प्रकार के प्रावधान वहां होने के कारण हैं, सोना पाकिस्तान से आ रहा है इससे हमारी करेंसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी सरकार को नुकसान होता है, फिर भी भारत सरकार ने देखा कि संविधान के द्वारा यह अधिकार हमने लोगों को दिया है, उनके द्वारा हमारी स्टेट को, यूनियन की प्रोपर्टी को कुछ नुकसान भी हो, स्मगलिंग को प्रोत्साहन मिलता हो तो भी जो हमारे प्रायस राइट्स हैं उनको नहीं तोड़े और जनता के अधिकारों को जो संविधान द्वारा दिये गये हैं, उनको नहीं तोड़ें।

हमारे मन्त्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि माइका जैसी चीज को चुरा कर ले जाते हैं, पर बताइये सोना ज्यादा कीमती है या माइका। मैं समझता हूं कि बिना वारन्ट भी जायं, मैं इससे इन्कार नहीं करता, मैंने रात के लिए मना किया है कि रात में तलाशी नहीं ली जाय। रात ऐसी चीज है जिसमें हम सब शांति से सोते हैं और उस समय हम नहीं चाहते कि खुदा भी आकर डिस्टरबेंस करे। खुदा भी अगर उस वक्त आता है तो उसे नमस्कार करने की बजाय धक्का देने को तैयार होंगे। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि बिना वारन्ट के नहीं जायं, मैं तो रात का विरोध करता हूं। आपको क्या रात को ही दिखता है, वह इन्पेक्टर कैसा है जो रात को ही देखता है, दिन को देखता नहीं। शाम के वक्त क्यों जाता है ? इस प्रकार तो आप निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को मौका देते हैं कि धांधली फैलाये। उनके लिए दिन का समय होना चाहिये। इसलिए विदाउट वारन्ट के नाइट को तलाशी लेने का है, उसको हटाने के लिए यह अमेन्डमेन्ट रखा है।

मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय को अब भी वक्त है कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और इसे इसलिये नहीं टाल दें कि विरोधी

(श्री तनसिंह)

पक्ष की ओर से यह अमेंडमेंट रखा गया है। आप इस मंशा से कानून बना रहे हैं कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता का आम हित हो। पर इसके लिये यह नहीं कर सकते कि संविधान द्वारा एक व्यक्ति को अधिकार दिया है कि तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है, उस संविधान द्वारा दिये हुए अधिकार को आप छीन लें।

श्री सभापति : अब ५ मिनिट रह गये हैं मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने भाषण को समाप्त करेंगे।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, आप चाहेंगे तो मैं भाषण समाप्त कर दूंगा पर इससे समस्या समाप्त नहीं होगी। इस क्लॉज़ को फिर से सोचें, इसको डेफर करें इसको छोड़ दीजिये, नाइट के क्लॉज़ को हटा दीजिये, दिन का रखिये आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि ५ बजे तक रखना है तो यह क्लॉज भी मुश्किल हो जायगा। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि आप मेरी ओर से, सदन की ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से मन्त्री महोदय को सद्भावना पैदा करने के लिये प्रेरित कीजिये। तैयार हो रहे हैं ! सोच लीजिये मैं कोई बुरी चीज तो नहीं कह रहा हूं, जिससे आपको नुकसान हो। मैं तो मानवता की इन्सानियत की बात कह रहा हूं। आप मिनिस्टर नहीं हों और आपके घर में बिना वारन्ट के कोई घुस जाय तो कितना बुरा लगेगा आपको, वैसा ही मुझे बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लग सकता है। मानवीय दृष्टिकोण रखिये, जो सजा आपने इसमें दी है उससे दुगुनी कर दीजिये, एक्युज़्ड को भी कितनी सुविधाएँ दी जाती हैं, फिर चाहें सजा हो तो मौत की सजा ही क्यों न दे दी जाय। मानवीय दृष्टिकोण के लिये मैं यह कह रहा हूं। आप तो यह पसन्द नहीं करते कि रात को कोई आपको टेलीफोन से भी जगाये, आप सोते हुए हों और मैं आकर जगाऊं, तो आपको कितना बुरा लगता है ! इसी तरह हर एक को बुरा लगता है। यह सर्च का प्रावधान है रात का, इसको हटा दीजिये फिर मैं उनको ड्यू सेंसेज़ के लिये निवेदन करूँगा कि इस बात को मानें नहीं तो यह बात होगी कि आप अपने बहुमत के बल पर करा लेंगे पर जो वाजिब बात है वह छुपी नहीं रहेगी, बहुमत के बल पर जो असत्य है उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। तो या तो आप इसको हटा दीजिये या इस क्लॉज़ को डेफर कर दीजिये। मैंने अपनी तरफ से इस अमेंडमेंट को प्रेस करने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। मैं समझता हूँ कि मेरे इतना कहने पर वे इस संशोधन को स्वीकरेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपकी भावना है, उनकी कद्र करता हूँ पर साथ ही मैं निश्चित बात मानूंगा कि कोई उदाहरण दूँ तो आप मान जायेंगे। एक आदमी एक ट्रक में माइका भर कर मकान पर खड़ा है.......

श्री तनसिंह : माननीय सभापतिजी या तो आप कोई इन्स्टान्स देते हैं, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिये कि स्पष्टीकरण करूँ। मन्त्री महोदय इन्स्टान्स देते हैं, तो मुझे भी मौका दें कि........।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कह रहा हूँ कि डिस्कस करने को तैयार हूँ....

श्री तनसिंह : इस तरह तो आप एक इन्स्टान्स देंगे तो मैं दो इन्स्टान्सेज़ उसके खिलाफ दे सकता हूँ। आप स्पष्ट कहिये 'हां' या 'ना' ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज़ १७ पर श्री तनसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

(विभाजन घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह : 'Ayes' have it, Sir.

श्री सभापति : तो बहतर यह है कि जो इसके पक्ष में हों, वे अपना हाथ ऊंचा कर दें ।

(विरोधी पक्ष की ओर से ६ माननीय सदस्यों ने हाथ खड़े किए)

केवल ६ हैं ।

जो विपक्ष में हों वे भी अपना हाथ ऊंचा करें ।

('हां' पक्ष की ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने हाथ ऊपर उठाये)

विपक्ष में अधिक हैं, इसलिए यह आपका अमेंडमेन्ट गिर गया ।

श्री तनसिंह: Now, Sir, the time is over. We do not want to stay a minute.

श्री सभापति : There is still some tmie......

श्री तनसिंह : No, Sir, the things will not go like this.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि १७-वां क्लॉज़ है वह स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह : 'Noes' have it, Sir.

श्री सभापति : क्या आप डिवीज़न मांगते हैं ?

श्री तनसिंह : पहले भी डिवीजन मांगा था ।

(पुनः विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री तनसिंह : माननीय चेयरमैन, मैं आपका ध्यान सम्बन्धित रूल्स की तरफ आक-

Page No.105

(श्री तनसिंह)

र्षित करना चाहता हूँ, आप इस तरह से कर नहीं सकते। आप रूल्स में देख ले कि ३ मिनिट तक घन्टी बजाई जावे। यह कैसे हो सकता है कि आप दो सेकिन्ड ही घन्टी बजाकर उसको बन्द कर दें !

श्री सभापति : अच्छी बात है अभी आपकी इच्छा पूरी हो जावेगी।

५. १ म० प०

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ स्वीकार किया जाए।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : नो की आवाज ज्यादा है, नोज़ हैव इट।

श्री सभापति : आप खड़े हो जावें अभी पता चल जावेगा।

जो इसके पक्ष में हों खड़े हो जावें।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि २२४ या २४२ में ......!

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों खड़े हो जावें।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, मैं आपने जो व्यवस्था दी उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूल २४२ डिवीजन के लिए है। अब उसके सब रूल में है :

(a) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct the 'Ayes' to go into right Lobby and the 'Noes' into the left Lobby.

Provided that, if in the opinion of the Speaker the division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and on a count being taken, he may declare the determination of the House."

श्री सभापति : यह तो है और मेरी यह डेफिनिट ओपोनियन है कि डिवीजन की जरूरत नहीं है। खड़े होकर बता दें कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में।

श्री तनसिंह : आप इसलिए कह रहे हैं कि हम थोड़े हैं।

श्री सभापति : थोड़ों की बात नहीं है, लेकिन मेरी यह फर्म ओपिनियन है कि डिवीज़न की जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जावें जिससे यह मालूम कर सकें कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में।

श्री तनसिंह : Unnecessarily...

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री तनसिंह : Sir, the time is over. It is 5.5 and the time is over. Sir, I draw your attention.

श्री सभापति : २०।

श्री तनसिंह : On a point of ordes, Sir,...

श्री सभापति : No, order !

(श्री सभापति)

हाउस की ऐसी राय है।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। हाउस की राय की इसमें कोई बात नहीं है, यह तो आपके डिसाइड करने की बात है।

श्री सभापति : क्या बात है ?

श्री तनसिंह : जब तक आपको यह भी मालुम नहीं हो कि पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है, यह तो जबरदस्ती गला घोटने की बात है।

श्री सभापति : आप फरमाइये कि आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री तनसिंह : मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूं।

श्री सभापति : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री तनसिंह : मेरा यह निवेदन है कि रूल में, रूल ११ में :

"The Assembly shall sit on such days as the Speaker, having regard to the state of business, may, from time to time, direct.

"Sittings of the Assembly shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 a.m. and conclude at 5 p.m."

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ५ बजे तक काम कर लिया है। आपको ११ बजे इस सम्बन्ध में कोई डाइरेक्टिव देना चाहिए था। मगर इस तरह की कोई डाइरेक्शन नहीं दी, इसीलिए हम इस समय इस मूड में नहीं हैं कि आगे काम करें। जबरदस्ती आप काम कराएं...

श्री सभापति : आज का कार्यक्रम ११ बजकर १५ मिनट पर शुरू हुआ था। हाउस की यह इच्छा है कि आज का काम है, उसको बिल्कुल समाप्त करके ही उठें।

जो इसके विरोध में हों वे खड़े हो जावें।

(विरोध में कम मत आने पर)

'हां' पक्ष जीता, क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना।

श्री तनसिंह : अब तो मैं भी देखूंगा कि आप बीच में कैसे उठ जाते हैं। जब आपको किसी चीज़ को पास करानी होती है तो उसे जबरदस्ती लाद देते हैं। जब समय हो गया तो आपको हाउस एडजोर्न करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): धमकी देकर डरा रहे हैं।

श्री तनसिंह : आपको नहीं कह रहे हैं, एमेन्डमेंट है, शक्ल चेयरमैन की तरफ रहेंगी।......

डा० चन्द्रकला : सभापति महोदय, आपने अभी फरमाया कि सभा की कार्यवाही ११:१५ पर हुई, मगर मैं यह कहूंगी कि हम लोगों को तो ११ बजे की सूचना है और हम लोग ११ बजे ही यहां पर आ जाते हैं। हम लोगों को पहले यह सूचना नहीं थी कि सदन की कार्यवाही देर से शुरू होगी। इस-

(डॉ० चन्द्रकला)

लिये अब ५ बज चुके हैं और ६ घन्टे हो गये हैं, इससे ज्यादा हम बैठने को तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति : ऐसी इच्छा नहीं है। जब काम एक या दो मिनिट में समाप्त होता हो तो उसको समाप्त कर देना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : हमने हमारी सुविधा आपको कही थी। उस समय आपने कहा था कि अभी घन्टे भर का समय है, इसलिये उसका क्या मतलब है ?

श्री सभापति : कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो ५-१० मिनिट और ठहरना पड़ता है। आज ऐसी परिस्थिति आई है इसलिये बैठना पड़ रहा है। इससे पहले भी कभी कभी हाउस एडजोर्न हो जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : सदन ऐसा महसूस नहीं करता।

श्री सभापति : (श्री तनसिंह को सम्बोधित करते हुए) आपको व्यवस्था दे दी गई है। क्लॉज़ १८ पर आपका एमेन्डमैंट है उस पर कहें।

श्री तनसिंह : चेयरमैन महोदय, यदि आप मेरे लिए समय निर्धारित करें, टाइम अलॉट करें, तो वह मुझे बता दीजिये ताकि मैं समय में फिनिश करूं।

श्री सभापति : ५। बजे।

श्री तनसिंह : क्या आप यह सोचते हैं कि मैं पांच मिनिट में ही इसको समाप्त कर दूँ ?

श्री सभापति : अगर भाषण रह जायेगा तो आप कल शुरू करें। मौका रहेगा।

श्री तनसिंह : बहुत अच्छा। माननीय सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन रखा है कि क्लॉज़ १८ डिलीट किया जाय। क्लॉज़ १८ क्या है ? गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन्स करेगी, उन रेस्ट्रिक्शन्स के अनुसार किसी ने कोई अपराध किया है, तो कन्ट्रोलर को कोई ओफेन्स कम्पाउन्ड करने का अधिकार होगा। मैंने इस क्लॉज़ को डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है। मेरा यह निवेदन है कि एक ओर जब हम एक कानून बनाते हैं, एक ओर जब हम एक स्थिति को कानून की नजर में गलत साबित करते हैं, एक ओर एक व्यवस्था को अमानवीय, अशोभनीय और निंदनीय ठहराते हैं, तो दूसरी ओर उससे पैसा लेकर रेस्ट्रिक्शन्स कम्पाउन्ड कर रहे हैं। एक ओर एक व्यक्ति को अपराधी बताते हैं, राज्य की सम्पत्ति का उसको चोर और लुटेरा बताते हैं, दूसरी ओर उससे राजीनामा कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक माइका ओनर, राजी रहे या नहीं, की प्रतिष्ठा कायम करने के लिये उसके अपराधों को कम्पाउन्ड करे। एक दफा अपराध साबित हो गया तो उसका अपराध कम्पाउन्ड नहीं होना चाहिए। जनता के आम लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, किसी ने किसी के सिर में चोट दे दी, ३२३ का मुकदमा बन गया और कोर्ट में जाकर राजीनामा कर लिया। लेकिन जिस व्यक्ति का हजारों मन माल पकड़ लिया, टैक्स नहीं चुकाया, कॉन्स्टीट्युशन के अधिकारों को तोड़ कर नहीं चुकाया, आप माल बरामद करके लाये, उसको कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया, उसका चालान किया, शहादतें शुरू हुईं और जब वह यह देखता है कि मुकदमा

Page No.108

(श्री तनसिंह)

शायद साबित हो जाय, पहले तो वह कोशिश करेगा कि गवाहों को भड़काये, लेकिन जब वह यह देखेगा कि यह बात बैठेगी नहीं, सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज़ करेगी। मैं इसमें कोई कारण नहीं देखता, क्या होगा, अगर इम्पोज़ की भी जाय, तो गवर्नमेंट फल्क्चुयेट करे, क्योंकि जो टैक्सेज़ होते हैं उनको नहीं चुकाये, माल पर अधिकार कर लिया और फिर उसके साथ कम्प्रोमाइज़ कर लिया जाय। जो अपराध किया है उसकी सजा जो होनी चाहिए, वह हो, लेकिन पैसे के रूप में क्यों आंकना चाहते हैं, आप सिद्धान्तों का मूल्य पैसों में क्यों चुकाना चाहते हैं? त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग का मूल्य क्या पैसों में चुकाया जाय? अपराधी है, उसको कोर्ट के सामने लाना चाहिए। एक तरफ तो यह प्रावधान रखना चाहते हैं कि ट्रक में माल डाल दिया, रात में ले आते हैं, फिर उसके साथ क्यों कम्प्रोमाइज़ करते हैं? उसके अपराध को क्यों कम्पाउन्ड करते हैं? उनको बचाने का अवसर देना चाहते हैं। जो सजा है उसको मिलनी चाहिए, जुर्माना १ हजार रुपया या सजा भुगताना चाहिए। जो माइका आपने प्राप्त की है वह तो आपकी ही रहेगी। ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करूंगा कि यह जो चीज़ रखी है, उससे भ्रष्टाचार फैलेगा। मंत्री महोदय के पास माइका ओनर्स जावेंगे, सेट-आउट करेंगे और आपस में सेटिलमेन्ट करा देंगे। मन्त्रियों की जेबों में पैसे जावेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, टेलीफोन करेंगे, मैं समझता हूँ....

(घन्टी)

यह घंटी किस बात की?

श्री सभापति : समय हो गया।

हाउस तारीख ७-४-५८ के ११ बजे तक के लिए एडजोर्न किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक ४ अप्रैल, ५८ को ५.१५ बजे दिनांक ७ अप्रेल, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार-४ अप्रैल, १९५८)

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	६१०८

बालिका माध्यमिक विद्यालय, सोजत ।

साईकिलों पर दो सवारियों के बैठने पर किये गये चालान ।

कन्या पाठशाला, लालसोट ।

न्यायाधीश नं० १ व २, जयपुर द्वारा निर्णीत मामले ।

कोटपुतली-डाबला सड़क की मरम्मत ।

कन्या पाठशाला, थोई ।

मुर्गी-पालन ।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्यालय ।

अध्यापकों का फिक्सेशन ।

सड़क निर्माण, किशनगढ़ ।

सिंचाई योजनायें ।

माध्यमिक पाठशाला, अराई ।

अस्पृश्यता-निवारण कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले ।

पर्यटक केन्द्र ।

चलचित्र प्रदर्शन ।

बुनकर उत्पादक सहकारी समितियां, बाडमेर ।

जगर बंध, हिण्डौन ।

खादी-हुंडी ।

आत्म-हत्यायें ।

सड़क निर्माण-भुन्झुनू ।

विकास खण्ड, झालावाड़ ।

विद्युत-वितरण, मकराना ।

सुमेरपुर में बिजली लगाने की योजना ।

पशु चिकित्सालय ।

कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन ।

यातायात-कर ।

भावरी-सिल्दर रोड ।

विकास केन्द्र की स्थापना, सिकराय ।

प्राइवेट संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता ।

पब्लिक रिलेशन्स के डाइरेक्टर द्वारा बिलों का भुगतान ।

सरकारी भवन, देवली ।

डिस्ट्रिक पूल की जीप का उपयोग ।

थानेदारों की नियुक्तियां व स्थानान्तरण, राजगढ़ (अलवर) ।

अनादरा कसरी सड़क ।

आबूरोड से भण्डार के बीच में करूटी की रपट का काम ।

	स्तम्भ
जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९५८-५९ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	६१५१

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, १९५८-५९ के निर्वाचन सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:—

जनलेखा समिति

(१) श्रीमती गौरी पूनिया
(२) श्री परसराम
(३) श्री भवानीशंकर नन्दवाना
(४) श्री भीमसेन
(५) श्री भैरोंसिंह
(६) श्री लच्छूराम
(७) श्री विश्वंभरनाथ जोशी
(८) श्री सज्जनसिंह
(९) श्री हरिदेव जोशी
(१०) श्री होतीलाल

प्राक्कलन समिति

(१) श्रीमती कमला श्रोत्रिय
(२) श्री चुन्नीलाल
(३) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(४) श्री दयाकृष्ण विजय
(५) श्री नाथूलाल
(६) श्रीमती प्रभा मिश्रा
(७) श्री बालमुकुन्द भील
(८) श्री भोलानाथ
(९) श्री मोतीलाल चौधरी
(१०) श्री मोहब्बतसिंह
(११) श्री रघुवीरसिंह
(१२) श्री रामदेवसिंह
(१३) श्री लल्लूराम
(१४) श्री लक्ष्मण हीरात
(१५) श्री शंकरलाल

विधायी कार्य

१. राजस्थान दुकानें तथा वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

उपरोक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन-प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २, ३, १०, ११, १२, १४, २२, २५, २९, ३०, ३४ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ४, ५, ६, ७, ८, ९, १३, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २६, २७, २८, ३१, ३२, ३३, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, बिना संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ४२ विलोपित किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८

(खण्डशः ६ विचार-विमर्श)

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ के लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २, ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १७ बिना संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ४, ५, ७, १२, १३, १६ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड १८ पर बहस जारी थी कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक ७ अप्रेल, ५८

की कार्य-सूची

(१) राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८। (पारित)

(२) राजस्थान हेबीचुअल आफेन्डर्स संशोधन, विधेयक, १९५८। (पारित)

(३) राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १९५८। (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट ?

(कृपया प्रश्न संख्या ११०७ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट "क"

क्रम संख्या	नाम समिति	रजिस्ट्रेशन दिनाङ्क	अन्य विवरण
१.	दी सहानी उत्पादक कोऑॅपरेटिव सोसाइटी लि०	२६– ७–५२	
२.	दी बारमेर ,, ,, ,, ,,	२६– ७–५२	निस्तारण अव-
३.	रामसीन बुनकर ,, ,, ,,	१४– २–५५	स्था में है।
४.	बालोतरा बुनकर ,, ,, ,,	१४– २–५५	
५.	सराना बुनकर ,, ,, ,,	३०– ७–५५	
६.	गडरा रोड़ बुनकर ,, ,, ,,	३०– ७–५५	
७.	जेठान्तरी ,, ,, ,, ,,	१७–१२–५५	
८.	थापन ,, ,, ,, ,,	२१– १–५६	
९.	अजीत ,, ,, ,, ,,	२७– १–५६	
१०.	समदारी रामदेव बुनकर ,, ,,	३०– १–५६	
११.	खानदेप ,, ,, ,,	२९– ३–५६	
१२.	लासोतरा बुनकर ,, ,, ,,	६– ५–५६	
१३.	रानीगांव बुनकर उत्पादक कोऑॅपरेटिव सोसाइटी लि० रानीगांव	१४– १–५७	
१४.	सुन्दर बुनकर उत्पादक कोऑॅपरेटिव सोसाइटी लि०	२७– ६–५७	
१५.	बुनकर उत्पादक कोऑॅपरेटिव सोसाइटी लि०, बींजासर	१८– ७–५७	
१६.	बुनकर उत्पादक ,, ,, ,, बूट	१९– ७–५७	
१७.	महसर बुनकर उत्पादक ,, ,,	१३– ८–५७	
१८.	गंगुला बुनकर ,, ,, ,,	१३– ८–५७	
१९.	पदरू ,, ,, ,,	१४– २–५६	
२०.	मोकलसर ,, ,, ,,	६– ५–५६	

Page No.113

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ११११ का उत्तर देखिये)

आत्म हत्याओं का जिले वार विवरण

क्र० सं०	जिलों के नाम	आत्म हत्याओं की संख्या
१.	जयपुर	१८
२.	अजमेर	३०
३.	अलवर	२८
४.	भरतपुर	३३
५.	झुन्झुनू	१५
६.	सीकर	२०
७.	सवाई माधोपुर	४
८.	टोंक	२
९.	कोटा	३
१०.	बून्दी	१
११.	झालावाड़	—
१२.	जोधपुर	४
१३.	जालोर	६
१४.	नागौर	१
१५.	पाली	१२
१६.	बाड़मेर	५
१७.	जैसलमेर	२
१८.	सिरोही	१५
१९.	बीकानेर	४
२०.	गंगानगर	११
२१.	चूरू	२३
२२.	उदयपुर	१३
२३.	भीलवाड़ा	९
२४.	बांसवाड़ा	८
२५.	डूंगरपुर	४
२६.	चित्तोड़	३
२७.	गो० रे० पुलिस	६
		२८२

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १११३ का उत्तर देखिये)

झालरापाटन व खानपुर विकास खण्डों में किये गये निर्माण कार्यों की सूची

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	संख्या
१	२	३
	झालरापाटन	
१.	पीने योग्य पानी के कुंए	६४
२.	खेल	३
३.	कुंओं की मरम्मत	७
४.	सड़क व पुलिया	५
५.	शौचालय	१६
६.	गलियों को पक्की करना	८
७.	पाठशाला भवन	१८
८.	स्वास्थ्य एवं सफाई के कार्य	११
९.	सिंचाई के कार्य	५
१०.	ग्राम सेवक भवन	१०
११.	गोदाम	३
१२.	चिकित्सालय	२
१३.	पंचायत घर	१
	खानपुर	
१.	पोद्दूखेड़ी नाले पर पुलिया	१
२.	गोलियाखेड़ी नाले पर पुलिया	१
३.	बारां खानपुर सड़क की रपट में लकड़ी के तख्ते लगाना	१
४.	पोद्दूखेड़ी रपट में लकड़ी के तख्ते लगाना	१
५.	लालावाठा में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
६.	हवाईखेड़ा में कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
७.	हरिगढ़ में बावड़ी व कुंओं का आरोग्यकारी पनघटों में परिवर्तन	—
८.	जोलवा में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
९.	सुमेर में कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	—
१०.	गोलियाखेड़ी पुलिया को सम्पूर्ण करना	१
११.	महरायता रपट के डन्डों का फैलाव	१
१२.	लुकेट में ,, ,,	—
१३.	सुमेर में ,, ,,	—

Page No.115

१	२	३
१४.	खानपुर में पांच मोखे की रपट का निर्माण	२
१५.	खानपुर में लकड़ी के तख्ते लगाने के लिए झिर्रीदार खन्डे के पत्थरों का जमाना	
१६.	खानपुर के पांच मोखे वाली रपट में खरंजे तथा चुनाई का कार्य	
१७.	खानपुर की रपट की पट्टियों को ढकने हेतु खन्डेदार पत्थरों का जमाना	
१८.	गोलाना नदी पर खरंजा बनाना,	
१९.	सुमेर में दो मोखे वाली रपट का निर्माण	
२०.	सुमेर के खरंजे की किनारों की चुनाई पर पत्थर लगाने का कार्य	
२१.	श्रमदान के समय में निर्मित सड़कों की व्यवस्था का कार्य	
२२.	गोलाना और डूढा की रपट की मरम्मत	
२३.	गोलनान व डूंडा के बन्द में लकड़ी के तख्तों के लगाने का कार्य	
२४.	गोलाना की रपट में लकड़ी के तख्तों के लगाने का कार्य	
२५.	जेरगा में लकड़ी के तख्तों को जमाने हेतु झिर्रीदार खन्डे के पत्थर लगाने का कार्य	
२६.	जेरगा में खरैंडी नदी में लकड़ी के तख्ते लगाने का कार्य	
२७.	हिंड्वार में आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
२८.	तराज में आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
२९.	करनवास में कुंए को गहरा करने का कार्य	१
३०.	हथाईखेड़ा में कुंए को सम्पूर्ण करने का कार्य	१
३१.	बुखारी कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
३२.	सुखबरेदी कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
३३.	बिसलाई कुंए का आरोग्यकारी पनघम में परिवर्तन	१
३४.	डागरिया बोरदी में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
३५.	बोरखेड़ी कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
३६.	भरतपुर में खेल व ढालों का निर्माण	१
३७.	छेकली कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
३८.	पानी की टंकी सहित हैंड–पम्प लगाने का कार्य	१
३९.	मुन्डला कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
४०.	सावनी में नये आरोग्यकारी पमघट का निर्माण	१
४१,	गोलिया–खेड़ी में ,, ,,	१
४२.	खानपुर में हरिजन के कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
४३.	खानपुर के जगन्नाथ कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१

१	२	३
४४.	परिगणित जाति के लिए सोजपुर में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
४५.	सरोलाकलां में कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
४६.	बंगारसी कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
४७.	खमवाड़ा में खेल व ढाणे का निर्माण कार्य	१
४८.	पीपलास कुंए का आरोग्यकारी पनघट में परिवर्तन	१
४९.	कंवाल्दा में खेल व ढाणे का निर्माण	१
५०.	राजपुरा में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१
५१.	मालनवासा कुंए का आरोग्यकारी पनघट परिवर्तन	१
५२.	दादिया ,, ,, ,,	१
५३.	चांदपुरा खपलादा में नये आरोग्यकारी पनघट का निर्माण	१

परिशिष्ट

६३३५]

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११०१ का उत्तर देखिये)

Serial No.	Name of Institution	Amount Sanc-tioned.	Reasons	Estimates of the institution.	Percentage of grant-in-aid given to the-institution.	Reasons	Amount Lapsed
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Janta College & Community Centres run by Rajasthan Vishwa Vidyapeeth, Udaipur.	35,000	Up to March 1956 the institutions were running under First Five Year Plan. Hence Adhoc Aid was necessary to meet day to day expenditure.	70,000	No grant-in-aid As in column was given.	4	No.
2.	Music College, Ajmer.	1000	In Ajmer State, all such Institutions were paid adhoc grants.	5,306	Rs. 1500/- were paid in the previous year by Ajmer State.	-do-	„
3.	Shramjivi College run by Rajasthan Vishwa Vidyapeeth, Udaipur.	12,701	This Institution was raised to Degree College & adhoc grant was sanctioned to meet the increased expenditure during the year.	87,500	80% aid was given to this institution previously.	-do-	„
4.	Rural Institution, Vidya-Bhawan, Society, Udaipur.	23,248	In the first year it was given to meet the expenditure of the construction.	—	No grant-in-aid was given previously.	-do-	„
5.	Rashtra Bhasha, Prachar Samiti, Ajmer.	1,500	In Ajmer State, all such Institutions were paid adhoc grants.		-do- Lumpsum	-do-	„

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sophia Convent H.S., Mt. Abu	2,000	This institution was getting aid from Bombay Govt. Adhoc grant was given as the matter was under consideration of the Government.	—	No grant waspaid from Rajasthan Government.	-do-	"
7.	St. Mary H.S., Mt. Abu.	6,000	—do—				
8.	Vedic Kanya Pathshala, Abu Road.	750	—do—				
9.	Higher Secondary School Dabhok run by Rajasthan Vishwa Vidyapeeth, Udaipur.	9,156	The institution was taken over by the Raj. Vishwa Vidyapeeth, Udaipur & raised to Higher Secondary. The grant was given to meet the increased expenditure during the year.	Nil	No.	-do-	"

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ४ अप्रैल, १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६१२०	४	गय थे	गये थे,
६१२५	२२-२३	हाउसेज़ गें	हाउसेज़ में
,,	२५	पुस्कर	पुष्कर
,,	अन्तिम से ६	१६५७' ५८	१६५७-५८
६१२६	११	(उदयपुर ६५००),	उदयपुर ६५००),
,	अंतिम से ८	वैसे वें	वैसे वह
६१२७	१२	कौलतार	कोलतार
६१३०	शीर्ष		६१३०]
,	४	श्री दलतपसिंह	दलपतसिंह
६१३२	१७	घटनाएं	घटनाएं
६१३३	१८	झुंझनू	झुंझुनू
,,	२१	झुंझनू	झुंझुनू
६१३४	१५	झुंझनू	झुंझुमू
६१३६	१३	वितद्यु	विद्यु त
६१३६	१६	अनिवाय	अनिवार्य
६१४०	११	श्री रिखबन्चद धारीवाल	श्री रिखबचन्द धारीवाल
६१४२	१०	बीरका	वीरका
६१४४	४	एकहॉक	एडहॉक
६१४४	६	व्यय गमन (लैप्स हुआ है	व्यपगमन (लैप्स) हुआ है
६१४८	२०	श्री गोकुलन्द	श्री गोकुलचन्द
६१५७	११-१२	10. p. m.	'10 p. m' for '10 A. M'
६१६८	शीर्ष	४ अप्रल	४ अप्रैल, ५८
६२२३	अन्तिम से २	माननय	माननीय
६२२४	५	पैचीदगीयां	पेचीदगियां
६२२५	१६	तन्दुरस्ती	तन्दुरुस्ती
६२२८	१	श्र ीलमुकुन्द	श्री बालमुकुन्द
६२३०	८-६	तनख्वा	तनख्वाह
६२३२	१८	asusua	as usual
६२५१	१४	वनाया	बनाया
६२५७	अंतिम से ७	बहु उद्यत	बहुत उद्यत

१	२	३	४
६२६१	६	'Honble	Hon'ble
६२८५	३	कॉन्सिट्युशन	कॉन्स्टिट्युशन
,,	१०	कॉन्सिटट्यूशन	कॉन्स्टिट्युशन
६२८६	६	प्रोपोज़	प्रपोज़
६२८६	अन्तिम	magisrate	magistrate
६२६३	१०	beleve	believe
,,	२०	Serch	Search
,,	अंतिम से १०	belive	believe
,,	,, ६	गवर्ननेंट	गवर्नमेंट
६२६५	अन्तिम से ७	एवीडेन्से दी	एवीडेन्सेज़ दी
६२६५	अंतिम से ५	मिसअन्डरस्टेंडिंग	मिस अन्डरस्टेंडिंग
६२६६	१७	लिबरटीज़	लिबर्टीज़
६२६६	१८	कॉन्स्टीटयूशन	कॉन्स्टिट्युशन
६२६७	अन्तिम से ६	लिबरटी	लिबर्टी
६२६६	२०	belive	believe
६३००	२२	एक्सेसाइज	एक्सर्साइज़
,,	अन्तिम से ७	श्री रिखबचन्द्र धारीवाल	श्री रिखबचन्द धारीवाल
,,	अन्तिम	mi⁰a	mica
,,	२२	कर सकता सकता है	कर सकता है
६३०२	३	pracedure	Procedure
,,	१२	श्री साभपर्ति	श्री सभापति
६३०४	अन्तिम से ७	सके	उसके
६३०४	अन्तिम	recordiog	recording
६३०७	१०–११	भल मन साइत	भलमनसाइत
६३०८	अन्तिम	प्रावीजन	प्रोविज़न
६३१५	१२	Some tmie	Sometime
६३१७	अन्तिम से ३	of ordes	of orders
६३२५	१७	डिस्ट्रिक	डिस्ट्रिक्ट
६३२६	२२	श्री मौहब्बतसिंह	श्री मोहब्बतसिंह
६३३३	२३	पनघम	पनघट